राजस्थान विधान सभा

नवम् बैठक, सोमवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्याह्नपूर्व ११-१८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, रावराजा श्री सरदारसिंह ।

प्रश्न संख्या १४६

रियासत व ज्यूरिस्डिक्शनल ठिकानों के विलीनीकरण के पश्चात् पाठशालाओं इत्यादि के नामों में परिवर्तन के कारण

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) रियासतों तथा ज्युरिस्डिक्शनल ठिकानों के विलीनीकरण होने के पश्चात् जो पाठशालाएं, कालेजेज, औषधालय तथा धर्मशालाएं आदि उनके स्थापकों के नामों पर प्रख्यात हैं और आज वह सरकार के आधीन हैं, उनके स्थाई नामों में अब परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता समझी जा रही है ?

(ख) जिन स्कूलों आदि को पहले नामों से विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा मान्यता मिल चुकी है, क्या उसमें भी परिवर्तन किया जायेगा ? यदि हां, तो किन किन आधारों पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) सरकार की अभी कोई ऐसी नीति नहीं कि स्कूलों आदि के नामों में परिवर्तन किया जाय ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि रायसिंह हाई स्कूल, गढ़ी, बांसवाडा में था, उसका नाम तब्दील करके गवर्नमेन्ट हाई स्कूल कर दिया है ?

श्री सुखाड़िया—कौनसी जगह ?

श्री सरदारसिंह—गढी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा ख्याल है वहां पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल कर दिया है ।

श्री सरदारसिंह—उणियारा हाई स्कूल का नाम सरदार हाई स्कूल है और इसकी यूनिवर्सिटी में मान्यता है, फिर भी इन्सपेक्टर ने लिख दिया है कि इसका नाम सरदार हाई स्कूल हटा कर गवर्नमेन्ट हाई स्कूल कर दिया जावे, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४७

जागीर पुनर्ग्रहण कानून बन जाने के पश्चात् भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स विभाग रहने के कारण

महाराज श्री शिवदानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार जागीर पुनर्ग्रहण कानून बन जाने के बाद भी कोर्ट ऑफ वार्ड का महक्मा कायम रखना चाहती है ? अगर नहीं, तो इसको वाइन्ड अप करने के लिये क्या कदम लिया गया है ?

(ख) क्या जयपुर डिविजन में भी कोर्ट ऑफ वार्ड के महक्मे को खत्म करने के लिये कोई कार्यवाही जारी है ? अगर हां, तो कब तक यह आफिस खत्म हो जायगा ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर के वे आफिसर जिन पर उपरोक्त महक्मे को शीघ्राति-शीघ्र वाइन्ड अप करने की जिम्मेदारी है इस काम में देर और ढील कर रहे हैं ?

(घ) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी, किस किस डिविजन में कुल कितनी कितनी आमदनी के ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी नहीं । जागीर पुनर्ग्रहण कानून बन जाने के बाद को[र्ट] ऑफ वार्ड्स महक्मे को वाइन्ड अप करने के लिये जो कदम उठा रही है, वे यह हैं : (अश्रव्य)

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

महाराजा श्री केशरीसिंह—क्या उनकी प्रोपर्टी उन्हें हैंन्डओवर कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिन जिन ठिकानों को कोर्ट ऑफ वार्ड से मुक्त कर दिया गया उनको उनकी प्रोपर्टी हैन्ड ओवर कर दी गई।

महाराजा श्री केशरीसिंह—क्या यह सच है कि बहुत से ठिकानों की दुकानें आदि उनको हैन्डओवर नहीं की गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर आप कोई स्पेशल केस बतावेंगे तो उसकी जानकारी भी की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४८

राज्य में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के कारण एवं निश्चत दर निर्धारित करने संबंधी शासकीय कदम

महाराजा श्री केशरसिंह—Will the Food Minister be pleased to state:—

(*a*) What is the cause of the rise in prices of foodgrains in the State ?

(*b*) What checks does the Government contemplate to impose in order to stop this rise in prices ?

(*c*) Is the Government contemplating to fix the prices of foodgrains ?

(*d*) Will the Government open cheap grain shops or enforce rationing in the State ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) वर्षा ऋतु के पहले आधे समय में वर्षा की अधिकता और शेष आधे समय में वर्षा की कमी के कारण फसल पनप न सकी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ गया।

(ब) राजस्थान के सभी जिलों में जनता को बेचे जाने के लिये गेहूं का आयात किया जा रहा है। सब जिलों में खाद्यान्नों की दुकानें खोलने की योजना है, जिसमें गेहूं १४ रुपया ८ आना प्रतिमन के भाव से बेचा जायगा।

(स) हां। वह गेहूं जिसका कि शीघ्र ही आयात किया जा रहा है, जनता को १४॥ रू० प्रति मन से अधिक न होने वाले भाव पर बेचा जायगा।

(द) पूर्वोक्त खाद्यान्न जनता को फुटकर बिक्रेताओं के मार्फत बेचा जायगा। राशनिंग चालू नहीं किया जायगा।

महाराजा श्री केशरीसिंह—किन किन जिलों में सरकारी दुकानों की योजना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सब जिलों में जहां से अनाज के भाव महंगा होने की मांग होगी।

श्री केशरीसिंह—अब तक कहां कहां खोली गई हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब करीब ८-१० जिलों में तो अनाज आ चुका है और इसके अलावा भी जहां कहीं से अनाज के भाव ऊंचे होने की मांग आवेगी प्रवन्ध किया जावेगा और अनाज मंगाकर भेजा जायगा।

श्री केशरीसिंह—अनाज भेजने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि दुकानें कहां कहां खोली गई हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार की ओर से नहीं खोली गई हैं। कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि जिस जिले में अनाज के भाव ऊंचे हों वहां पर इसका प्रबन्ध करें और व्यापारियों को लोडिंग, अनलोडिंग व रुपयों के ब्याज आदि को ध्यान में रख कर इसकी व्यवस्था करें।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि चितौड़ जिले में अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां से प्रार्थना-पत्र आए और मैं समझता हूं कि अनाज पहुंच गया होगा।

श्री एच० के० व्यास—क्या भारत सरकार की नीति सरकारी दुकानें खोलने की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार की नीति पर ही सरकार काम कर रही है।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार बतायेगी कि कौन कौन से स्थानों में राजस्थान सरकार द्वारा दुकानें खोली जा चुकी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहीं के व्यापारियों द्वारा कलेक्टरों की देख रेख में यह कार्य सस्ते अनाज की व्यवस्था का हो रहा है।

श्री एच० के० व्यास—क्या राजस्थान में सरकार की ओर से दुकानें खोलने का कोई विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पडने पर इस पर सोचा जा सकता है।

श्री एच० के० व्यास—इस प्रकार दुकानें कितने जिलों में खुल चुकी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी जिलों में अनाज आ गया है। जानकारी प्राप्त करके आप चाहें तो बता सकता हूं। जयपुर, कोटा, झालावाड, सीकर और इसी तरह और भी कई जिले हैं। भीलवाडा और चितौड़ में भी अनाज गया है।

श्री केशरीसिंह—आपने दस जिलों में अनाज की दुकानों की बात कही। वे दस जिले कौन से हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि १० जिले ये हैं : झालावाड, कोटा, जयपुर, जोधपुर सीकर, चित्तौड, पाली, उदयपुर और दो और हैं ।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि पाली और जोधपुर में अभी एक भी दुकान नहीं खोली गई है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझता हूं कि अनाज या तो आ चुका है या आनेवाला है ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जिन व्यापारियों ने कांग्रेस के फार्म भरे हैं उन्हीं को यह सुविधा दी जाती है और दूसरों को नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने समाचार-पत्र पढे होंगे या आपने सुना होगा कि जो दो हजार मन अनाज खरीद कर बेचना चाहता है उससे सरकार १०००) की सिक्योरिटी जमा करवाती है और वह इसलिये कि किसी तरह की उसमें गडबडी नहीं हो और अगर किसी तरह की गडबडी होती है, तो वह रुपया जब्त कर लिया जाता है । जो लोग दो हजार मन से ज्यादा धान खरीद कर बेचना चाहते हैं उनसे दो हजार की सिक्योरिटी जमा कराई जाती है और जब अनाज वहां पहुंचता है तो उनको रुपया रोकड देकर १४) प्रति मन के हिसाब से बिल्टी छुडानी पडती है । उसके अलावा वहां का कलेक्टर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी भाव निश्चित करता है, उसके अनुसार व्यापारियों को बेचना पडता है । यदि आप एक भी ऐसा उदाहरण बता दें तो मैं उसकी जांच करूंगा और उसके लिये कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री जगतसिंह झाला—व्योपारियों को क्या कमीशन दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दो आना प्रति मन।

श्री एच० के० व्यास—अगर कोई व्योपारी किसी जगह इस शर्त पर काम नहीं करे तो सरकार क्या दूसरी व्यवस्था करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी परिस्थिति अभी पैदा नहीं हुई। स्थानीय व्योपारी अगर काम करने के लिये नहीं आवेंगे तो सारे राजस्थान के लिये अनाज वितरण की व्यवस्था करने के लिये व्योपारी तैयार हो सकते हैं।

श्री एच०के० व्यास—क्या यह सही है कि बार बार लिखते रहने के बावजूद भी कई स्थानों पर अनाज की बिक्री में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अनाज गया है, बिका है और फिर भी दे रहे हैं, जहां भाव ऊंचे हैं। मगर जहां पर भाव ऊंचे नहीं हैं और पब्लिक की ओर से कोई मांग नहीं आती है वहां पर इसका प्रबन्ध नहीं होता।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जोधपुर में २० रु० से २२ रु० मन का भाव है और अभी तक एक भी दुकान वहां पर नहीं खुली है ?

Page No 6

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जोधपुर में अनाज का भाव २०. रु० मन बताया वह ८० तोले का सेर वहां पर नहीं होगा। वहां के सेर में फर्क होगा। बाकी ८० तोले भर सेर के भाव से कहीं यह भाव नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या बूंदी में अनाज सस्ता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सस्ता होगा तभी मंगाया नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—मैं कहूंगा कि महगा है, सस्ता नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—हर सप्ताह के भाव की रिपोर्ट को देखते हुए ऐसी बात है कि बाहर से यदि अनाज वहां पर मगाया जावे तो सस्ता बिक सके; तभी अनाज मंगाया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १४६

प्रदेश कांग्रेस कमेटी को डोनेशन और इस सम्बन्धी ए.जी. द्वारा आपत्ति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(*a*) Has the Government given any donation to the Pradesh Congress Committee, Ajmer ? If so, under what head was the expenditure debited ?

(*b*) Is it a fact that the Accountant-General has objected to this payment ?

(*c*) What does the Government propose to do in this matter now and in respect of such payments in furture ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—(*a*) A donation was given for holding the Akhil Bhartiya Khadi Udyog Pradarshini at Ajmer, under the head "57—Miscellaneous (Contributions-4-other Contributions—Gifts, Charities, Grant-in-aid etc.," of the budget of the yean 1955-56.

(*b*) Yes.

(*c*) Necessary action is being taken in the matter.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(सी) भाग का क्या उत्तर दिया ?

श्री अध्यक्ष—"Necessary action is being taken".

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—ए. जी. ने जो ओब्जेक्शन उठाया है उसका जवाब देने का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने जवाब दे दिया है ?

Page No 7

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जवाब दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो डोनेशन दे दिया गया सो दे दिया गया। हमने इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं समझी थी, आयन्दा इस प्रकार की बात नहीं की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिस प्रदर्शिनी के लिये डोनेशन दिया गया उस प्रदर्शिनी का इन्तजाम एक विशेष पार्टी के हाथ में था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह तो आपके प्रश्न से भी स्पष्ट है और मैंने जो उत्तर दिया उससे भी स्पष्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह डोनेशन किसके नाम शाया किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी का जलसा हुआ था, वहां पर प्रदर्शिनी का भी आयोजन किया गया था जैसा कि आम तौर पर किया जाता रहा है। उसमें सरकारें सहयोग देती हैं, उसके अन्दर कैश कन्ट्रीब्यूशन दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केश कन्ट्रीब्यूशन जो दिया गया प्रदर्शिनी के ओर्गेनाइजर को दिया गया या अजमेर कांग्रेस कमेटी को दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रदर्शिनी ओर्गेनाइज करने वाली बोडी कांग्रेस को दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कन्ट्रीब्यूशन का हिसाब सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका ऑडिटेड हिसाब, वहां पर सेशन हुआ था उसमें पेश हो चुका है और पब्लिश भी हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने जो तीन हजार रुपया दिया वह किस काम में लिया गया, उसका हिसाब सरकार के पास प्रस्तुत हुआ है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रकार के काम के लिये जो रुपया दिया जाता है या ऐसे कामों में जहां रुपया ज्यादा खर्च हो जाता है, वहां यह नहीं देखा जाता कि किस मद में खर्चा ज्यादा हुआ ? आमतौर पर जो डोनेशन के रूप में रुपया दिया जाता है उसका हिसाब इस प्रकार से मांगा नहीं जाता कि हमारा रुपया किस पर्टिकुलर कार्य के लिये खर्च हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि किसी राजनैतिक पार्टी को डोनेशन नहीं दिया जाय, क्या सरकार के इस प्रकार के नियम हैं ?

(घंटी)

Page No 8

श्री हरिकृष्ण व्यास—पोलिटिकल पार्टीज को इस प्रकार का डोनेशन नहीं दिया जा सकता सार्वजनिक कोष में से ऐसे सरकार के नियम हैं।

(घंटी)

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार अन्य राजनैतिक पार्टीज को भी इस प्रकार डोनेट करेगी अगर किसी ने इस प्रकार आयोजन किया तो?

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार का डोनेशन और कभी किसी पार्टी को दिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे जानकारी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह पहला ही मौका था जब इस प्रकार का डोनेशन दिया गया।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५०

ठिकाना साखून (तहसील दूदू) में मोतमिद की नियुक्ति, उसका वेतन एवं उसके कार्य

महाराज श्री शिवदानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या ठिकाना साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर में कोई मोतमिद कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से मुकर्रर है? अगर हां तो उसको क्या तनख्वाह मिलती है और वह सरकारी क्या क्या काम अन्जाम देता है?

(ख) क्या दूसरे ठिकानों में भी जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत हैं इसी तरह मोतमिद रखे हुए हैं? अगर नहीं, तो उपरोक्त ठिकाने में ही मौतमिद रखे जाने की क्या विशेष आवश्यकता हुई?

(ग) क्या यह सही है कि ठिकाना साखून की माजियों की हिफाजत के लिये इस मोतमिद के पद को स्थाइत्व प्रदान करने का सरकार का इरादा है? अगर हां, तो ठिकाने के पुनर्ग्रहण के बाद मोतमिद की तनख्वाह किस मद से दिलाई जावेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां। उसे ५० रु० माहवार ठिकाने के बजट से वेतन मिलता है, यह मोतमिद किला निगरानी आदि करता है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) जी नहीं! इसी ठिकाने में मोतमिद रखे जाने की आवश्यकता इसलिये पडी कि यहां पर जो दो बेवा माजियां हैं उनकी सेवा करने के लिये तथा माजियों का निवास-स्थान गांव से पृथक डूंगर पर है; अतः उनकी हिफाजत के लिये माजियों की प्रार्थना पर ही मोतमिद रखा हुआ है ।

(ग) जहां तक पद को स्थाइत्व प्रदान करने का प्रश्न है इस सबंध के नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी, परन्तु अभी ठिकाने के पुनर्ग्रहण के बाद मोतमिद के वेतन का व्यय मुलाजमान सबधी व्यय के मद से किया जावेगा ।

प्रश्न संख्या १५१

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित--प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १५२

विभिन्न तहसीलों के किसानों द्वारा लगान कम करने की मांग–विशेषतया किशनगढ सब-डिविजन में

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) किन किन तहसीलों के किसानों ने लगान कम करने के लिये मांग की है ?

(ख) किशनगढ सब डिविजन के किन किन ग्रामवासियों ने लगान कम करने के लिये कब कब प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं ?

(ग) किन किन तहसीलों में लगान कितने कितने प्रतिशत कम कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) लगान में कमी करने की किसानों की आम मांग रहती है । जोधपुर डिविजन में जिला नागोर की तहसील वा जिला पाली की तहसील बाली व जयपुर डिविजन में तहसील जमवां रामगढ, तौरावाटी-खन्डेलावाटी व फागी के किसानों की रेट कमी की शिकायत है ।

(ख) किशनगढ़ डिविजन के निम्नलिखित ग्रामवासियों ने लगान कम करने के लिये प्रार्थनापत्र-पेश किये :

नाम तहसील १	नाम ग्राम २
किशनगढ	काकनिया वास तितरिया मूडोती बूहासू खातोली

Page No 10

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१	२
रूपनगढ ...	कृषकों की तरफ से किसान सभा ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था ।
सरवाड	इन दोनों तहसीलों का बन्दोबस्त फोर्मर राजस्थान के समय हुआ था
अराई	प्रार्थना-पत्र परचे तकसीम होने के बाद पेश हुए ।

(ग) जिन तहसीलों की आम उज्रदारियां हुई हैं उनमें जांच पड़ताल का काम जारी है और अभी तक तहसील बाली में करीब १७१ फी सदी (सिर्फ चाही जमीन में) व नीम का थाना, ठिकाना पाटन वा शाहपुरा में करीब १५१ फी सदी कमी हुई है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब-डिविजन से जो प्रार्थना-पत्र पेश हुए वे इस वक्त किस स्टेज पर हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच की स्टेज पर हैं ।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच किस अधिकारी के पास और कब से की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की जा रही है; जब से प्रार्थना-पत्र आये हैं तब से की जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—उनका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब जांच समाप्त होगी तब ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या दूदू तहसील के काश्तकारों के भी लगान कम करने के संबध में प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दूदू तहसील के सेटलमेन्ट की मियाद खत्म हो गई । रेट्स रिड्यूस करने की आज्ञा दी जा चुकी है ।

श्री मोतीलाल चोधरी—नागौर जिले की क्या स्थिति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नागौर जिले के काश्तकारों की यह मांग है कि उनके यहां लगान दर ज्यादा है ।

प्रश्न संख्या १५१

जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये पाइलट स्कीम

राज श्री हिम्मतसिंह (श्री भैरूसिंह की अनुपस्थिति में राज श्री हिम्मतसिंह ने प्रश्न किया):—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये एक पाइलट स्कीम तैयार की है ?

(ख) यदि हां तो किन किन तहसीलों को इस पाइलट स्कीम के अन्तर्गत लिया गया और किस आधार पर ?

(ग) क्या यह सही है कि इस पाइलट स्कीम को लागू करने में सहायता देने के लिये सरकार ने प्रत्येक पाइलट तहसील में एक लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो किन किन को और किस किस योग्यता के आधार पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां, इस संबंधी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जो जागीरें अन्तिम रूप से सरकार के अधीन चली गई हैं ।

(ग) लाइजन आफिसरों की नियुक्ति संलग्न सूची में है ।

जहां तक इनकी योग्यता का प्रश्न है यह लोग पाइलट स्कीम वाली तहसीलों के अलावा यथा-संभव अन्य तहसीलों के जागीरदारों का भी काम करा सकते हैं । जो जागीर पुनर्ग्रहण में विश्वास रखते हैं और जो जागीरदारों के दावे खुदकाश्त के प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में उनकी सहायता कर सकें, यही इनकी नियुक्ति में योग्यता रखी गई है ।

अध्यक्ष महोदय, सूची प्रश्नकर्त्ता महोदय अनुपस्थित थे, इसलिये उनको नहीं दी गई । यदि आपकी आज्ञा हो तो सूची पढ़ दूं ।

एक माननीय सदस्य—लाइजन ऑफिसर के नाम बता दीजिये ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 12

प्रश्न संख्या १५३

गंगापुर व अन्य ग्रामों (त० सहाड़ा) में धार्मिक स्थान व व्यक्ति को दी जाने वाली नकद रकम बन्द करना

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

भीलवाडा जिले की तहसील सहाडा के गगापुर व अन्य गांवों में ग्वालियर राज्य की ओर से माफी के एवज नकद रकम किस किस धार्मिक स्थान तथा व्यक्ति को कितनी कितनी दी जाती थी जो राजस्थान में आने के बाद से बन्द है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस संबंधी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची अगर माननीय सदस्य को नहीं मिली हो तो पढ दू।

रावत श्री शम्भूसिंह—सूची नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—हमारे पास तो भेज देते।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं पढ़ दू।

श्री अध्यक्ष—कितने नाम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—२१ नाम हैं। मैं जल्दी ही पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष—ये सप्लीमेन्टरी पूछते हैं, लिस्ट आप दे दीजिये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दामोदरलाल व्यास—और दूसरा सवाल यह है, इसके लिये जवाब यह है कि उनको रकम दी जा रही है।

श्री शम्भूसिंह—क्या यह रकम बीच में मिलना बन्द हो गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, पर अब मिलने का आदेश हो गया है और दी जा रही है।

श्री भैरूंसिंह—कब से मिलनी वापिस शुरू हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब से यह राजस्थान में शामिल हुआ, इसके बाद में जांच करना आवश्यक था कि इनको ग्वालियर से रकम मिलती थी या नहीं, वहां से जवाब आने पर और इसकी जांच समाप्त होने के बाद यह साबित हो गया कि फलां फलां को इतनी रकम मिलती रही है, उनको देने का आदेश जारी हो गया।

श्री शम्भूसिंह—कब से ?

Page No 13

श्री दामोदरलाल व्यास—जब से ये राजस्थान में शामिल हुए तब से ?

श्री रामदयाल उपाध्याय—पुराना एरीयर भी मिलेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिनको यह साबित होगा कि उनको यह रकम पहले मिलती थी और मिलनी वाजिब है उनको एरीयर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या १५४

दांता व लोसल (तहसील दांता रामगढ़) में कुओं की मरम्मत सम्बन्धी सरकार द्वारा विकास कार्य

श्री भैरूंसिंह—क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) तहसील दांता रामगढ़ के प्रमुख कस्बे दांता व लोसल में गत ५ वर्षों में सरकार द्वारा कुओं की मरम्मत व एक कुआ खुदवाने के अलावा क्या क्या विकास संबंधी कार्य किये गये ?

(ख) क्या यह सही है कि जनता ने कई विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये श्रमदान व सम्पत्ति दान द्वारा सहयोग देकर सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) (क)—कूओं के अलावा कोई मदद नहीं दी गई।

(ख) नहीं।

श्री भैरूंसिंह—इसका कोई कारण भी हो सकता है कि क्यों नहीं इसके अलावा और कोई मदद दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं कारण तो नहीं निवेदन कर सकता कि क्या परिस्थितियां वहां की रहीं और किन कारणों से यह हुआ।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने कभी जांच भी की है कि सीकर में दांता रामगढ़ तहसील में ही क्यों नहीं विकास कार्यों में पैसा खर्च किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह और जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी कि वहां पर कैसी, क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य को मालूम होगा।

श्री भैरूंसिंह—वहां जहां जिस जिस स्थान पर विकास सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं, क्या वहां काम करने से पहले सरकार निर्णय करती है कि किस किस तहसील में कितना कितना खर्च करके विकास संबंधी कार्य होने चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को पता है कि जहां तक लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स का सवाल है इसका निर्णय वहां के एम. एल. एज. और दूसरे व्यक्तियों की जिला कमेटियां बनी हुई हैं और जो यह निर्णय किया करती हैं कि कहां कहां, क्या क्या डेवलपमेन्ट का काम होना चाहिये। जब यह मुझे पता नहीं कि वहां इस काम में क्या दिक्कतें आई हैं, मैं मालूम करूंगा।

श्री भैरू सिंह—लोकल डवलपमेन्ट वर्क्स से शायद यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा और जितने भी डेवलपमेन्ट के काम हैं और दूसरी पंच वर्षीय योजना में, वे डेवलपमेन्ट के वर्क भी इस तहसील में क्यों नहीं हुए, यह मैं जानना चाहता हूं। इनमें से कोई भी काम वहां न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पंचवर्षीय योजना का जहां तक सवाल है, जो काम इसके अन्तर्गत हुये हैं वे तो हुए ही हैं। आप पूरी सूची इसकी ले लें। जैसे प्राइमरी स्कूल खुलने को थे, वे निश्चित तौर से खुले हैं। सडकों के बारे में भी, वे भी पंचवर्षीय योजना के अनुसार वहां पहुंच रही हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार वहां तक जो पहुंचने की हैं वे पहुंचेगीं और तब यह काम भी हाथ में लिया जावेगा।

श्री भैरू सिंह—मेरा प्रश्न यह है तहसीलों में विकास सम्बन्धी कार्य कराने से पूर्व राजस्थान सरकार जिला व तहसील वाइज इस प्रकार की एक सूची तैयार करती है कि अमुक तहसील और जिले में अमुक विकास सम्बन्धी काम इस संबंध में करना है तो ऐसे क्या कार्य इस तहसील में किये जाने का तय हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो इसकी जानकारी प्राप्त की गई थी सभी जगहों से और इसी के मुताबिक सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५५

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५६

ग्राम रामजीपुरा (तहसील दांता रामगढ़) की श्मशान भूमि पर एक कृषक द्वारा काश्त करना

श्री भैरू सिंह (१६)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—(क) क्या ग्राम रामजीपुरा (तहसील दांता रामगढ़) की श्मशान भूमि को वहां के एक काश्तकार ने काश्त कर लिया है और स्थानीय जनता ने इसकी शिकायत सम्बन्धित तहसीलदार एवं कलेक्टर को की है ?

(ख) क्या यह सही है कि उस जमीन को अभी तक सरकारी अधिकारियों ने उक्त काश्तकार से मुक्त नहीं कराया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी हां, सम्वत् २००८।

(ख) जी हां।

(ग) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १८३ के अनुसार उसकी बेदखली के ऑर्डर हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, १५७।

प्रश्न संख्या १५७

इस वर्ष भीलवाडा जिले में खोले जाने वाले सामुदायिक विकास खण्ड एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

रावत श्री शंम्भुसिंह—क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(क) भीलवाडा जिले की किस किस तहसील में इस वर्ष सामुदायिक विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोल देने का निर्णय किया गया ?

(ख) निर्णीत तहसीलों में कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) भीलवाडा जिले की मांडल तहसील में इस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोल दिया गया है।

(ख) निर्णीत तहसील में कार्य २ अक्तूबर, १९५६ से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

रावत श्री शंभुसिंह—इस सिलसिले में जो कार्य प्रारम्भ किया गया है, उसमें अफसर कौन मुकर्रर किया गया है और किसके तत्वाधान में यह काम कराया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे अफसर का नाम तो ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं इस पूरक प्रश्न की आशा नहीं करता था कि अफसर का नाम भी पूछ लिया जावेगा। दरअसल में कब काम शुरू किया गया इसके जवाब में स्वयं ही इसका उत्तर पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा ख्याल है श्री देशमुख नियुक्त किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, १५८।

प्रश्न संख्या १५८

वृन्दावन में स्थित जयपुर मन्दिर को उत्तर प्रदेश सरकार को देने सम्बन्धी योजना एवं उसकी शर्तें

महाराजा श्री केशरीसिंह—Will the Devasthan Minister be pleased to state:—

(*a*) Whether the Government is contemplating to hand over the Jaipur Mandir at Brindaban to the U. P. Government ?

[महाराजा श्री केशरीसिंह]

(b) If so, what are the terms arrived at ?

(c) What is the actual yearly income and expenditure of this Mandir ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(a) Yes.

(b) No final decision has yet been arrived at.

(c) The grant-in-aid given by the Government is Rs. 9,474/- excluding rent of the buildings attached to the temple which is a temporary source of income to the temple. The annual expenditure incurred on the management and bhog of the temple is Rs. 8,292/- only.

श्री केशरीसिंह—Why does the Government want to give this building to the U. P. Government ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Because, as I said no final decision has been taken, but the U. P. Government wants to utilise the building appurtenant to this temple for the use of a hospital, a good big hospital by the Ram Krishna Mission.

श्री केशरीसिंह—Are they prepared to take over the expenses of the temple or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास—They are prepared to take the responsibility for Rs. 9,474/- yearly which is being paid by the State Government.

प्रश्न संख्या १५६

तहसील दांतारामगढ़ में नदियों में आई बाढ़ से हुई क्षति एवं कृषकों को सहायता

श्री भैरूंसिंह (१६)--क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) तहसील दांता रामगढ़ में नदियों में बाढ़ आने के कारण सरकारी जांच के आधार पर किस किस गांव में किस किस प्रकार का कितना कितना नुकसान आंका गया है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि इन बाढ़ों के कारण नदी के आस-पास वाले सिंचाई के कुए और उनके द्वारा सिंचित होने वाली भूमि, सिंचाई व काश्त के लिये बहुत खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव में किन किन के कुए व भूमि खराब हुई है ?

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में वर्णित पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार। द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No 17

श्री दामोदरलाल व्यास--माननीय अध्यक्ष, इस सवाल का जवाब पूरा आ नहीं सका है, इसलिये इसको अगली टर्म पर रख दिया जावे ।

आपने काफी लम्बा चौड़ा ब्यौरा मांगा है, इसलिये वह मुकम्मिल हो नहीं सका है ।

श्री भैरू सिंह--क्या यह बताने की आप स्थिति में हैं कि जिला कलेक्टर की ओर से इसके बारे में एक स्टेटमेंट तैयार किया गया है कि किस गांव में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--वही स्टेटमेंट तो तैयार किया जा रहा है, अभी मुकम्मिल नहीं हुआ है ।

श्री भैरू सिंह--बाढ के बाद में अब क्या किया जावेगा ? वह तो उसी समय करना था ।

श्री दामोदरलाल व्यास--उस वक्त तो एक रफ स्टेटमेंट तैयार किया गया था । पर आप का प्रश्न चूंकि डिटेल में है और काफी बातें विस्तृत बातें आपने पूछ डाली हैं ; वे सब बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं ।

श्री भैरू सिंह--मेरे प्रश्न के भाग (ग) का तो उत्तर दे सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास--कौन से भाग के लिये आपने फरमाया ?

श्री अध्यक्ष--भाग (ग) । राहत पहुंचाने का ।

श्री दामोदरलाल व्यास--जिन गांवों में खराबी हुई है और जो खराबी हुई है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :--

नीमा गांव रघुनाथपुर, पदमा हनुमान, पेमा नानू, बकसाराम, पचास बील फकत व ढाणी वगैरह टूट गये ।

(अश्रव्य)

(भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री भैरू सिंह--रहने दो आप । ठीक है । आगे चलो ।

(हंसी)

राहत के कार्य कहां कहां किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जहां बाढ़ आई वहां कलक्टर ने १७४७) खर्च किया और बाकी लोन व तकावी वगैरह के लिये प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं, जो मंजूर किये जा रहे हैं ।

श्री भैरू सिंह--ये प्रस्ताव कलेक्टर के पास से आने के बाद सरकार के पास कब पेश किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--तारीख तो मुझे मालूम नहीं। पर ग्रेटीचुअस रिलीफ जो था वह तो तुरन्त दे दिया गया। तकावी लोन के अभी मुकम्मिल प्रस्ताव नहीं आये हैं। कलेक्टर को फिर लिख दिया गया है कि लोन की तकावी वगैरह की जिनको आवश्यकता हो और देना वाजिब हो उसके प्रोपोजल भेजें ताकि सरकार उनको स्वीकृति दे दे और सरकार ऐसे प्रोपोजल्स में अमूमन स्वीकृति दे दिया करती है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सारी ही बातें अभी पूछ रहे हैं। The question will not be postponed then.

श्री भैरूंसिंह--पोस्टपोन कर दीजिए साहब।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास--अब रहा ही क्या है साहब ? मैं तो अब स्टेटमेंट भेज दूंगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है वहां कलक्टर को हमने आदेश दे दिये हैं कि वे वहां मदद देने के प्रोपोजल भेजें और जो प्रोपोजल लोन तकावी वगैरह के आते हैं आम तौर से सरकार उन्हें स्वीकार कर ही लेती है।

श्री भैरूंसिंह--दुबारा लिया जावेगा साहब यह तो। लिस्ट पूरी बाकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास--Only (*a*) remains, I will give you a statement.

श्री अध्यक्ष--The member wants to have the best of both the words.

रावत श्री शंभूसिंह।

प्रश्न संख्या १६०

विधान सभा के सदस्यों के निवास के राजकीय प्रवास भवन, सदस्यों के फेमिली क्वार्टर्स में सरकार की ओर से बिजली आदि देने में अभाव

रावत श्री शम्भूसिंह--क्या मुख्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) विधान सभा के सदस्यों के निवास के लिये क्या राजकीय प्रवास भवन और सदस्यों के फेमिली क्वार्टर्स सरकार की तरफ से नियत हैं ?

(ख) क्या दोनों स्थानों की देख रेख और प्रबन्ध व्यवस्था सुपरवाइजर होस्टल और हाउस कमेटी समान रूप से करते हैं ?

(ग) क्या दोनों जगह रहने वाले सदस्यों को बिजली और पानी और फर्नीचर समान रूप से अर्थात् सरकार से दिया जाता है ?

(घ) भाग (ग) का उत्तर यदि 'ना' में है, तो क्या यह बात भेदभाव मूलक नहीं है ?

[redacted]

[रावत श्री शंभूसिंह]

(ङ) क्या बिजली का मीटर लगाने के पहले फेमिली क्वार्टर्स वालों से रुपये लिये जाते हैं ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(च) क्या सरकार इस भेदभाव को दूर कर सबको समान सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) हां।

(ख) हां।

(ग) व (घ) राजकीय प्रवास भवन में बिजली, पानी और फर्नीचर का किराया कमरे के किराये में शामिल है तो फेमिली क्वार्टर्स के किराये में पानी, बिजली तथा फर्नीचर का खर्च शामिल नहीं है इसलिये भेदभाव का प्रश्न नहीं पैदा होता है।

(ङ) हां, फेमिली क्वार्टर्स वालों से सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में २० पये मांगे जाते हैं जो कि बिजली विभाग के नियमानुसार हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूसिंह—माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया कि भेदभाव नहीं है। जब कि उनके किराये में यह शामिल नहीं है तो भेदभाव कैसे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—आर्ग्यूमेंट क्यों ? जो है सो है। नेक्स्ट।

श्री सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया कि एक फेमिली क्वार्टर है और एक होस्टल है और होस्टल और फेमिली क्वार्टर में जो भेद है वह भेद इसमें भी है, (हंसी) इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि सदस्यों के साथ में भेद-भाव है।

श्री अध्यक्ष—The members and the members with family are really different.

(हंसी)

प्रश्न संख्या १६१

भरतपुर जिले के पुराने कृषकों को देख-भाल करने के कारण

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में कई कई सालों के काश्तकारों को कानून के विरुद्ध बिना किसी वजुहात के बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो जिन पटवारी, गिरदावर व तहसीलदारों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

Page No 20

[redacted]

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--जी नहीं। बाकी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजपाल--है कैसे नहीं? तमाम तहसीलों के अन्दर तमाम लोगों को बेदखल किया जा रहा है।

श्री व्यास--माननीय सदस्य अगर कोई खास नाम किसी गांव का, किसी किसान का बतलायेंगे तो जानकारी प्राप्त करके सूचना दी जा सकती है।

श्री तेजपाल--अगर मैं आपको भरतपुर की कोई लिस्ट दूं तो क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री व्यास--आप देंगे तो जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायगी।

प्रश्न संख्या १६२

ग्राम परतापुर (जिला बांसवाडा) की प्राइमरी कन्या पाठशाला की छात्राएं अध्यापिकाएं इत्यादि

श्री धूलजी भाई--क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) बांसवाडा जिला के परतापुर नामक ग्राम की प्राइमरी कन्या पाठशाला की छात्राओं की कक्षा वाइज कुल संख्या कितनी होगी?

(ख) इस कन्या पाठशाला में १९५२ से १९५६ तक कितनी अध्यापिकायें काम करती रहीं एवं वर्तमान सत्र में कितनी अध्यापिकायें कार्य कर रही हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (शिक्षा मंत्री)--(क) कक्षा वाइज संख्या :--

पहली में	२६
दूसरी में	२४
तीसरी में	२४
चौथी में	१०
पांचवीं में	३
कुल योग ..	८७।

(ख) १९५२-५३ में एक अध्यापिका थी व १९५३ व ५४ में दो अध्यापिकायें। ५४-५५ में दो अध्यापिकाएं थीं। ५५ व ५-६ में एक और फिर ५६-५७ में एक है। एक अध्यापिका की नियुक्ति कर दी गई है जो शीघ्र ही ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है।

श्री धूलजी भाई--माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह बताया गया कि १२७ बालिकायें पढ रही हैं और ५२ से वहां एक अध्यापिका काम कर रही है और अभी तक वह काम कर रही है।

श्री सुखाडिया--मैं समझ नहीं पाया। कुल ८७ लड़कियां हैं।

श्री धूलजी भाई—१२७ हैं ।

श्री सुखाड़िया—सिर्फ ८७ हैं।

श्री धूलजी भाई—वहां पर संख्या १२७ है स्वयं वहां से जानकारी लेकर आया हूं । १२७ लड़कियों पर एक अध्यापिका काम कर रही है और बराबर शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं लेकिन फिर भी एक और अध्यापिका नहीं भेजी है वहां पर ।

श्री अध्यक्ष—अब बढा दी गई है ।

श्री सुखाड़िया—एक और अध्यापिका की नियुक्ति कर दी गई है । उनका नाम श्रीमती शान्ता गौरी है ।

श्री धूलजी भाई—वह कब से की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६३

भरतपुर जिले में काश्तकार जमींदारों के झगडे एवं जागीरदारों द्वारा स्टे आर्डर लाकर जमीन पडत रखवाना

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या सरकार को विदित है कि भरतपुर जिले में काश्तकार जमींदारों के झगड़े जमीन के बाबत काफी दिनों से चल रहे हैं और ऐसी जमीनों को जमींदार तनाजे में डलवा कर और स्टे आर्डर लेकर पडत जमीन रखवा देते हैं जिससे भूमिहीन काश्तकार बडे परेशान हैं ?

२. यदि हां, तो ऐसे मामलों में जमीन के पडत न रखे जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) काश्तकारान और जमींदारान में झगड़े जमीन के बाबत जो अदालत में चल रहे हैं वे अभी हाल के ही हैं और समस्त जिलाधिकारियों को इस प्रकार के मुकद्दमात का जल्दी ही फैसला करने के लिये हर माह आदेश दिये जाते हैं जिसके फल स्वरूप किसी भी केस में नामुनासिब देरी नहीं होती है । इस प्रकार के मुकद्दमात में स्टे आर्डर्स बहुत कम दिये जाते हैं । अगर किसी विशेष कारण से स्टे आर्डर दिया भी जाता है तो सुपुर्दकार के वह जमीन सुपुर्द कर दी जाती है ताकि मुकद्दमात के दौरान में वह जमीन पडत नहीं रह सके ।

२. ऐसे मामलों में आम तौर पर कोई जमीन पडत नहीं रहती ।

श्री तेजपाल—क्या मंत्रीजी को मालूम है कि तहसील नदबई, तहसील बयाना और तहसील बेर में काफी जमीन पड़त रही है ?

Page No 22

श्री व्यास––माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त की जायगी। वैसे जनरल सवाल के सिलसिले में जो मालूमात हैं वह बता दिये जाते हैं आपको।

प्रश्न संख्या १६४

गंग केनाल कोलोनी में भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु––क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :––

गंग कैनाल कोलोनी में भूमि के क्रय-विक्रय के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र जिला गंगानगर में विचाराधीन हैं और उन पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)––१६० प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं जिन पर कि कार्यवाही चल रही है।

श्री सन्धु––अभी तक उनको पेन्डिग रखने का क्या कारण है ?

श्री व्यास––नियम के मुताबिक उनकी जांच करनी होती है, इसलिये जांच में टाइम लगता है

श्री सन्धु––क्या यह सच है कि उनकी जांच दो महीने पहले हो चुकी है और फिर भी जमीन नहीं दी जा रही है ?

श्री व्यास––क्या ?

श्री सन्धु––उनकी जांच दो महीने पहले हो चुकी है और उनको जमीन नहीं दी जा रही है।

श्री व्यास––जांच मुकम्मिल नहीं हुई।

श्री सन्धु––क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि फसल खरीफ बहुत ज्यादा काश्त हो चुकी है, फिर भी उस जमीन को एलोट नहीं किया जा रहा है ?

श्री व्यास––सिर्फ १६० प्रार्थना-पत्र रह गये हैं, जिनकी जांच मुकम्मिल होते ही फैसल कर दिये जायेंगे।

श्री सन्धु––क्या सरकार इसके लिये जल्दी आर्डर देगी जिससे कि जांच जल्द मुकम्मिल हो जाय ?

श्री व्यास––जी हां, आर्डर दे दिया गया है कि जल्दी फैसल कर दिये जायं।

प्रश्न संख्या १६५

भरतपुर जिले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं उनमें हरिजनों की संख्या

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भरतपुर जिले में चौथे दर्जे के कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां की गई हैं व उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) यदि शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति नियुक्त नहीं किये गये तो और आगे के लिये सरकार का क्या विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर सन् १९५४ में १२ जगह खाली थीं, उनमें से ६ शिडयूल्ड कास्ट के नियुक्त किये गये थे। १९५५ में चार थीं और चारों ही शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति थे। १९५६ में ८ जगह थीं, उनमें से ३ पर नियुक्त किये गये। इस प्रकार ५०, १००, और ३५ १।२ प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लोग नियुक्त किये गये। लेकिन इसमें कुछ सूचना प्राप्त करना बाकी है।

श्री तेजपाल—क्या जो माननीय मंत्रीजी जानकारी दे रहे हैं, वह सही मायने में सही जानकारी है क्या ?

श्री सुखाड़िया—जो कुछ में जानकारी दे रहा हूं वह सही ही है।

श्री तेजपाल—मेरी जानकारी में ५४-५५ में ४ आदमी लगाये गये हैं भरतपुर में। एक सहकारी विभाग में, एक एग्रीक्लचर विभाग में, एक नदबई के अन्दर ......

श्री सुखाड़िया—प्रश्नकर्त्ता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ५५ के लिए मैंने ४ ही कहे हैं।

श्री तेजपाल—और मैं ५४-५५ के लिये कह रहा हूं कि केवल ४ ही हैं।

श्री सुखाड़िया—५४-५५ को मिलाकर १० ही हैं।

श्री तेजपाल—मेरी जानकारी में केवल ४ हैं।

श्री सुखाड़िया—आपकी जानकारी में हैं तो क्या ?

प्रश्न संख्या १६६

सरकार द्वारा गंग कैनाल कोलोनी में बसने वाले लोगों पर भाखड़ा क्षेत्र में भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार ने गंग कैनाल कोलोनी में बसने वाले लोगों पर भाखरा क्षेत्र में जमीन खरीदने पर पाबन्दी लगा रखी है ?

Page No 24

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सन्धु—क्या गंग कैनाल कोलोनी में रहने वाले लोगों के साथ ही वही बर्ताव किया जायगा जो गंगानगर जिले के लोगों के साथ किया जा रहा है ?

श्री व्यास—नियम बना दिये गये हैं कि पहले जमीन भाखरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दी जायगी, उसके बाद में गंग कैनाल कोलोनी में रहने वालों को दी जायगी ।

श्री सन्धु—क्या यह सच है कि बीकानेर और चुरू जिले के बाद में गंग केनाल कोलोनी को जमीन दी जायगी ?

श्री व्यास—जी हां ।

श्री सन्धु—गंग केनाल कोलोनी के लोगों को गंगानगर जिले के लोगों के साथ में क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री व्यास—मैंने अर्ज किया कि जो ऑलरेडी भाखरा क्षेत्र में रहते हैं वहां के लेन्डलेस टीनेन्ट्स को जमीन देने के बाद जो जमीन बचेगी वह चुरू और बीकानेर के लेन्डलेस टीनेन्ट्स को दी जायगी और उसके बाद में गंग केनाल कोलोनी के लोगों को दी जायगी ।

श्री सन्धु—गंग कैनाल कोलोनी में भाखरा में बसने वाले लोगों को बसा दिया गया है और अब कोलोनी वालों को दूसरी जगह जमीन नहीं दी जायगी क्या ?

श्री व्यास—मैं समझ नहीं पाया ?

श्री सन्धु—भाखरा के आदमी वहां बसा दिये गये हैं और जमीन गंग कोलोनी वालों को नहीं मिलेगी, इसका क्या कारण है ?

श्री व्यास—भाखरा के रहने वालों को जमीन दी जायगी ।

श्री सन्धु—उनको तो पहले ही दी जा चुकी है गंग कैनाल कोलोनी में और अब गंग कैनाल कोलोनी वालों को दूसरी जगह जमीन देने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ।

श्री व्यास—गंग कैनाल कोलोनी में बसाने का प्रश्न नहीं है । वहां जो जमीन एवेलेबल थी, उस पर लेन्डलेस टीनेन्ट्स को एलॉट किया गया है ।

श्री सन्धु--क्या सरकार उनको इजेक्ट करके भाखरा में बसा देगी जो कि भाखरा कोलोनी के लोग गंग केनाल कोलोनी में बस चुके हैं ?

श्री व्यास--किसी किसान को इजेक्ट नहीं किया जा सकता है।

श्री सन्धु--उसका मतलब यह हुआ कि गंग कैनाल कोलोनी के लोगों को बसाने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

श्री व्यास--प्रबन्ध किया जा रहा है। नियम बना दिये गये हैं और जो जमीन बाकी रहेगी उस पर लोगों को आबाद किया जायगा।

श्री सन्धु--जो गंग कैनाल के रहने वाले हैं ......

श्री अध्यक्ष--श्री चांदमल मेहता।

श्री मोतीराम चौधरी--आपने ऐसा कानून बना दिया है कि गंग केनाल कोलोनी में जो भूमिहीन किसान हैं उनको भाखरा एरिया में, समूचे एरिया में जमीन नहीं दी जायगी जब तक वहां के लोगों के दरख्वास्तें पर विचार नहीं किया जायगा ?

श्री व्यास--नियम बनाकर गजेट में छाप दिये गये हैं, कृपया उनको देख लें।

श्री मोतीराम चौधरी--ऐसा अगर कोई विचार कर लिया है तो गंग केनाल कोलोनी के भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिलने वाली है।

मैं यह चाहूंगा कि क्या सरकार इस नियम को बदल देगी। गांवों में किसान रहते हैं, जो भाखडा में किसान हैं उसी तरह से गंग कैनाल के किसानों को मान कर उन पर भी विचार किया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इस प्रकार की शिकायत दो-चार दिन पहले लोगों ने पेश की थी। क्या फैसला होगा, यह मैं इस समय बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७

किशनगढ़ स्थित पंचमुखी हनुमानजी के मन्दिर का प्रबन्ध कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अन्तर्गत

श्री चांदमल मेहता--क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) किशनगढ स्थित पंच मुखी हनुमानजी के मंदिर का प्रबन्ध कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत कब से है ?

(ख) उक्त मंदिर के लिये सेवा पूजा आदि के लिये कितना रुपया प्रतिवर्ष स्वीकृत है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) पिछले दो वर्षों में कितना कितना रुपया सेवा पूजा के लिये कब कब दिया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि चालू वर्ष का स्वीकृत पया नहीं दिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों व कब से नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) पंच मुखी हनुमानजी का मन्दिर कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में संवत् १६६८ से है।

(ख) सेवा पूजा के लिये ४२० रुपये और जाजम पडदा के ५० रुपये कुल ४७० रुपये वार्षिक बजट में रखे जाते रहे हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

संवत् २०११

तारीख १-८-५४	..	..	..	२१० रुपया।
तारीख १-६-५६	..	..	..	२१० रुपया।
तारीख १-११-५४	..	..	..	५० रुपया।

संवत २०१२

तारीख ११-१-५६	..	..	..	२८० रुपया।
				१४० रुपया।
				४२० रुपया।

(घ) चालू वर्ष में अभी तक ३० रुपये दिए गये हैं।

(ङ) कोर्ट आफ वार्ड्स में तहसील द्वारा आमदनी अभी तक नहीं आई है, जिससे आगे अदायगी नहीं हुई जिसके लिये जांच की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस मन्दिर की जो रिजर्व रकम मौजूद है उसमें से सेवा पूजा के लिये रकम नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रिजर्व रकम की मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जैसा अर्ज किया कि आदेश दे दिये गये हैं रकम वसूल करके भेजी जाय। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अगर रिजर्व रकम होगी तो फौरन आदेश दे दिये जावेंगे कि रकम दे दी जाय।

श्री चांदमल मेहता—रकम नहीं देने से उक्त मन्दिर की सेवा पूजा बन्द हो गई थी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है। सेवा पूजा होती रही है। हर वर्ष रकम दी जाती है। देरी हो गई उसका कारण मैंने बता दिया।

श्री चांदमल मेहता—हर साल देने का क्या तरीका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने तारीख बता दी, रकम बता दी और बजट के माफिक उनको रकम दे दी जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रकम वर्ष के खत्म होने पर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आपको तारीखें बतादीं, १-८-५४ वगैरह ।

श्री चांदमल मेहता—सरकार ने जो प्रोपोज की हुई रकम है, वह तिमाही, छमाही या वार्षिक किस तरह से देनी रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है कि तिमाही या छमाही । बजट में प्रोविजन है और उसी तरह से रकम दी जाती है । क्या तरीका है इसके लिये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रुपया होते हुए भी और पुजारी के बार बार मांग करने पर भी अधिकारी लोगों ने इसलिये नहीं दिया कि वे उसमें से मुआवजा चाहते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गलत है, मैंने यह बताया था कि वसूली नहीं हुई थी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी जांच कराने के लिये तैयार हैं कि पोत होते हुए भी रकम नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पोते रकम होगी तो शीघ्र दे दी जावेगी । मैं जानकारी करूंगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जांच कराने के लिये तैयार हैं कि पोत रकम होते हुए भी नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जानकारी करने का मतलब ही यह है कि जांच करायी जावगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६८

गंगानगर कोलोनी से स्थायी अलोटमेंट के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर कोलोनी से परामानेन्ट अलॉटमेन्ट के संबंध में दिये गये कितने प्रार्थना पत्र कितने समय से सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—गंगानगर कोलोनी में परमानेन्ट अलॉटमेंट के संबंध में १६७९ प्रार्थना पत्र सन् ५५ से प्राप्त हुए थे और उन पर कार्यवाही की जा रही है, उनको टाला नहीं जा रहा है । अलाटमेन्ट की कार्यवाही हो रही है । आरजी काश्तकार........

Page No 28

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं सुन नहीं पाया। उस पर आज तक कार्यवाही न करने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो रूल्स इस अलॉटमेंट के लिये बने थे वे गंग कैनाल अलाटमेंट रूल्स फोर्मर बीकानेर यूनिट के टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बने थे। १५ अक्तूबर से नया टिनेन्सी एक्ट बन कर लागू होगया, उनके अन्तर्गत नये रूल्स बनाये जा रहे हैं। वे फाइनल होते ही लागू कर दिये जावेंगे। अलाटमेंट की मुकम्मिल कार्यवाही हो चुकी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिस समय ये रूल्स बनाये गये थे और एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं तो उस समय टिनेन्सी बिल किस स्टेज पर था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक साल भर चला था। असेम्बली में और सिलेक्ट कमेटी में भी कई महीनों पहले चला; इसलिये किस स्टेज पर था यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन गौर जरूर था उस पर।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब सरकार को मालूम था कि नये एक्ट के मुताबिक एप्लीकेशन्स लेनी होंगी तो पहले अप्लीकेशन्स क्यों इन्वाइट की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुकम्मिल कार्यवाही हो चुकी है। रूल्स जारी होना ही बाकी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वे तो उन रूल्स के मुताबिक ली गई थीं और अब नये रूल्स के मुताबिक क्या नई एप्लीकेशन्स इन्वाइट की जावेंगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या पुराने प्रार्थना-पत्रों पर अलॉटमेन्ट हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६६

किशनगढ स्थित पंचमुखी हनुमानजी के मन्दिर का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि किशनगढ स्थित श्री पंचमुखी हनुमानजी का मंदिर मरम्मत तलब है ?

२. यदि हां, तो उसकी मरम्मत किस वजह से नहीं कराई गई व क्या इस संबंध में उक्त मंदिर के पुजारी की दरख्वास्त तहसील किशनगढ के मार्फत आई है ?

[redacted]

[श्री चांदमल मेहता]

(३) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) जी हां ।

(२) कार्यवाही विचाराधीन है । पुजारी का प्रार्थना पत्र तहसील से कोर्ट आफ वार्डस कार्यालय में भेजा जाना पाया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—यह कब आया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसील से कोर्ट ऑफ वार्डस् में भेजा जाता पाया गया, लेकिन वह प्रार्थना पत्र कोर्ट आफ वार्डस् में उपलब्ध नहीं है इसलिये दूसरा प्रार्थना पत्र मांगा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या दूसरा प्रार्थना पत्र पेश करने के सम्बन्ध में पुजारी को इतला दे दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोर्ट ऑफ वार्डस् ने तहसील को लिखा दिया है कि दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर भेजें ।

श्री चांदमल मेहता—पहले का प्रार्थना पत्र गायब करने के लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह प्रार्थना पत्र मिल नहीं रहा है । किसी पर जिम्मेदारी रखी जा सकती है, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि तहसील से कोर्ट ऑफ वार्ड्स में भेज दिया गया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में मिल नहीं रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—यह कोर्ट ऑफ वार्डस् की जवाबदारी नहीं है कि जब मरम्मत के लिये फन्ड्स् हैं तो फिर मरम्मत क्यों नहीं कराई जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—कोर्ट ऑफ वार्ड्स से ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मरम्मत तलब है और निजी मंदिर में मरम्मत तलब है, इसलिये पुजारी ही ज्यादा बता सकता है ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल उपाध्याय ।

प्रश्न संख्या १७०

रिटायर शुदा सैनिक अधिकारियों को सरकार द्वारा काश्त की भूमि देने सम्बन्धी–विशेषतया तहसील जहाजपुर में

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि सरकार फौजी अधिकारियों को, जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें बसने के लिये काश्त की भूमि दे रही है ?

[redacted]

Page No 30

[श्री रामदयाल उपाध्याय]

(ब) यदि हां तो, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा में कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आये और किन्हें २ को कितनी भूमि दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)--(अ) जी हां । इस संबंध में सरकार ने नियम बना रखे हैं ?

(ब) केवल ६ प्रार्थना-पत्र होंगे जो तहसील में जेर कार्यवाही हैं ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--ये कितने दिन से पडे हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--पडे नहीं है । जेर कार्यवाही हैं, जांच करनी पडती है कितनी जमीन है, कैसी है, दूसरे का उस भूमि पर तो कोई अधिकार नहीं है यह देखना पडता है ?

श्री उपाध्याय--ये प्रार्थना पत्र कितने दिनों से पडे हैं और उन पर कार्यवाही किस स्टेज पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अर्ज किया कि कितने दिन से पेन्डिंग हैं । यह सूचना मेरे पास नहीं है । जांच जो आवश्यक नियम के अन्तर्गत होनी है, वह हो रही है ।

श्री उपाध्याय--कोई स्टेज भी तो होगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास--आप किसी फौजी का नाम बता दीजिये ।

श्री उपाध्याय--सूबेदार धनराम ।

श्री दामोदरलाल व्यास--उसके लिये मैं जांच करके बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष--१६ तारीख के पोस्टपोन्ड क्वश्चन्स हैं । नं० १०४

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं कल जवाब दे दूंगा ।

मैंने पहले अर्ज किया था कि कितनी सूचना प्राप्त हुई है वही जवाब दूंगा ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष--सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :--

श्री रघुराजसिंह (बि. सं. १२१)--दिनांक १५ अक्टूबर से ३१ अक्टूबर ५६ तक ।

श्री विजयसिंह (बि. सं. १५८)--दिनांक १५ अक्टोबर से सत्र के अंत तक के लिये ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष—क्लॉज बाई क्लॉज कंसीडरेशन ग्रोफ राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल, १९५९, क्लॉज २, श्री चांदमल मेहता अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा पहला अमेन्डमेन्ट है उप-खण्ड (४) को लोप करने के संबंध में । उप खण्ड (४) में सरकार की परिभाषा दी गई है । राजस्थान विधान सभा में जनरल क्लॉजेज बिल पास कर दिया है और उसने जनरल क्लॉजेज एक्ट का रूप धारण कर लिया है और उक्त एक्ट में 'सरकार' की डेफिनीशन दी गई है । इस दृष्टि से मैंने इस उप-खंड को लोप करने का संशोधन रखा है ।

श्री भैरू सिंह—पहले उप-खण्ड (४) पर जवाब हो जावें तो ठीक रहे । एक २ लिया जायगा या एक साथ लिया जायगा ?

श्री चांदमल मेहता—एक साथ यदि मूव करने हैं तो मेरे और भी अमेन्डमेन्ट्स हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप जैसा चाहें वैसा करलें । कोनसा तरीका कन्वीनियेंट रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक क्लांज पर जितने अमेन्डमेन्ट्स हैं उन सब को एक साथ ले लीजिये, जैसा पहले करते आये हैं and then I will reply to all the Amendment.

श्री अध्यक्ष—या अलग २ लिया जाय ? (१), (२) और (३) उप-खंड पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है । (४) का जवाब दे दीजिये । (४) (१) और (४) (२) दोनों एक साथ मूव कर दें ।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, उप-खंड (४ ए) में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है "बौद्ध, सिक्ख" शब्दों के बीच में " और " शब्द प्रविष्ट किया जावे और "और जैन" शब्दों को लोप किया जावे ।"

अध्यक्ष महोदय, इस बिल का नाम "हिन्दू" सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक रखा गया है और इस "हिंदू" शब्द में कौन २ शामिल होंगे उसमें बौद्ध, सिक्ख और जैनों का समावेश भी किया गया है । मेरा मतलब "जैन" शब्द को उसमें से निकालने का है । मेरे संशोधन का यह मतलब कदापि नहीं है । कि जैन हिन्दुओं में सम्मिलित नहीं हैं बल्कि मेरा संशोधन यह है कि यह बिल जैन्स के जो रीलिजियस और चेरिटेबल इन्सटिट्यूटशन्स हैं उन पर लागू नहीं किया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, अलग २ धर्मों के जो देवस्थान हैं उनके लिये अलग २ व्यवस्था है और उनके अलग २ उसूल और सिद्धान्त हैं । कुछ धर्मों के देवस्थान ऐसे हैं जिनमें भोग और श्रृंगार को महत्व दिया गया है और कुछ देवस्थान ऐसे हैं जिनमें त्याग और तपस्या को महत्व दिया गया है । जहां भोग और श्रृंगार को महत्व है वहां लाखों

[श्री चांदमल मेहता]

रुपये खर्च होते हैं और उनकी करोडों की संपत्ति होती है, तो जहां इस तरह के देवस्थान हैं उनके बारे में मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि उन पर इस बिल का लागू होना आवश्यक है क्योंकि उनको यह खतरा हो सकता है कि उनमें जो निधि है उसमें किसी तरह की गडबड न हो या उसको बचाने की दृष्टि से यह उन पर लागू होना चाहिये । लेकिन जहां तक जैनों के इन्सटिट्यूशन्स हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भोग और श्रृंगार का महत्व नहीं है बल्कि वहां तो त्याग और तपस्या का महत्व है । उनका बहुत बडा सिद्धान्त है अपरिग्रह याने किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना । इस धर्म को मानने वालों के देवस्थानों में इस तरह का बहुत बडा संग्रह नहीं होता । जहां भोग और श्रृंगार को माननेवालों के स्थान होते हैं उनके पीछे बहुत बडी २ जागीरें होती हैं और उनको बहुत बडी आवश्यकता होती है और वहां पर ठीक ढंग से वसूल होता है या नहीं, इसलिये मंत्रीजी सोच सकते हैं; उन पर नियंत्रण रहे। लेकिन जहां त्याग और तपस्या और अपरिग्रह को मानते हैं वहां जागीरों का मोका नहीं आ सकता।

जहां तक जैनियों का ताल्लुक है वह धर्म दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है । एक साधु समाज को मानता है, उनके केवल एक मात्र स्थानक होता है और कुछ नहीं होता । लेकिन जहां एक दो या तीन जैनों के भी घर होते हैं वहां भी ऐसे स्थानक होते हैं जो साधुओं के ठहरने के अलावा और किसी काम में नहीं आते । वहां ऐसी व्यवस्था होती है कि साधुओं के बैठने के लिये पट्टे होते हैं उनके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी । जो साधु अपरिग्रह को स्थान देते हैं वे वस्त्र तक नियमित रखते हैं । सर्दी में और ठिठुराने वाली शर्दी में भी वे अधिक वस्त्र काम में न लाकर घास में रहना पसन्द करते हैं इसलिये स्थानकों में कोई प्रोपर्टी नहीं होती है । इसी तरह से जैनों का वह हिस्सा जो मूर्तिपूजक है उनमें भी ऐसी ही व्यवस्था है । वहां भी बहुत बडी संपत्ति नहीं होती । यदि कोई संपत्ति होती है तो छत्र चंवर के अलावा कुछ नहीं होती और वहां पर यदि कोई भेंट चढ़ाता है तो बादाम या लोंग जैसी चीज भेंट में चढाई जाती है । तो ऐसे वर्गों में जहां त्याग, तपस्या और अपरिग्रह के साधन को महत्व दिया गया है, उस समाज पर यदि यह बिल लागू होता है तो यह कहना पडेगा कि न केवल उस इन्सटिट्यूशन की व्यवस्था होगी बल्कि बडी भारी हानिकारक चीज होगी । बिल की जो धाराएं हैं उनमें सारी बातें ऐसी हैं कि जो व्यवस्था होने की है उसको अच्छा करने के बजाय उसे छिन्न भिन्न करने की बात है । इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि उद्गम के बारे में जांच करेंगे । यदि जैनियों के उद्गम की जांच करेंगे तो बडी कठिनाई होगी । जैनियों में आम तौर पर आन्दोलन चल रहा है सब जैनी एक हों, क्योंकि आज कई मंदिरों के बारे में आपस में झगडा है कि उद्गम क्या है ? यदि सारे धर्म की बुनियाद पर लग गये तो नतीजा यह होगा, तो उन देवस्थानों की एकता पर बाधा पड़ेगी । जहां तक राजस्थान के बारे में मैंने स्टडी की है मैं यह कहने की स्थिति में हूं दो-तीन मन्दिरों को छोड कर और किसी के पीछे जागीर नहीं है और जहां तक कि दो-तीन मंदिरों का ताल्लुक है उनको बहुत बडी २ जागीरें हैं; उन दो-तीन मंदिरों को छोड कर और कोई ऐसे मंदिर नहीं है जिनके पीछे कोई बहुत बडी जागीरें हों या मिल्कियत हो, संपत्ति हो ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से प्रान्त हमारे मुल्क में हैं जहां जैनियों के बहुत बड़े २ तीर्थस्थान हैं, जिनके पीछे बहुत बडी २ सम्पत्ति है; उन प्रान्तों में भी जैनियों पर ऐसा कानून

[श्री चांदमल मेहता]

लागू नहीं किया गया है । मैं मद्रास प्रान्त की मिसाल-आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । मद्रास प्रान्त में जहां हिन्दुस्थान भर से सबसे ज्यादा देवस्थान जैनियों के हैं और मद्रास विधान सभा हमारे संविधान के पास हो जाने के बाद, सन् १९५१ में इस प्रकार का कानून बना है और उसमें जैनियों को मुक्त रखा गया है । जैनियों के बारे में वहां यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसी धर्म-स्थान पर जो जैनियों का हो सरकार आवश्यक समझे कि इस तरह का नियन्त्रण करना आवश्यक है तो सरकार उस स्थान पर नियन्त्रण कर सकती है, पर इससे पहले सरकार उस देवस्थान के प्रबन्धकों को नोटिस देगी कि वे इस बात का कॉज शो करें कि क्यों न उस स्थान पर सरकार अपना नियन्त्रण लागू कर दे ? उस मिल्कियत के प्रबन्धकगण, अधिकारीगण उस मिल्कियत को खत्म ही करते हों, उस सूरत में ही वह कानून वहां जैनियों पर लागू होता है । मद्रास प्रान्त में जहां सबसे बडी सम्पत्ति जैनियों की है और मद्रास प्रान्त में सबसे ज्यादा तीर्थस्थान जैनियों के हैं, वहां पर भी जैनियों पर यह कानून लागू नहीं किया गया है तो राजस्थान में तो ऐसे तीर्थ स्थान उतने नहीं हैं और राजस्थान में तो एक भी बडी सम्पत्ति वाला धर्म स्थान नहीं है ; तो वहां इस प्रकार का कानून जैनियों पर लागू करना कहां तक न्यायसंगत हो सकता है ? मद्रास ही नहीं और दूसरे प्रान्तों में भी जैनियों के बडे २ तीर्थ स्थान हैं वहां पर भी यही स्थिति है, जैसे उडीसा में भी जैनियों को इस प्रकार के कानून से मुक्त रखा गया है ।

इसलिये मैं बहुत नम्रता के साथ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर बडी गंभीरता से सोचें । जितना जैन समाज की ओर से इस बिल का विरोध हुआ है उतना शायद ही किसी और समाज की ओर से हुआ हो क्योंकि जैन समाज का विरोध एक उसूल पर आधारित है ।

जहां तक जैन श्वेताम्बर संघ का संबंध है उसका देशव्यापी पूरा संगठन है और उनके प्रोविन्शियल संगठन हैं, जहां तक स्थानकों का ताल्लुक है ; जब तक स्थानक की मिल्कियत संघ की नहीं बता दी जाती तब तक कोई साधु उस स्थानक में नहीं ठहरता है ।

दिगम्बर जैनों में यह है कि उस मंदिर की जाजम और दरी तक को यदि कोई आदमी अपने खुद के लिये इस्तेमाल करता है बैठने के रूप में तो उस पर इसका जुर्माना लगता है । ऐसी स्थिति जहां हो वहां इस प्रकार की धारा जैनियों पर कभी लागू नहीं होनी चाहिये ।

इसी तरह जैनियों के जो मंदिर हैं उनके पीछे भी कोई स्थाई आमदनी नहीं है । मूर्ति पूजकों के यहां केवल पूजा की ही स्थाई सम्पत्ति है । वहां पूजा पर बोली लगती है, केसर आदि पर बोली लगती है और इस प्रकार बोली लगाने से जो आमदनी होती है वही मात्र उन मंदिरों की स्थाई आमदनी है । ऐसी सूरत में अगर इस प्रकार का नियन्त्रण लागू किया गया तो जो आदमी देवस्थानों की पूजा की सामग्री पर बोली लगाते हैं, बोली द्वारा मंदिरों को रुपया देना चाहते हैं, वह बंद हो जायगा और इसका नतीजा यह होगा कि इन देवस्थानों का इतना बडा खर्चा चलता है वह तो बन्द होगा ही, साथ ही उन देवस्थानों, धर्मस्थानों की मरम्मत भी होनी बन्द हो जायगी । कोई स्थाई सम्पत्ति नहीं होने की हालत में अगर यह कानून जैनियों पर लागू किया गया तो जो जैनियों के बडे २ ऐतिहासिक देवस्थान हैं उनकी मरम्मत तक होनी भी बन्द हो जायगी ।

[श्री चांदमल मेहता]

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस धारा के बारे में गम्भीरता से सोचें और इस निगाह से सोचें कि इससे कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है और इस और इस प्रकार गम्भीरता से सोच कर जैनियों को इससे मुक्त रखा जाय । आगे जाकर मैं इस तरह का अमेन्डमेन्ट मूव करूंगा कि जैनियों के देवस्थानों के बारे में भी अगर कोई शिकायत हो तो जैनियों पर भी यह लागू हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—रावत श्री शंभूसिंह ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, उप-खंड (४) (ए) में मेरा संशोधन इस प्रकार है : इस सारे के सारे उप-खंड (४) (ए) को विलोपित कर दिया जाय । इस संशोधन का सम्बन्ध उप-खंड (१) पर संशोधन पेश किया उसके बाद के संशोधन आये हैं, उनसे है ।

जहां इसका शीर्षक है वहां मैंने यह बात रखी है कि इसमें "हिन्दू" शब्द जो है उसको विलोपित कर दिया जाय। इससे मेरा प्रयोजन यह है कि अव्वल तो मैं जिस रूप में यह विधेयक हमारे सामने आया है और सारे विधेयक को ही अनावश्यक और दोषपूर्ण विधेयक मानता हूं परन्तु यदि संशोधन होने के बाद जैसे कि कई माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं, उनके स्वीकार होने पर यह बिल निर्दोष रूप में आता है तो इस बिल में जो अच्छी २ बातें हैं, धार्मिक प्रन्यासों की अवस्था व व्यवस्था को सुधारने के इतने सततप्रयत्न होते हैं तो उन अच्छी बातों से कोई भी समाज वंचित न रह जावे इसलिये मैंने यह (४) (ए) का क्लॉज है," हिन्दू में बौद्ध और जैन शब्द भी सम्मिलित हैं," मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि जैन शब्द निकाल दिया जावे परन्तु मैं तो हिंदू शब्द को ही निकाल देना चाहता हुं ताकि यह निर्दोष रूप में पास हो तो इससे अच्छी बातें जो होने वाली हैं उनसे कोई समाज का वर्ग वंचित न रह जावे ।

आम तौर से यह बात कही जाती है कि जो भी बात की जाय वह सांप्रदायिक आधार पर नहीं की जानी चाहिये, तो इसमें यदि हिन्दू शब्द रखा जाता है तो हमारी मान्यता है कि यह सांप्रदायिकपन होगा अतः इस सांप्रदायिकपने से छुटकारा दिलाने के वास्ते इसमें से 'हिन्दू' शब्द निकाल देना आवश्यक है ताकि यह निर्दोष हो तो समाज के सब वर्ग इससे फायदा उठा सकें।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष ,मैं भी इस पर कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, यह हिन्दू शब्द निकालने के लिये जो यह संशोधन रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। इसके समर्थन से मेरा मतलब यह है कि हिन्दू शब्द को निकाल देने से सब पर यह प्रन्यास लागू होगा और यह अच्छा रहेगा क्योंकि किसी भी कानून में डिस्क्रिमिनेशन रहे वह अच्छा नहीं है । यह अच्छा कानून है तो ईसाई, पारसी और मुसलमानों के लिये भी यह लागू होना चाहिये क्योंकि वे लोग भी तो राजस्थान के रहने वाले हैं। इस कानून में यह डिस्क्रिमिनेशन लाने से ही इस बिल का यह विरोध हो रहा है । हिन्दू शब्द निकाल देंगे तो जितने भी राजस्थान में रहने वाले धार्मिक संस्थाओं वाले व्यक्ति हैं उनके लिये यह कानून हो जायगा ।

Page No 35

[श्री जगतसिंह झाला]

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को लाने वाली मोटर को इसलिये दूसरे रास्ते से लाया जाता है कि इस बिल का विरोध करने वाले अपने विरोध का प्रदर्शन इन सदस्यों को अच्छी तरह न बता सकें। इस लिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हिन्दू शब्द को हटा देंगे तो यह कानून सब पर एक प्रकार से लागू होगा और आज आप जो यह विरोध देख रहे हैं वह बन्द हो जायगा। बम्बई में भी इस प्रकार का कानून है उसको देखेंगे तो मालूम होगा, मुसलमान जिनकी मस्जिदों में हजारों-लाखों की सम्पत्ति है, ईसाइयों की चर्च हैं उनमें हजारों की सम्पत्ति है। जैसा हिन्दुओं के मन्दिरो में और मठों में कार्य होता है उसी तरह का कार्य उनके यहां पर भी होता है। अतः जिस कार्य को या धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये हिंदुओं के मठों और मंदिरो के लिये कार्य कर रहे है उसी प्रकार मुसलमानों और पादरियों के धार्मिक स्थानों में भी लागू किया जाए तो कोई एतराज की बात नहीं है। इसलिये ज्यादा अच्छा यह हो कि हिन्दू शब्द को इसमें से हटा दिया जाए। हिन्दू शब्द को हटाने से यह सब पर लागू हो जावेगा। मैं खयाल करता हूं कि माननीय मंत्री इस आवश्यक संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूंसिंह (१६)—खड २ पर मेरा भी संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—आपके ५ और ६ पर हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, दो प्रकार के एमेन्डमेंट्स (४) और (४ए) पर पेश हुए हैं। एक में शब्द जैन को डिलीट करने के लिये कहा गया है और इसके लिये बहुत से कारण बताये गये और बहुत से आर्गुमेंट दिये गये हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि या तो इस बिल को बहुत गलत समझा जा रहा है या गलत समझाने के लिये गलत धारणाएं बन गई हैं, वर्ना इस बिल का कोई यह मतलब नहीं है जो निकाला जा रहा है। कोई यह समझे कि यह फौरन सब मन्दिरों पर लागू हो जायगा, यह मतलब इस बिल का कभी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि इस बिल को लागू करके हर एक चेरिटेबल इन्स्टीट्यूट को सरकार अपने आधीन कर लेगी। मैं आपको सरकार की मंशा को सही माने में अर्ज करना चाहता हूं।

इस बिल को लाने का मतलब सिर्फ यह है कि जितने भी हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास हैं, उनकी प्रोपर्टी है, वह जिस सद्भावना और सद् उपयोग को लेकर बनाया गया है उसका सदुपयोग हो और किसी भी हालत में उसका दुरुपयोग नहीं हो सके, इसलिये यह बिल लाया गया है। कोई किसी प्रकार की गडबड नहीं कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून आपके इन्टीग्रेटिंग स्टेट्स में भी मौजूद था। कहीं पर एक्ट के फोर्म में था तो कहीं पर नोटिफीकेशन के रूप में था। इसके अलावा जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया तो इसको जितना लिबरल बनाया जाना जरूरी था बनाया गया। आज भी मैं हर उपयोगी सुझाव को मानने के लिये तैयार हूं और यह चाहता हूं कि जिससे कम से कम असुविधा हो। मैं यह कहूंगा कि सरकार को किसी प्रकार के अधिकार की या सरकार के अधिकारी को किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है? मगर सरकार यही चाहती है कि जो ट्रस्ट है उसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग कोई न कर सके। महज इसी उद्देश्य की पूर्ति जहां तक हो सकती हो, मैं इस प्रकार के हर एमेन्डमेन्ट को मानने के लिये तैयार हूं। इसमें यह

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कहा गया है कि हर मन्दिर पर यह लागू किया जावेगा। मैंने अर्ज किया कि जिस प्रकार से यह सिलेक्ट कमेटी से निकल कर आया है उसमें गवर्नमेन्ट का कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया है। यह एडवाइजरी कमेटी के हाथ में रखा गया है और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि छोटे मन्दिरों पर यह लागू नहीं होगा। जिस वक्त हम क्लॉज १ को लेंगे उस वक्त माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे कि मैं इस क्लॉज १ को इस तरह संशोधन के रूप में पेश कर सकूंगा, कि जब यह एक्ट बन जावेगा तो उसके बाद सब क्लॉज (३) इस प्रकार रख दिया जावेगा :—

"यह धारा और धारा १५ ए तुरन्त प्रवर्तन में आयेगी तथा इस अधिनियम की अन्य धारायें हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के किसी वर्ग पर ऐसी तारीख को, जिसका के राजस्थान सरकार राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश करें, लागू होगी किन्तु शर्त यह है कि ऐसी विज्ञप्ति के प्रकाशन के पहले उसका आलेख, उससे प्रभावित होने वाले सर्व व्यक्तियों की जानकारी के लिये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा और उसके साथ एक सूचना प्रकाशित की जायगी जिसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिसको या जिसके बाद आलेख पर विचारणा की जायगी और जिसके पहले आपत्तियां अथवा सुझाव लिये जायेंगे।"

जब सरकार खास तौर से धारा (१) सब-क्लॉज (३) के साथ इस शर्त पर मन्जूर करने के लिये तैयार है तो मेरा यह विचार है कि हर एक मन्दिर पर इसको फौरन लागू कर दिया जावेगा और रजिस्ट्रेशन कर दिया जावेगा ऐसी बात नहीं होगी और खास तौर से जब धारा १ सब-सेक्शन (३) के साथ एमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। यह हर मन्दिर पर लागू नहीं होगा। मगर खास मन्दिर जिनको सरकार मुनासिब उनके समझेगी नाम प्रकाशित करेगी और उस मन्दिर के ट्रस्टीज या उस मन्दिर में दिलचस्पी रखनेवाले जितने भी लोग होंगे उनको ओब्जेक्शन पेश करने का मौका दिया जावेगा और उनके ओब्जेक्शन सुनने के बाद यह कानून उन मन्दिरों पर लागू किया जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह गलत धारणा बनती जा रही है कि सरकार हर मन्दिर या स्थानिक पर यह लागू कर देगी। माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैं यह एमेन्डमेन्ट मानने के लिये तैयार हूं और मेरी माननीय सदस्य से बाहर बात चीत हुई और मैंने उन्हें बताया कि इस प्रकार का एमेन्डमेन्ट ला रहे हैं तो फिर भी उन्होंने मेरी उस बात को एप्रीशियेट नहीं किया और एमेन्डमेन्ट को प्रेस किया मेरी समझ में नहीं आता कि उनका क्या मकसद है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह कोई मंशा नहीं है कि हर मन्दिर या स्थानक या हर धार्मिक स्थान पर यह स्वतः ही लागू हो जावेगा। मगर होगा यह कि सरकार ने जैसा तय किया है पहले उनके लिये प्रकाशित किया जाएगा और उनके ट्रस्टीज से या दिलचस्पी रखनेवालों से ओबजेक्शन मांगा जाएगा और उनके ओबजेक्शन्स आदि को सुनने के बाद सरकार जैसा भी मुनासिब होगा फैसला करेगी और जब सरकार फैसला करेगी तब यह उन मन्दिरों पर लागू होगा। इसलिये यह एप्रीहेन्शन बिल्कुल गलत है।

'दूसरी बात' भीलवाडा जिले से आये हुए माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया कि इसमें से हिन्दू शब्द हटा दिया जावे। मुझे इस बात की बडी खुशी है कि सादडी से आनेवाले माननीय सदस्य ने

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इसका समर्थन करते हुए इस बिल को अच्छा कहा और यह कहा कि यह अच्छा कानून सब पर लागू हो, उनकी यह मंशा है। इस बिल का एप्रीसियेशन तो करते हैं।

श्री जगतसिंह झाला—मैंने यह नहीं कहा कि बिल अच्छा है। मैंने यह कहा कि 'हिन्दू' शब्द हटा दिया जाए तो अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मगर इस बात को भूल गये कि मुसलमानों के लिये पहले से ही वक्फ एक्ट पास कर दिया गया है और मुसलमानों के जितने भी इन्स्टीट्यूट्स हैं उस वक्फ की तहत में कार्यवाही कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जब यह सैन्टर लेजिस्लेशन से पास किया हुआ मुसलमानों के लिए एक्ट है तो इसको फिर यहां पर दुबारा किस तरह से लागू किया जा सकता है? बम्बई की बात कही जाती है, वहां पर सन् ५० में सैन्टर का लॉ है।

परबतसर से आने वाले सदस्य ने खंड दो के सब-सेक्शन (४) को इसलिये डिलीट करने के लिये कहा है कि सरकार की डैफीनीशन है उसको डिलीट कर दिया जावे। क्योंकि जनरल क्लाज में इसकी डैफीनीशन मौजूद है इसलिये अलग से इसकी डैफीनीशन कानून में करने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं यह कहूंगा कि वह गवर्नमेन्ट की डैफीनीशन नहीं है, वह है स्टेट गवर्नमेन्ट की। मगर इस बिल में महज 'सरकार' लिया गया है, राज्य सरकार शब्द नहीं लिया गया है। अगर उसको वैसे ही लिया जाता तो बीसियों एमेन्डमेन्ट लाने पड़ते, इसलिये उनको एवोइड करने के लिये यह रखा गया है। इसलिये मैं इस सुझाव को स्वीकार करना ठीक नहीं समझता। इसलिये 'सरकार' की डैफीनीशन जिस तरह से है वैसे ही रहनी आवश्यक है।

इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि (४) और (४) (ए) पर जो एमेन्डमेन्ट पेश किये गये हैं उनको स्वीकार करने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने उत्तर में जो फरमाया उससे मुझे बिलकुल सन्तोष नहीं हुआ। उससे तो और मेरी उलझन बढ़ जाती है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस सिलसिले में फरमाया कि क्लॉज १ के सम्बन्ध में मैं खुद विचार कर रहा हूं, इसको समान रूप से लागू नहीं किया जायगा; जब लागू किया जायगा अलग अलग ट्रस्ट्स के ऊपर अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिये लागू किया जायगा। इससे मेरा सन्देह और बढ़ जाता है। अगर माननीय मन्त्री महोदय यह मानते हैं कि यह एक अच्छा कानून है तो फिर इस प्रकार से अलग अलग नोटिफिकेशन्स के जरिये अलग अलग ट्रस्ट्स के ऊपर अलग अलग समय लागू करने की क्या वजह है? जहां तक मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय अब हमारे मुताबिक होते जा रहे हैं कि यह कानून हानिकारक है; कुछ कुछ अशों में अवश्य है, ऐसा वे भी मानते हैं। हम इसको जहां पूर्ण रूप से हानिकारक मानते हैं कुछ कुछ अशों में वे भी इसको हानिकारक मानने लगे हैं। अब यह रिलेक्सेशन कि समान रूप से लागू करने का विचार और अब यह कहना कि समय समय पर अलग अलग प्रन्यासों पर नोटिफिकेशन कर लागू किया जायगा; या तो वे स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि इसमें हानिकारक अंश अवश्य है तो जब वे कुछ

[रावत श्री शम्भूसिंह]

अंशों में इसको हानिकारक मानते हैं तो साहस पूर्वक वे यह मानने को तैयार क्यों न होजावें कि यह पूर्ण रूप से हानिकारक कानून है। अगर हानिकारक नहीं तो माननीय मन्त्री महोदय, इसको किसी और वजह से खंडशः लागू करना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा था कि अगर आप इसको हितकर और लाभदायक मानते हैं तो फिर इस हिन्दू शब्द का लोप कर तमाम समाज पर समान रूप से क्यों न लागू किया जाता है? मुझे यह विश्वास है कि इस बिल पर जो संशोधन आये हैं उनमें बहुत से स्वीकार हो जायेंगे। ऐसे संशोधन भी हैं जिनको स्वीकार करके कानून को निर्दोष बनाया जा सकता है। माननीय मन्त्री महोदय, इस पर विचार करके इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे कि यह लाभकारी कानून तामाम समाज पर समान रूप से लागू हो। यह जो मैंने निवेदन किया उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर में कुछ नहीं कहा।

आपने यह जो फरमाया कि सैन्ट्रल लैजिस्लेचर में इस प्रकार का कानून है वक्फ एक्ट, जो एक समाज पर लागू होता है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती। बम्बई के बारे में उन्होंने कहा कि वहां ऐसा कानून नहीं क्योंकि केन्द्रीय कानून पास होने से पहले ही वहां इस प्रकार कानून हो गया था। मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि मध्यप्रदेश में इस प्रकार के प्रन्यासों के लिये कानून है जो सभी समाजों पर समान रूप से लागू होता है, क्यों नहीं स्पष्ट रूप से इस कानून को आप हानिकारक मान लेते; अगर आप इसको सब के लिये लाभकारी मानते हैं तो समान रूप से सब पर क्यों नहीं लागू करते? इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ जवाब नहीं दिया इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को प्रेस करना चाहता हूं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जैन्स के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ आर्गुमेन्ट रखा था उसके सम्बन्ध में कोई जवाब न मिलकर आमतौर पर इस बिल को किस तरह से लागू किया जायगा उसकी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है। यद्यपि मैंने जो मांग अपने संशोधन द्वारा रखी थी वह पूरी नहीं होती फिर भी आंशिक रूप में पूरी होती मानकर किसी हद तक अपने आपको सन्तोष देता हुआ मैं अपने संशोधन (४ ए) और इसी तरह (४) पर दोनों वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चांदमलजी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावत श्री शम्भूसिंह ने रखा उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

Page No 39

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उप-खण्ड (१), (२), (३), (४) और (४) (ए) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उपरोक्त उप-खण्ड स्वीकृत हुए।

(विराम)

उप-खण्ड (५)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री भैरूं सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उप-खण्ड (५) के लिये मेरा संशोधन है कि इस खण्ड का लोप कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, बाकी के जो और मेरे संशोधन हैं वे इसी मतलब से हैं। खण्ड (५), (६), (६) (ए) और (११), सबको एक साथ मूव करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Allowed.

श्री भैरूं सिंह (जारी रखते हुए)—मेरे संशोधन ये हैं। उप-खण्ड (५) का लोप किया जाय। उप-खण्ड (६) में पहली पंक्ति से 'हिन्दू' शब्द लोप किया जाय।

उप-खण्ड (६) (ए) में पहली पंक्ति से 'हिन्दू शब्द' को लोप किया जाय।

उप-खण्ड (११) में दूसरी पंक्ति से जैन, बौद्ध या सिक्ख जाति या उनके इन शब्दों को लोप किया जाय तथा 'हिन्दू' के स्थान पर 'हिन्दुओं के' शब्द रखे जायं। माननीय अध्यक्ष, अभी अभी माननीय राजस्व मन्त्री ने बताया सरकारी दृष्टिकोण। जितने भी मन्दिर मठ और इस प्रकार के धार्मिक स्थान हैं जिनसे धर्म का प्रचार होता है उन सब के ऊपर सरकार के नियन्त्रण की मंशा नहीं है। जहां तक उन्होंने सरकार की मन्शा को स्पष्ट किया वह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार इस बात को पसन्द नहीं करती है, राजस्थान में जितने भी धार्मिक प्रन्यास हैं उन प्रन्यासों के पास जो संपत्ति है किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हू कि सरकार यह तो समझने लगी है कि पैसे का दुरुपयोग न हो इस दुरुपयोग की ओर ख्याल तो जाता है। राजस्थान की जनता को शायद यह मालूम है हमारी सरकार को इस बात की कल्पना नहीं होती, धार्मिक प्रन्यासों के रूप में ही सही हमारी सरकार आज इस प्रकार की मन्शा को प्रकट कर रही है, उसका द्योतक यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह आता है कि यह बिल सारे धार्मिक प्रन्यासों पर लागू हो या केवल जिस तरह से कानून में हिन्दू शब्द की परिभाषा देख रहे हैं या जो हिन्दू धर्म में सम्मिलित है कतिपय धर्म केवल उन्हीं पर लागू हो। सरकार की ओर से जो मन्शा स्पष्ट प्रगट हुई कि धार्मिक प्रन्यासों पर सब पर समान रूप से लागू होना चाहिये। इन्डियन वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

मुसलमानों के लिये यह कानून लागू है, मुसलमानों के लिये उनके जितने भी प्रन्यास हैं उसके लिये कानून बना हुआ है, इसलिये उनके प्रन्यासों के लिये अलग से कानून नहीं बना सकते। बात यह कुछ हद तक समझ में आ सकती है। यह बात नहीं कि राजस्थान सरकार इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती। इन्डियन वक्फ एक्ट के लिये जिस प्रकार एक विज्ञप्ति निकाल कर आप उसे राजस्थान में लागू कर सकते हैं। उसके अलावा संविधान में हमें यह भी अधिकार है कि सरकार चाहे तो अलग से भी मस्जिदों के प्रबन्ध के लिये कानून बना सकती है। लेकिन हमारी सरकार इस बात से सन्तुष्ट है और मुस्लिम धर्म के प्रन्यासों के नियमन के लिये उन पर नियन्त्रण रखने के लिये इन्डियन वक्फ एक्ट की शरण ले रखी है।

बाकी का धर्म हिन्दुस्तान में यदि केवल हिन्दू धर्म ही है जिसके बारे में सरकार सोचती है कि हिन्दू धर्म का ऐसा प्रन्यास है जिनकी सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है, जिनकी सम्पत्ति का कोई रक्षक नहीं, जिनकी सम्पत्ति का कोई रक्षा करने वाला नहीं, और वैसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है तो सरकार के लिये यह अच्छी बात होगी कि उस परिभाषा को वह बढ़ावे।

हमारे यहां हिन्दू धर्म की परिभाषा दो प्रकार से की गई है। एक हिन्दू धर्म को जानने वालों ने, जो रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने हिन्दू कोई धर्म नहीं है, ऐसी व्यवस्था दी है। उन लोगों द्वारा हिन्दू की परिभाषा जहां जहां दी गई है यही है कि हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिमालय से कन्या कुमारी अन्तरीप तक हिन्दू कहलाने का अधिकारी है चाहे फिर वह सनातनी हो, वैष्णव हो, शैव हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिक्ख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो और चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी मतावलम्बी हो। ऐसी स्थिति में सोचना होगा कि हिन्दू शब्द की क्या परिभाषा है। आप भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को हिन्दू कह सकते हैं। हमारे यहां पुराने सारे ग्रन्थों में यही परिभाषा है हिन्दू शब्द की। तो अब सवाल आता है उन समस्त ग्रन्थों के आधार पर हिन्दू शब्द की जो परिभाषा की गई है उसके आधार पर उस परिभाषा का फायदा उठा सकते हैं या नहीं? हिन्दू कोई धर्म नहीं है यह संकेत उन लोगों ने अपने ग्रन्थों में किया है, सिन्धु शब्द का ही अपभ्रंश है। सिन्धु नदी से उस ओर रहने वालों के लिये सिन्धु शब्द का प्रयोग पहले किया जाता था। उसी सिन्धु शब्द का अपभ्रन्श यह हिन्दू हो गया है। वर्ना हिन्दू के नाम पर किसी धर्म की उत्पत्ति का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिये उन इतिहास-वेत्ताओं की राय है कि हिन्दू कोई धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में, कानूनी भाषा में, इस हिन्दू शब्द की एक संकीर्ण व्याख्या करने की अगर हम चेष्टा करेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म के प्रति ही नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति भी हम ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं जो आगे चल कर हमें बहुत बुरी दशा में ढकेल देगा। ऐसी अवस्था में हमें सोचना पड़ेगा कि हिन्दू के नाम पर वैष्णव, सनातनी, जैन, बौद्ध और सिक्ख लोगों पर ही इसे लागू करना है या नेशन के आधार पर प्रत्येक इस प्रकार के सार्वजनिक प्रन्यास पर लागू करना है। आज कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मन्दिरों में ही, मठों में ही या गुरुद्वारों में ही पैसों का दुरुपयोग होता है। मैं तो यह कहूंगा कि मध्यप्रदेश की सरकार ने तो एक सब कमेटी के द्वारा रिपोर्ट ली है कि क्रिश्चियन मतावलम्बी खुले आम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी का हर तरह से प्रचार किया जावे और जितने भी गरीब हिन्दू हैं उनको कन्वर्ट किया जाकर अपने धर्म में प्रविष्ट कराया

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

जावे । उनके इस पैसे का दुरुपयोग वे गरीब आदमियों को बहका कर अपने धर्म बलात उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि हमारे मठ मन्दिर या मस्जिदों का यह दृष्टिकोण नहीं भी होगा और वे कार्यकुशल भी नहीं हैं, आज तो दूसरे धर्म के लोगों को धर्म में परिवर्तित करके अपनी संख्या बढ़ाई जावे। पर क्रिश्चियनिटी वाले इसमें एक्टिव हो रहे हैं। राजस्थान के अन्दर भी उनके इन कारनामों से सरकार चिन्तित है, वह भी सोच रहा है कि किस प्रकार से इन लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया जावे। वैसी सूरत में मैं यही कहूंगा कि यदि आज कहीं धन का दुरुपयोग होता है तो उसका मापदण्ड यह देखना चाहिये कि इस पैसे के दुरुपयोग से कोई आदमी एन्टी नेशनल स्प्रिट तो लोगों में नहीं क्रीएट कर रहा है, लोगों में अराष्ट्रीयता की भावना तो नहीं भर रहा है अगर ऐसा होता है तो हमें सोचना पडेगा कि ऐसे पैसे के दुरुपयोग को भी बन्द कर दें पर इसके विपरीत अगर कोई धर्म आदमी को नेशनल बनाता है, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी, सेवा की भावना पैदा करता है तो उस पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता नहीं। पर जो धर्म दूसरे देशों से आता है और इस देश में एन्टी नेशनल इलीमेन्ट्स की फौज तैयार है, हमारे देश की सारी प्रगति के प्रयत्नों को टारपीडो करने की कोशिश करता है, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं करके, उनके सार्वजनिक प्रन्यासों पर नियन्त्रण न लगाकर जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने वाले लोगों की फौज तैयार करने में जो प्रयत्नशील हैं उन पर पैसे के दुरुपयोग का चार्ज लगाकर इस प्रकार उन पर रोक लगाने के लिये कानून बनाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह हिन्दू शब्द के साथ, हिन्दू धर्म को मानने वालों के साथ और इस देश के नागरिकों के साथ एक प्रकार का सा घोर अन्याय है। वैसी सूरत में हिंदू सार्वजनीन प्रन्यास से तात्पर्य केवल हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिये या उनके किसी वर्ग के लिये सार्वजनिक प्रन्यास से है।

मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि हमें अगर कानून बनाना है तो हमें अपना दृष्टिकोण संकुचित न बनाकर विशाल बनाना चाहिये। हम नियमन करना चाहते हैं कि सार्वजनीन प्रन्यासों में पैसे का दुरुपयोग न हो। तो हमें प्रयत्न यह करना चाहिये कि फिर कोई भी धर्म हो, फिर वह चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला प्रन्यास हो वह इस कानून के सिकंजे से बच न सके अगर वह पैसे का दुरुपयोग करता है तो। सरकार यदि प्रशासनिक तरीकों से इन सारे प्रन्यासों को सुधार सके तो बहुत अच्छा। एक प्रयास तो करे। सफल होगा या नहीं वह प्रयास, यह ईश्वर के हाथ की बात है। पर राइट वे में प्रयास अगर करना चाहती है तो करे। पर इसमें हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं तो यह एक प्रकार की अन्याय की सी चीज होगी और उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो धर्म के नाम पर सरकार के नियन्त्रण में लिये जाने के लिये बाध्य किये जा रहे हैं ।

वैसी सूरत में जहां तक खण्ड ५ का प्रश्न आता है उस खण्ड को विलोप करने का दूसरा कारण भी है। हमने उप-खण्ड (४) (ए) में हिन्दू धर्म की परिभाषा दी है कि हिन्दू में बौद्ध, सिक्ख और जैन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा एक जगह हो गई। अब हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास है इसलिये सार्वजनीन प्रन्यास की परिभाषा देने की जरूरत और हो जाती है। तो बाद में हमें हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास शब्द की परिभाषा और देने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि दोनों बातों का उल्लेख (४) (ए) के उप-खण्ड (९) में आता है। उप-खण्ड (९) में लिखा है :—

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

"सार्वजनीन प्रन्यास से तात्पर्य सार्वजनीन धार्मिक प्रयोजन या पुण्यात्मक प्रयोजन या दोनों के हेतु किसी व्यक्ति या प्रलक्षित प्रन्यास से है तथा इसमें मंदिर, म या कोई अन्य धर्मार्थ दान या पुण्यार्थ दान और किसी धार्मिक या पुण्यात्मक प्रयोजन के लिये अथवा दोनों के लिये निर्मित कोई समिति सम्मिलित है।"

तो इसमें दोनों आ गये। हिन्दू सार्वजनीक प्रन्यास के दो भाग किये गये हैं। एक में हिन्दू और दूसरे में सार्वजनीन प्रन्यास। तो जहां दोनों हैं वहां दोनों मिलकर स्वतः ही हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की मंशा को पूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कोई आवश्यक नहीं कि अलग से परिभाषा और दें। मैं समझता हूं कि कानूनी दृष्टि से भी यह रिडन्डेंट चीज होगी और अगर कोई रिडन्डेट चीज कानून में आती है तो उनमें अन्तर आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें से हिन्दू शब्द को हटाया जाकर यह कानून सार्वजनीन प्रन्यास के लिये है, फिर चाहे वह कोई भी प्रन्यास हो, किसी भी धर्म से संबंधित प्रन्यास हो इस कानून के अन्तर्गत नियमन में लिया जावेगा।

इसी तरह से उप-खंड (११) में मंदिर की परिभाषा दी है। मंदिर की परिभाषा वाले हिस्से के लिये मैंने संशोधन पेश किया है जो इस प्रकार है :—

"दूसरी पंक्ति से 'जैन, बौद्ध या सिक्ख जाति या उनके किसी वर्ग को' लोप किया जाय।"

जहां हमने एक बार हिन्दू की परिभाषा दे दी तो फिर अलग २ लेवल में परिभाषा और देने की आवश्यकता नहीं। अपने आप इनकी (४) (ए) में परिभाषा है और इसमें सभी सम्मिलित हो गये। इसमें ये तीनों जातियां सम्मिलित हो जाती हैं तो फिर ११ में उनकी परिभाषा को रिपीट करना जरूरी नहीं। हिन्दू, जैन, सिक्ख और बौद्ध इन चारों जातियों को या उनके वर्गों को जब आप इसमें सम्मिलित करते हैं तो वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यदि वह सार्वजनीन धार्मिक प्रन्यासों पर नियन्त्रण ही करना चाहती है तो इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। फिर चाहे वह क्रिश्चियन मिशनरीज भी क्यों न हों ? जो हमारे देश में अराष्ट्रीय तत्वों की फौज तैयार कर रही है, उस सारी फौज को रोकने के लिये सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाये।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

सरकार अगर ये इस तरह से पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो इनकी सम्पत्ति भी छीन ले। तो इस प्रकार के सरकार के कदम का स्वागत होगा। पर उनसे उसे डर लगता है और किस कारण डरती है यह कांग्रेस सरकार यह भी मैं बता दूं। कांग्रेस जानती है, मन में वे सभी जानते हैं कि इसमें पैसे का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। कन्वर्शन की कार्यवाही दिन-रात हो रही है। पर कांग्रेस डर रही है कि ट्रावनकोर कोचीन में जहां क्रिश्चियन बहुत हो गये हैं वहां इसका असर बुरा पड़ेगा और कहीं कांग्रेस का राज्य नहीं चला जावे वहां से, इससे डर लग रहा है यहां उन पर हाथ डालने में। वे जानते हैं कि इन क्रिश्चियनों को कन्ट्रोल किया तो इन दो प्रान्तों से कांग्रेस नामक संस्था का नामोनिशान मिट जावेगा। तो उनको जीवित रखने के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के नाम पर, राजनैतिक हथकंडों के नाम पर, दवाइयों के वितरण के नाम पर, कपडा तकसीम करने के नाम पर, हिन्दू को क्रिश्चियन

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

बनाया जावे, हिन्दू से अहिन्दू बनाया जावे, राष्ट्रीय से अराष्ट्रीय बनाया जावे, उन पर अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं उन पर नियमन कर सकते नहीं और कहते हैं हम जैन धर्म पर अ‍ि का‍ करने वाले हैं, बौद्ध धर्म पर अधिकार करने वाले हैं; बौद्धों का चाहे कोई भी मठ हो पर बौद्धों के नाम से मठ हो उस पर अधिकार करने वाले हैं, सिक्खों के गुरुद्वारों पर नियन्त्रण करने वाले हैं ।

बौद्धों का कोई मत हो या नहीं लेकिन बौद्ध के नाम का मत है उसके ऊपर नियन्त्रण करने वाले हैं । मेरी समझ में नहीं आती है । यह दलील । यह सरकार हिन्दू के पीछे क्यों पडी हुई है ? "हिन्दू" से उसको नफरत क्यों है ? सरकार हिन्दू से नफरत करती है और हिन्दू नाम से कानून बनाती है । कोई भी अपने आपको हिन्दू कहता है और भारतवर्ष में रहता है तो वह अपने आपको हिन्दू के नाम से संबोधित करे । इन दोनों बातों के आधार पर सभापति महोदय, आपके द्वारा में माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूं कि आप भी हिन्दू कहलाते हैं और हिन्दू होने का दावा करते हैं, भारतवर्ष के नागरिक होने का दावा करते हैं । हिन्दुओं पर जैसा कि आघात हो रहा है उसको रोकने के लिये वह कम से कम इस कानून को रद्द करें और यदि कानून रद्द नहीं करते हैं तो हिन्दुओं पर क्रिश्चियन मिशिनरीज पर जो आघात हो रहा है उस आघात को रोकने के लियें क्रश्चयन मिशनरीज़ को भी इसमें शामिल करें । यदि नहीं करते हैं तो उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन रखकर हिन्दू धर्म पर आघात कर सरकार अपनी राजनैतिक मनोवृति को सफल की चेष्टा कर रही है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जहां पर "हिन्दू" शब्द का प्रश्न आता है उसमें यह कहकर कि वक्फ एक्ट के मातहत मस्जिदों के लिये एक दूसरा कानून बना हुआ है इसलिये मुस्लिम इसमें नहीं आ सकते, लेकिन मुझे मालूम है कि चर्चेज़ के लिये कोई कानून नहीं है । ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके अन्तर्गत सरकार उन चर्चेज़ और उनके प्रन्यासों को जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है ? उनके पास बडी बडी संपत्ति है और जो बडे गवर्नमेंट आफिसर्स आज क्रिश्चियन्स हैं और जिनके कोई वारिस नहीं होता है वे अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने मरने के बाद चर्चेज़ को दे जाते हैं । वह सारी की सारी संपत्ति चर्चेज की होगी । आज भी कई ऐसे इन्स्ट्रूमेन्ट लिखे हुए हैं । आज उस प्रोपर्टी का मिसयूज़ होता है, कनवर्शन के मामले में उसका मिसयूज होता है । उसको रोकने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज मौका है धार्मिक प्रन्यास की आड में, आज मोका है जैसे कि मध्यप्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बिठाकर उनकी गैरकानूनी हरकतों को कुचलने की कार्यवाही की है, राजस्थान सरकार भी जहां कि धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार है, जहां कि धर्म को सबसे ज्यादा दाद दी जाती है, जिसने कि धर्म के लिये भारतवर्ष का इतिहास बनाया है, तो आज राजस्व मंत्री महोदय इस प्रकार के पुन्य के काम को अपने हाथ में लें कि जहां कनवर्शन हो रहा है वहां कनवर्शन बन्द हो जाय । कानून के अन्दर उन शब्दों का समावेश कर दें । इन शब्दों के साथ मैं सदन से, खास तौर से राजस्व मंत्री से, निवेदन करूंगा कि इन क्रिश्चियन्स को जिनके द्वारा हिन्दू धर्म पर आघात हो रहा है उनको नियन्त्रित करना है, इसलिये "हिन्दू" की परिभाषा को संकीर्ण नहीं बनाते हुए "हिन्दू" शब्द में सबको शामिल कर लेना चाहिये और इस कानून से 'हिन्दू' शब्द हटाने से वह औटोमेटिकली सारे का सारा हो जायगा । यदि आवश्यक होगा तो "गिरजे" की डेफिनेशन और "मिशिनरीज" की डेफिनेशन और देना चाहूंगा । मैं समझता हूं कि यदि इस विचार से एमेंडमेंट होगा तो वैसी व्यवस्था

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

हम कर सकेंगे। यदि कोई कहीं दिक्कत हो, ऐसा कोई एमेंडमेंट नहीं हो, ऐसा कोई विचार नहीं हो, उस कारण से यदि वे चाहते हों कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से भी चाहें तो सदन में भी व्यवस्था लेकर इस कानून में क्रिश्चियन को शामिल करने के लिये दे सकते हैं और सदन उनके इस कदम को स्वीकार करेगी! अन्यथा मैं यही कहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री हिन्दू, जैन, बोद्ध और सिक्ख मंदिरों में जितनी भी संपत्ति है वह नहीं चाहते हैं कि उन मंदिरों में वह संपत्ति रहे। वह संपत्ति उन ५, ६ व्यक्तियों के हाथ में रहे, उन ट्रस्टीज के हाथ में रहे। उनके नियन्त्रण के करने का प्रश्न नहीं आता है। उसकी आगे के अध्याय में चर्चा की जायगी। मैं इस समय यही कहूंगा कि "हिन्दू" शब्द की परिभाषा को संकीर्ण नहीं बनाया जाय। यह चीज अराष्ट्रीय तत्व पैदा करने वाली मनोवृति की परिचायक है। इस प्रकार से क्रिश्चियन्स को इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री सभापति—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति—श्री शम्भुसिंह।

श्री शम्भुसिंह—माननीय चेयरमन महोदय, उप-खंड (५), (६) और (६ए) में मेरा संशोधन इस प्रकार है कि इस उप-खंड में से "हिन्दू" शब्द विलोपित कर दिया जाय। उसके आगे (६ए) को इसमें से विलोपित करने के वास्ते भी मेरा संशोधन है।

श्री सभापति— Your amendment with regard to sub-clause (5) is not admitted because the Select Committee has already deleted it.

श्री शम्भुसिंह—शिरोधार्य है आपका आदेश, चेअरमैन महोदय। (६) और (६ए) के ऊपर मैं अपना संशोधन मूव कर रहा हूं।

माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने अपने संशोधन के ऊपर प्रकाश डालते हुए पहले निवेदन किया था कि इस विधेयक में जहां "हिन्दू" शब्द उप-खंड (४ए) में आया है उसको क्यों विलोपित कर दिया जाय? लगभग उसी प्रकार के तर्क और युक्तियां मैं इस संबंध में भी पेश करना चाहता हूं। माननीय चेअरमेन महोदय, इस कानून को यदि सरकार एक सार्वजनिक हितैषी कानून मानती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं वह इसको पूरे समाज के वास्ते समान रूप से लागू कर दे और जैसा कि हमारे विधान में भी यह स्पष्ट है कि समाज के अन्दर इस प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिये तो, माननीय चेअरमेन महोदय, मैं तो इसको एक डिस्क्रिमिनेटरी और भेदभाव मूलक कानून कहूंगा। अब इसके वास्ते यह कहा जाता है कि मोहमडन्स के वास्ते एक केन्द्रीय लेजिस्लेचर का वक्फ कानून है। हो सकता हो। मगर उस कानून के द्वारा प्रान्तीय सरकार अथवा राजस्थान सरकार को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि यदि इस प्रकार के प्रन्यासों की और अधिक अच्छी व्यवस्था करने के वास्ते सरकारें उचित समझें तो राज्य के वास्ते स्वयं कानून बना

[रावत श्री शम्भुसिंह]

सकती हैं और केवल मोहमडन्स ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी इत्यादि हैं वे भी इस देश में रहते हैं तो ईसाइयों के वास्ते या उनके प्रन्यासों अथवा उनकी संस्थाओं के नियन्त्रण करने के वास्ते कौन सा कानून लागू है ? क्या सरकार के ध्यान में है कि ईसाई अपनी संस्थाओं के द्वारा उन कार्यों अथवा उन प्रवृतियों को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं जो कि राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियां कहीं जा सकती हैं ? माननीय चेयरमेन महोदय, कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि मध्यप्रदेश ने गोंडवाने की तरफ जब इस प्रकार की मांग की गई थी कि यहां पर ईसाई स्थान कायम किया जाय और जैसा कि आप रात-दिन अखबारों में देखते हैं कि अलग नागाक्षेत्र बनाया जाय और इसके लिये वहां चारों तरफ अशान्ति हुई है उसमें भी ईसाई मिशिनरियों का हाथ बताया जाता है। तो इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों के होते हुए भी जहां कि हिन्दू प्रन्यासों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है उन प्रन्यासों और उन स्थानों को नियन्त्रण में लाने के वास्ते सरकार इतनी चिन्ताग्रस्त है, परन्तु उन संस्थाओं को जो ईसाईयों के द्वारा संचालित की जाती हैं और उनमें खुल्लमखुल्ला राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियां काम में लाई जाती हैं, उनके नियन्त्रण के वास्ते सरकार क्या कर रही है ? माननीय चेयरमेन महोदय, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक संदेह घर करता जा रहा है, ये सब बातें हो जाने के बावजूद भी सरकार अपने मत में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहती हैतो फिर स्वभाविक रूप से यह संदेह पैदा होता है कि हिन्दुओं के अलावा मुस्लिम व क्रिश्यिन्स इत्यादि की कुछ संपत्ति जो है उनको सरकार अपने हित में वोट लेने के लिये यह छूट देना चाहती है। इस वक्त चुनाव का समय आया तो अपना वोट उनके पक्ष में देकर इस तरह से उनके पक्ष में वह काम करेंगे ।

तो चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें उप-खंड (५),(६) एवं (६ए) में जो "हिन्दू" शब्द है उसको विलोपित कर देना चाहिये ताकि यदि यह वास्तव में अच्छा कानून है तो इसका लाभ समान रूप से सब को ही मिल सके और ईसाइयों के वास्ते भी हमारे देश के अन्य राज्यों ने सब कमेटियां नियुक्त की थीं और उनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनसे स्पष्ट है कि उनके द्वारा राष्ट्र विरोधी कार्यवाही होती है। तो इन संस्थाओं पर नियन्त्रण करना और भी आवश्यक हो जाता है। पर हमारी समझ में नहीं आता है कि उन पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जाता है ?

अगर चेयरमेन महोदय, आपकी इजाजत हो तो उप-खण्ड (९) और उप-खंड (११) में जो मेरा संशोधन है वह भी प्रस्तुत कर दूं ?

(मौन स्वीकृति के पश्चात्)

तो चेयरमेन महोदय, मैं उप-खंड (९) और (११) भी पेश कर देना चाहता हूं 'माननीय चेयरमेन महोदय, उप-खंड (९) है वह वर्तमान रूप में इस प्रकार है, "सार्वजनीन प्रन्यास' (Public trust) से तात्पर्य सार्वजनीन धार्मिक प्रयोजन या पुण्यात्मक प्रयोजन या दोनों के हेतु किसी व्यक्त या प्रलक्षित प्रन्यास से है।" उससे आगे चल कर "तथा इसमें मंदिर, मठ या कोई अन्य धर्मार्थ दान या पुण्यार्थ दान और किसी धार्मिक या पुण्यात्मक प्रयोजन के लिये अथवा दोनों के लिये निर्मित कोई समिति

[रावत श्री शम्भुसिंह]

(सोसाइटी) सम्मिलित है ।" इसमें मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि पंक्ति ३ के शब्द "प्रन्यास से है" के आगे की इबारत विलोपित की जाय। इससे मेरा मतलब यह है कि धार्मिक प्रयोजन या पुण्यात्मक प्रयोजन को ले लिया गया है तो फिर विशेष रूप से मठ, मंदिर या कोई अन्य धर्मार्थ-दान या पुण्यार्थ-दान के लेने की क्या आवश्यकता है ? माननीय चेयरमेन महोदय, मन्दिर और मठ की सुव्यवस्था करने के वास्ते सरकार यह कह सकती है, परन्तु सरकार अपने विभाग में किस प्रकार से सुव्यवस्था कर रही है ? कहीं इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए इन मठों के वास्ते अथवा इन मंदिरों के वास्ते सरकार पहुंच गई तो फिर इन मठों और मन्दिरों का तो ईश्वर ही मालिक है। माननीय चेयरमेन महोदय, रातदिन सरकार में जिस प्रकार के स्केन्डल्स और एम्बेजलमेन्ट इत्यादि की जो बातें सुनने में आती हैं उनसे स्पष्ट रूप से दीखता है कि सरकार का जो प्रबन्ध हो रहा है वह जनता की सम्मति में संतोषजनक नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से यह सार्वजनिक धन का अपव्यय अथवा दुरुपयोग हो रहा है उसको देखते हुए हमें सन्देह होता है कि यदि इन मठों और मन्दिरों की व्यवस्था भी इस सरकार के हाथ में दे दी जावेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है......

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेयरमेन, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

रावत श्री शम्भूसिंह—तो चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कहीं उसी प्रकार से इन मंदिरों और मठों में जो सम्पत्ति है और जो धन सुरक्षित है उनका दुरुपयोग और अपनी कुनबा परवरी के काम में न होने लग जावे।

जब इस राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था तो यहां के भिन्न भिन्न राज्यों ने इसमें अपने बचे हुए धन को रखा था और वह धन करोडों की संख्या में इस राज्य को एक धरोहर के रूप में दिया गया था, परन्तु इस राज्य सरकार की सुव्यवस्था का एक उदाहरण है कि आज करोडों की बचत का जो धन था वह खतम होने के बाद ओवर ड्राफ्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का लोन इस सरकार पर है। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था इन मठों और मन्दिरों की होने लगेगी तो इन मठों की जो सम्पत्ति है उसका दुरुपयोग होकर एक दिन वह न आ जावे कि इन मठों और मन्दिरों के प्रबन्ध के वास्ते किसी का मुंह देखना पडे।

तो चेअरमेन महोदय, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जहां तक पुण्यात्मक और धार्मिक प्रयोजन के वास्ते कोई ट्रस्ट है उनका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले तो इसे संशोधित और अमेन्डेड कानून के अनुसार तो फिर भी लाया जा सकता है परन्तु मन्दिरों और मठों का प्रबन्ध हम किसी भी प्रकार से सरकार के हाथ में नहीं सौपना चाहते और उसके आगे उप-खण्ड (११) में जो मन्दिरों के बाबत इबारत है उसको पूरा का पूरा विलोपित करने के लिये सशोधन रखा है उसका तात्पर्य यह है कि हम कदापि सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे मन्दिरों में इस प्रकार से हस्तक्षेप हों और मन्दिरों के द्वारा जो कुछ लाभ हम प्राप्त करते हैं उस लाभ से वंचित रह जावें। अतएव चेअरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो ये संशोधन रखे हैं माननीय मन्त्रीजी अवश्य उनको स्वीकार करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापतिजी, दांतारामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन उप-खंड (५), (६), (६) (ए) और (११) पर प्रस्तुत किये हैं मैं उनके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं। इस धारा में जो "हिन्दू" शब्द रखा गया है वह हिन्दुओं के साथ बड़ी अन्यायपूर्ण रूप से रखा गया है। इसके द्वारा 'हिन्दुओं' की परिभाषा को संकुचित बना दिया गया है। हिन्दुस्तान में रहने वाले सब "हिन्दी" हैं। जब हम उनको किसी देश के रूप में पुकारते हैं तो यही कहते हैं कि यह हिन्दुस्तानी है। जिस देश का रहने वाला है वह उसी देश के नाम से पुकारा जाता है, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो। "हिन्दू" शब्द में केवल जैन, सिक्ख को ही रखें और उसके अन्दर ईसाई, पारसी को नहीं रखते हैं और मुसलमानों को नहीं रखते हैं तो यह सारी चीज अनुचित है।

ईसाई और पारसियों को भी इसमें रखना चाहिये। वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया था कि मुसलमानों के लिये अलग कानून है। अलग कानून की जरूरत नहीं है। वक्फ एक्ट के पास हो जाने के बाद भी अगर राज्य सरकार मुसलमानों के फायदे के वास्ते कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, उसको अधिकार है। आपके अधिकारों में छूट दी हुई है। केवल वक्फ एक्ट का उदाहरण देकर बताना चाहें, वह ठीक प्रतीत नहीं होता। लेकिन सरकार मुसलमानों को इस कानून से वंचित रखना चाहती है, ईसाईयों को इस कानून से वंचित रखना चाहती है, पारसियों को इस कानून से वंचित रखना चाहती है। ईसांई मिशनरीज द्वारा जो राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार किया जा रहा है उसको दृष्टि में रखते हुए यह और भी जरूरी हो जाता है कि सरकार उनको भी इसमें सम्मिलिति करे। हजारों लाखों रूपयों की सम्पत्ति चर्च में आकर इकट्ठी होती है और उस सम्पत्ति का भी लोगों को, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं उनको ईसाई बनाने के काम में दुरुपयोग होता है। जब इस प्रकार से धन का दुरुपयोग होता है तो फिर आपका यह फर्ज हो जाता है कि उस धन का भी दुरुपयोग न होने दें। लेकिन ईसाईयों के इस राष्ट्र विरोधी प्रचार पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। डूंगरपुर-बांसवाडा की तरफ ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के लिये विवश करते हैं, हजारों भीलों को धर्म परिवर्तन के लिये विवश किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट सरकार के सामने है लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। मध्यप्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में एक आयुक्त नियुक्त किया और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ईसांई मिशनरीज हमारे यहां धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमने जब राजस्थान विधान सभा में यह बात रखी थी तब सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हिन्दुओं पर ही इसको सीमित न रखकर ईसाई और पारसी भी इसमें शामलि किये जायं और इसको व्यापक बनाया जाय ताकि यह सब के लिये हितकर बन सके। मेरे बारे में आपने बताया कि मैंने तो इसको हितकर बताया है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान विधान सभा में जितने कानून बनें हैं उन सब में यह काला कानून है। मैंने कभी इसका समर्थन नहीं किया। हिन्दुओं के धर्म पर हस्तक्षेप करने के लिये ही आप यह कानून बनाना चाहते हैं। यदि आप इसको विस्तृत बनाते तो माना भी जाता कि यह एक अच्छा कानून है। लेकिन मौजूदा हालत में मेरी दृष्टि में यह अच्छा कानून नही है। मैं यह चाहता हू कि जनता की राय लेकर इसको बनाया जाय।

श्री रूपनारायण शास्त्री—चेअरमॅन महोदय, दांता रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन उपस्थित किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है उसकी जो परिभाषा की गई है, उसके साथ हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की भी परिभाषा की

Page No 48

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

गई है उसमें यह बतलाया गया है। कि राजस्थान राज्य में हिन्दू सार्वजनीन धार्मिक तथा पुण्यार्थ प्रन्यासों का नियमन करने के लिये यह सार्वजनिक प्रन्यास है। सारांश यह है कि हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास में जो मन्दिर मठ वगैरह हैं वे हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास में आयेंगे और उनके नियन्त्रण के लिये जो कानून बनाया जा रहा है उसका नाम हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास विधेयक की परिभाषा में आ जाता है। सार्वजनिक प्रन्यास है उसकी परिभाषा इस प्रकार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह लेते हैं कि पुण्यकार्यों के लिये जो मन्दिर मठ, आदि या जो धर्मात्मा दान देते हैं उनकी सुव्यवस्था करने के लिये यह बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सार्वजनिक प्रन्यास में उन्होंने मन्दिरों, मठों को लिया अथवा जितने धर्मस्थान हैं या पुण्यार्थ समितियां बनी हुई हैं वे सब कुछ इस सार्वजनिक प्रन्यास में आती हैं। तो पहले जो सार्वजनिक प्रन्यास की परिभाषा थी वह तो स्पष्ट है।

अब रह जाती है हिन्दू धर्म की परिभाषा। आपने इसमें 'हिन्दू' शब्द का मतलब रखा है बौद्ध, सिक्ख और जैन। यदि 'हिन्दू' शब्द में बौद्ध, सिक्ख और जैनों को लेंगे, यदि इनको हिन्दू शब्द के साथ लेते हैं तो परिभाषा में इनको अलग अलग करने की क्या जरूरत है? यदि बौद्ध और सिक्ख भी हिन्दू का प्रतीक है तो इनको पृथक करने की जरूरत नहीं थी और यदि ये पृथक नहीं हैं तो इनको "हिन्दू" में क्यों सम्मिलित किया जाय? इनको सम्मिलित किया जाय इसलिये इनकी व्यापक परिभाषा बनाई गई। लेकिन यह भी संकीर्ण है। "हिन्दू" शब्द धर्म शास्त्रों में पाया नहीं जाता। "हिन्दू धर्म" की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है। लेकिन वास्तविक परिभाषा यह हो सकती है कि सिन्धु नदी के पास के जितने भी प्रदेश हैं सब हिन्दी कहे जायें, इसलिये उनमें रहने वाले तमाम हिन्दुस्तानी हैं। इस प्रदेश को भारतवर्ष कहते हैं। हिन्दुओं का स्थान वहां कौनसा है? भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक पुरुष हिन्दू है। यह चीज मौजद है, तो फिर इसमें यह स्पष्टीकरण लाने की क्या जरूरत है? हिन्दू शब्द का अर्थ समझमें नहीं आता। वैदिक और आर्य धर्म में हिन्दू शब्द की कहीं परिभाषा की हो, यह समझ में नहीं आता। इसमें आप बौद्ध, सिक्ख और जैन को अलग क्यों रखें? उनको हटाकर हिन्दुस्तान में रहने वाले तमाम हिन्दुओं के लिये यह कानून है; यदि ऐसा कहें तो उचित कहा जा सकता है। क्योंकि कोई भी संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे रोकने का राज्य को अधिकार होना चाहिये। लेकिन यदि इन्हें सरकार केवल मन्दिरों और मठों पर लागू करना चाहती है तो यह होगा कि केवल हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख और जैनों के मन्दिरों, मठों पर सरकार नियन्त्रण रखना चाहती है, औरों के लिये नहीं। यदि ऐसा दृष्टिकोण है तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? जैसा कि आप कहते हैं, राजस्थान राज्य में हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यासों पर नियमन करने के लिये तथा अच्छी व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक है, यदि अच्छी व्यवस्था के लिये यह विधेयक है तो हिन्दुस्तान में रहने वाले अन्य मुसलमान, ईसाई हैं तो उनके हितों की चिन्ता भारवतर्ष और राजस्थान की सरकार को क्यों नहीं है? राजस्थान सरकार यदि यह कहे कि हमारे यहां हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध और जैनों के सिवाय और कोई नहीं रहता तो मैं कहूंगा कि ईसाई मिशनरियां हमारे यहां इतनी अधिक हैं और उनके पास इतना अधिक पैसा है जिसका उपयोग करके वे भीलों को अपने धर्म में दीक्षित कर रहे हैं और हिन्दू भीलों कोईसा ई धर्म में सम्मिलिति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भीलों को ४ पैसा सेर घी बेच रहे हैं। ४ पैसा सेर का बिकने वाला कहीं आपने घी देखा है? लेकिन वे घास का घी बनाकर देते हैं। और वही घी बनियों के

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

पास बिकने जाता है। डाक्टरों की रिपोर्ट है कि इस घी से कितनी ही संक्रामक बीमारियां होती हैं। लेकिन सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड रहा है, या नहीं सरकार को तो इस बात की चिन्ता है कि हिन्दू धार्मिक प्रन्यासों की व्यवस्था वे चाहें जिस तरह से हो यह तो वही बात हुई कि एक बांझ स्त्री पडोसिन को कहे कि मैं तो तुझे पुत्रवती देखना चाहती हूं। और पडोसिन कहे कि तुझे दूसरों से क्या मतलब है अपनी तो हालत देख, जब यह गवर्नमेंन्ट धर्म निरपेक्ष है तो वह धार्मिक स्थानों की चिन्ता क्यों करती है? लेकिन गवर्नमेंन्ट इसकी चिन्ता इसलिये करती है कि उसको इसमें अपना स्वार्थ दिखता है। वह इस बात की चिन्ता करती है कि मन्दिरों की संपत्ति हमारे हाथ में किस तरह से आये और उसका उपयोग चुनावों में और अन्य कामों में किस तरह से लें? इसी लिये तो सरकार यह भार अपने ऊपर लेना चाहती है और मन्दिरों पर अपना अधिकार करना चाहती है और महन्तों को पदच्युत करना चाहती है, मन्दिरों और मठों पर अधिकार जमाकर यह चाहती है कि पुजारी आदि जो लोग हैं और जिनका मन्दिरों की संपत्ति से सम्बन्ध है वे यदि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उनको पदच्युत कर दिया जायगा। उन्हीं के लिये ऐसा कानून बनाया जाता है, वास्तव में व्यवस्था ठीक करने के लिये यह कानून नहीं बनाया जा रहा है। यदि यह सुव्यवस्था के लिये है तो सब पर लागू होना चाहिये। इसलिये "हिन्दू" शब्द इसमें से लोप कर दिया जाय।

राज श्री हिम्मतसिंह—सभापति महोदय, वैसे तो मुझको इस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह कहावत मशहूर है कि जो सोता हुआ हो उसको जगाया जाय, पर जो जागता हुआ हो उसको कैसे जगाया जाय? मैं मानता हूं कि हिन्दू शब्द की परिभाषा से हमारे मंत्री महोदय अनभिज्ञ नहीं हैं और किस जगह यह एप्लाई करता है यह भी जानते हैं पर राइट जगह एप्लाई करने को उनका साहस नहीं पडता है, हिन्दू होते हुए भी उनका साहस नहीं पडता है इसके लिये हमें दुख है।

जो अमेन्डमेंट दाता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने दिया है वह संशोधन बिल्कुल साफ है, साधारण है और ठीक है। हिन्दू शब्द का प्रादुर्भाव सिन्धु शब्द से हुआ है, हिन्दू और सिन्धु शब्द के प्रयोग साधारणतया सामान्य हैं, मेवाड में 'सा' जगह 'हा' का प्रयोग करते हैं जैसे सूर के लिये हूर कहेंगे। पर शास्त्रोक्त शब्द हिन्दू नहीं है, न मालूम ग्रीक लोग आये थे, पर्शियन आये थे, न मालूम कौन कौन आये थे, उन लोगों ने सिन्धु के नाम पर हिन्दू कर दिया। तो उस वक्त हमारे यहां बौद्ध भी थे, जैन भी थे, वे भी हिन्दू शब्द से पुकारे जाने लगे। हिन्दुस्थान में जितनी जातियां थीं कोल, किरात आदि थे सबको हिन्दू मान लिया। हिन्दू शब्द में सब को कवर करते हैं तो सब को कवर करना चाहिये या फिर इसके स्थान पर भारतीय कर दीजिए, या इन्डियन कर दिया जाना चाहिये या आर्यवर्ती कर दिया जाना चाहिये। हिन्दू शब्द से तो बडी गडबडी होने वाली है। अगर आप उदारता बताना चाहें, जिस सेंस से यह संशोधन दिया गया है किश्चियन मिशनरीज हैं, या दूसरे हैं, जो एन्टीनेशनल एक्टीविटीज करते हैं उन पर पाबन्दी लगायें तो हर एक आपकी सराहना करेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, ऐसे संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे और इसे स्वीकार करने में ही लाभ है।

Page No 50

श्री गौरीशंकर आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के सदस्यों ने इस क्लाज पर संशोधन पेश करते हुए कुछ ऐसे वक्तव्य पेश किये हैं जिन्हें सुन कर मुझे कुछ अफसोस हुआ और इसी लिये मैंने अस्वस्थ होने पर भी खड़े हो कर बोलने की हिम्मत की ।

सबसे पहले विरोधी दल के सदस्यों ने हिन्दू शब्द पर आपत्ति की कि यह सिन्धु शब्द से निकला हुआ है। हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने जो कुछ लिख डाला है वही हमारे दिमाग में चक्कर डाल रहा है, जिस शब्द को हम अपने घरों में कहना पसन्द करते हैं और तमाम इतिहासों में हमारे लिये प्रयोग किया गया है, उस शब्द के लिये कहें कि हिन्दू शब्द सिन्धु से निकला हुआ है, सिन्धु से इधर रहने वाले लोग हिन्दू कहे जाते हैं, यह गलत धारणा है। हिन्दू जाति, एक वक्त था, जब सिन्धू नदी के इस पार भी रहती थी और सिन्धु नदी के उस पार भी रहती थी, ईरान तक हिन्दुओं के रहने का स्थान था। इसलिये यह धारणा कि सिन्धु से इधर रहने वाले हिन्दू कहे जाते थे यह एक गलत धारणा है और पाश्चात्य विद्वानों की देन है।

हिन्दू शब्द की सही व्याख्या जो है वह यह है कि जो व्यक्ति हिन्सा को दूर रखते थे वे हिन्दू कहे जाते थे। वेद ने स्वयं कहा है, मैं चाहता हूं कि वेद की ऋचाएं पढ़ूं पर मुझे पूरा मंत्र तो याद नहीं है उसका कुछ अंश यह है :—

"ओम् कृण्वन्तो।"

जो कहते हैं कि सिन्धु से इधर रहने वाले हिन्दू, यह गलत धारणा है। जो व्यक्ति हिंसा को दूर रखना चाहता है वह अपने को हिन्दू गर्व के साथ कह सकता है। सिन्धु से इधर रहने वाले हिन्दू, यह पाश्चात्यों की रखी हुई गलत धारणा है, इसलिये मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्य इस गलत धारण को अपने मस्तिष्क से निकाल दें। दूसरे, इस धारा में संशोधन करते हुए क्रिश्चियन मिशनरीज की बातें रखी गईं। यह बात मैं मानता हूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो कदम उठा रही हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं ......

(विरोधी दल के सदस्यों द्वारा करतलध्वनि)

......पर इस बिल की चर्चा के बारे में इसका विचार करना अप्रासंगिक है। यदि कोई हमारे राष्ट्र में रह कर राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं तो वह निस्संदेह आपत्तिजनक बात है, इसके बारे में विधान सभा में चर्चाएं हुई हैं और आश्वासन भी दिये गये हैं। इस चीज की इस बिल के संबंध में चर्चा करना अप्रासंगिक है, बाद में इसकी चर्चा कर सकते हैं।

आज के इस विषय पर मेरी राय में इस प्रकार होना चाहिये, हमें देखना यह है कि हमारे मन्दिर, मठ किसलिये स्थापित किये गये थे, किस मतलब से स्थापित किये गये थे. हम जो इन पर विश्वास करते हैं, किसलिये ये स्थापित किये गये थे ? आर्यावर्त के लोग, खास कर हिन्दू सत्य के पुजारी रहे हैं इस लिये इन मन्दिरों, मठों की स्थापना की, क्योंकि सत्य के बहुत नजदीक भगवान् को मानते हैं इसलिये सत्य और भगवान् की पूजा के लिये, संपत्ति के जाल से दूर रखने के लिये मन्दिरों और मठों की स्थापना की। क्या हमारे सत्य और भगवान् संपत्ति से रह सकते हैं, संपत्तिवालों के खिलाफ आवाज उठाई तो इन लोगों ने मन्दिरों और मठों में पैसा इकट्ठा कर दिया ताकि पैसे के जाल से दूर कर मन्दिर और मठ

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

भी उनके खिलाफ कुछ न कर सकें। सत्य और संपत्ति को अलग अलग करने का प्रयत्न इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। आने वाला इतिहास आपकी सरकार का आभारी रहेगा जो कि सत्य और संपत्ति को अलग अलग कर देगा। मैं विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या संपत्ति से सत्य को बचाया जा सकता है। यदि संपत्ति से सत्य को बचाया जा सकता होता तो हम लोग संपत्ति की रक्षा करते। हिन्दू धर्म की मान्यता है कि संपत्ति ने सत्य का गला घोंट लिया है। वेदों में भी कहा है :—

'इस सोने के पात्र में सत्य ठगा जा चुका है इसलिये हम सूर्य से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि सत्य को सोने के जाल से सदा दूर कर।'

'हिरन्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं'

'संपत्ति को सोने से अलग कर दीजिये यदि सत्य को देखना चाहते हैं।

तो राजस्थान सरकार आज इस प्रकार की कोशिश कर रही है कि सत्य और संपत्ति को अलग अलग कर दिया जाय तो सत्य ही धर्म की मूल भित्ती है, इसको सोने के जाल से, पैसे के जाल से दूर रखा जाय।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार पैसे का सदुपयोग नहीं करती है इसलिये उसे अधिकार नहीं देना चाहिये। अगर सरकार को अधिकार नहीं देना चाहिये तो फिर किसे देना चाहिये? और कोई दूसरा संगठन होता तो उसे अधिकार देते, पर आज तो सरकार से बढ कर कोई संस्था नहीं है जिसे यह अधिकार दें। दरअसल विरोधी दल का कर्तव्य है कि जो उसे चुभता है उसकी आलोचना करनी चाहिये। आलोचना करना ठीक है पर आलोचना का सही मार्ग छोड़ देते हैं तो सरकार भी थोड़ा इधर उधर हिल जाती है तो इसका दोष विरोधी दल पर है। लेकिन वे आलोचना ही आलोचना करते रहते हैं, चाहे वह सच्चा पोइन्ट हो चाहे गलत पोइन्ट हो। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस एक्ट पर बोलने के पहले और कोई संशोधन रखने के पहले इस बात पर सोचें कि इस बिल को लाने का गवर्नमेंट का मकसद क्या है? बगैर इस पर पूरी तरह विचार किये किसी प्रकार का संशोधन रखना अच्छा नहीं होता। इसमें तो गवर्नमेंट की इच्छा हो माननीय अध्यक्ष, स्पष्ट है और गवर्नमेंट की मंशा इसमें यह है कि आज जो मंदिरों में और मठों में अत्याचार हो रहा है और धन का दुरुपयोग हो रहा है वह रोका जा सके। तो मैं समझता हूं कि मेरे सामने बैठनेवाले माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे मंदिरों और मठों का पैसा किसी प्रकार से बरबाद न हो और इसका दु पयोग न हो। पहले हमारे मंदिरों में शिक्षा का प्रचार होता था वह आज कल नहीं हो रहा है। आज तो मंदिरों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसको यदि हम और आप नहीं रोक सकते हैं तो यह हमारी और आपकी गलती है। जब हम और आप इसको नहीं रोक सकते तो राजस्थान सरकार इसको रोकने के लिये कदम उठा रही है तो हमको सरकार के उठाये गये कदम का स्वागत करना चाहिये। पिछली बार भी मैंने कहा था और अब भी मैं कहता हूं कि जो लोग धर्म के लिये इस प्रकार की बातें कहते हैं वे अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें कि वे ईश्वर का नाम लेते हैं अगर लेते हैं; और धर्म और ईश्वर का नाम लेना चाहते

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

हैं तो धर्म और ईश्वर को, उनको चाहिये कि संपत्ति से स्वतन्त्र रखें, धर्म और ईश्वर को संपत्ति से स्वतन्त्र रहना चाहिये। आज संपत्ति के कारण ही हमारे मंदिर और मठ इतने नीचे गिर गये हैं। आज मठों में रहने वाले सन्यासी भाई अपने कर्त्तव्यों से पीछे हटते जा रहे हैं और यही कारण है कि जिन लोगों के हाथ में हमारे समाज की बागडोर थी, समाज का निर्माण था आज अपने कर्त्तव्य से पीछे हट गये हैं। आज ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो ईश्वर और धन को दूर रखे और आज इस एक्ट के मातहत संपत्ति के मोह में न पड़े तो अच्छा हो। इसलिये मैं समझता हूं कि विरोधीदल को इस बिल का आभारी होना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेअरमेन, हिन्दू शब्द का प्रादुर्भाव कैसे भी हुआ हो, उसका ऐतिहासिक रूप कैसा भी रहा हो, लेकिन जब हम इस शब्द को कानून के अन्तर्गत लेते हैं तो वर्तमान युग में जिस रूप में वह काम में लिया जाता है, जिस प्रकार विधान में उसको काम में लिया जा रहा है उसी प्रकार से हमको काम में लेना पड़ेगा।

आप सबको सर्वविदित ही है कि हिन्दू धर्म, धर्म विशेष के लिये अपनाया जाता है और काम में लिया जाता है। हाल ही में कुछ समय पहले हिन्दू सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था और उसमें हिन्दू शब्द का प्रयोग और जो अर्थ लिया गया है वही अर्थ हिन्दू से होता है, न कि जैसा कि दांता रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने हिन्दू शब्द की परिभाषा करते हुए बताया कि हिन्दुस्तान के जितने भी रहनेवाले हैं, चाहे कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, हिन्दू धर्म से उसका मतलब लेना चाहिये। लेकिन मेरे ख्याल से यह बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूं कि वे गलती पर हैं। हिन्दुस्थान के लोगों को संबोधित करने के लिये कई शब्द हैं भारतवासी, हिन्दुस्तानी आदि। इसी प्रकार इन्डियन पीनल कोड आदि कानून भी बने हुए हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यहां पर हिन्दू शब्द सरकार ने जो रखा है वह सोच समझ कर रखा है और बहुत ही उचित है।

दूसरी दलील माननीय सदस्य ने यह दी कि जो क्रिश्चियन मिश्नरी धर्म परिवर्तन धर्म के नाम पर करके बहुत गडबडी कर रहे हैं उसको रोकना चाहिये। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसके लिये कहा कि इस पर केवल अपना वक्तव्य देना ही काफी नहीं होगा। उनको यह सोचना चाहिये कि इस कानून को बनाने का मकसद सरकार का क्या है? क्या सरकार इस कानून के साथ साथ उनके इस मकसद को कि क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं जोडा जा सकता है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका और उसका कोई संबंध नहीं। यह बिल इसलिये बनाया जा रहा है कि किसी ट्रस्ट में गडबडी न हो। धर्म परिवर्तन के मामलों को वह किस प्रकार उसके साथ में मिला सकती है? मुसलमानों के लिये वक्फ एक्ट मौजूद है और दूसरे लोगों के लिये रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट मौजूद है। मामूली अल्प संख्यकों के लिये तो पहले से ही एक्ट मौजूद है जिनको मुसलमानों और क्रिश्चयनों के लिये काम में लिया जा सकता है। लेकिन बहुसंख्यकों के लिये कानून को काम में लेने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रख कर यह बिल पेश किया गया है। जिससे कि मंदिरों और मठों में धन का दुरुपयोग और गडबडी न हो। अन्त में मैं दांता रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास–माननीय चेअरमेन, दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखे हैं उसके पक्ष और विपक्ष में माननीय सदस्यों ने काफी बोल दिया है और मैं समझता हूं कि मेरे लिये कोई कहने को आवश्यकता नहीं छोडी है। मैं इस बारे में बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि इस बिल के एमेन्डमेंट को लेकर जिस तरह से यह आम बहस की जा रही है और जिस प्रकार से भाषण दिये जा रहे हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को बिल से विरोध नहीं है। बिल तो कुछ है और बहस कुछ और ही किसी उद्देश्य को ले कर की जा रही है। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी को लेकर जो बात कही गई कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, उनको अमेरिका से पैसा मिलता है और यहां पर वे काम करते हैं, मैं यह कहूंगा कि वह मिशनरी यहां पर काम करती है या नहीं, अमेरिकन नेशन से पैसा लाते हैं और काम करते हैं। There is absolutely no constructive suggestion.

यह जरूर कह दिया है कि राष्ट्र विरोधी प्रचार है। यह कह कर इसको इसमें लगा दिया जावे यदि और किसी में यह नहीं आता है तो। अगर माननीय सदस्य जिनको इस मिशीनरी से शिकायत है, हो सकता है उनको कोई शिकायत रही हो। मगर मैं यह कहूंगा कि आपके इस बिल में मिश्नरी कहां पर आती है? उनको रुपया अमेरिका से मिलता है, उसमें आपको कुछ आपत्ति हो सकती है और अगर सही रूप में आपको इससे कोई आपत्ति होती तो आप कोई बिल लाते। मगर क्योंकि यह बिल चल रहा है इसलिये सारी बातें उसमें ले आए। आप चर्च के लिये कहते हैं तो मैं कहूंगा कि चर्च के लिये पहले से ही एक्लैजियेस्टिक बिल बना हुआ है जो भारतवर्ष में एप्लाई होता है। इसलिये उनके लिये कोई बिल लाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह तो महज जानकारी की बात है और मैं इस बात को मानता हूं कि यह बात उनको जानकारी में है कि मुसलमानों के वक्फ एक्ट और चर्चों के लिये एक्लैजियेस्टिक लॉ आलरेडी मौजूद है। इसके अलावा मिशनरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ताहम भी वे भाषण देते हैं उसमें यह कहा जाता है कि इसमें बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। माननीय चेअरमेन, मैं यह कहूंगा कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रश्न नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि कोन्ट्राडिक्ट्री लॉज बन सकते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि जिनके लिये कानून बने हुए हैं उनके लिये कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है और यहां तक कहा है कि हिन्दुओं को नुकसान पहुंचाने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें कितना तथ्य है, माननीय सदस्य सभी जानते हैं। इसमें कितना तथ्य है यह सदन के माननीय सदस्य सब जानते हैं। इस कानून के बनाने का मतलब इतना ही है कि जितने भी सार्वजनिक प्रन्यास हैं उनके पैसे पर संरक्षण रखा जाय। इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दुओं के सब प्रन्यासों में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता हो। हर एक जगह हो सकता है उसको बचाने की आवश्यकता है। इस कानून का उपयोग तभी किया जायगा जब इसकी आवश्यकता पडेगी और यह मालूम होगा कि इस ट्रस्ट में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार के ध्यान में ऐसी बात आने पर ही इस कानून का उपयोग किया जायगा। इन शब्दों के साथ जितने भी अमेन्डमेन्ट्स हैं उन सब को अस्वीकार करता हूं और सदन से यह निवेदन करता हूं कि जो रोजनल प्रोवीजन है वही पास होना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह--(६) और (११) के लिये आपने क्या कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(६) और (११) के लिये मैंने निवेदन किया, मैं मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री भैरूं सिंह--माननीय सभापति महोदय, आज मुझे इस बात की तो खुशी है कि मैंने जो अपने संशोधन प्रस्तुत करते समय दलील दी थी वह दलील कुछ अंशों में स्वीकार की गई; राजस्व मंत्री महोदय द्वारा नहीं किन्तु राजस्व मंत्री महोदय के इशारे पर सरकार की ओर से बोलने वाले दो माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई। एक तो रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान में जो ईसाई मिशनरीज हैं उनकी कार्यवाहियां निरसन्देह राष्ट्र विरोधी हैं। इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये उपयुक्त कानून बनाना चाहिये। प्रश्न उनके सामने यह आया कि इस प्रकार की बात क्या मौजूदा कानून में समाविष्ट हो सकती है या नहीं ? मैं इस बारे में सभापति महोदय जो उत्तर राजस्व मंत्री ने दिया वह भी मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरी बात और स्वीकार की गई, सराडा सलम्बर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा। न मालूम उन्होंने कैसे कह दिया कि हिन्दू की परिभाषा में ईसाई भी आते हैं। वे प्रोसीडिंग को उठाकर देख सकते हैं, उनके इन्कार करने से काम नहीं चलेगा प्रोसीडिंग में उन्होंने जो कहा वह है, यदि वे उसको पढ़कर देखेंगे तो पता चलेगा, इन्कार करने से काम नहीं चलेगा। कुछ सदस्यों ने भी इनकी इस बात को सुना, वह भी कह रहे हैं। मेरी दलील को दो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने स्वीकार किया है। अब प्रश्न यह आता है कि हम इन क्रिश्चियन मिशनरीज पर यह कानून लागू कर सकते हैं या नहीं, इस समय जो कानून बन रहा है उसमें उनका समावेश हो सकता है या नहीं ? हिन्दू शब्द की परिभाषा के प्रश्न को लेकर रतनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हिन्दू शब्द की परिभाषा की, उनके अनुसार जो व्यक्ति हिंसा के विपरीत अहिंसा में विश्वास रखता है वह हिन्दू है। हिन्दू शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते समय माननीय सदस्य स्वयं अपने अस्तित्व को कहां भूल गये ? वे स्वयं उस दल से संबंधित हैं जिस दल की सरकार द्वारा देश में गो हत्या को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिस दल की सरकार द्वारा बूचडखाने खोलने की इजाजत दी जाती है, जो यह कहते हैं कि गौहत्या कानूनन हिंसा नहीं, यहां पर बूचडखाने खुले हुए हैं, लाखों तादाद में बन्दर अमेरिका में भेजे जाते हैं क्या यह हिंसा नहीं? क्या ये काम ऐसे नहीं जिसे हिंसात्मक माने जायं? ऐसी दशा में अगर कोई यह कहे कि हिंसा के विपरीत जो अहिंसा में विश्वास रखता हो वह हिन्दू है तो मैं यही कहूंगा माननीय सदस्य ने हिन्दू शब्द की परिभाषा को बहुत सीमित कर दिया। जिन माननीय सदस्य ने यह दलील दी वे भी उनकी दलील के अनुसार हिन्दू नहीं, क्योंकि वे जिस दल से संबंधित हैं उनका दल अहिंसा में विश्वास नहीं रखता। माननीय चेअरमेन, यह कहा जा सकता है माननीय सदस्य द्वारा कि हम जिस दल से संबंधित हैं वह दल अहिंसा में विश्वास रखता है, महात्मा गांधी ने अहिंसा को दल का आधार स्तम्भ बताया है। हो सकता है उनके सिद्धान्त किताबों में जरूर ऐसे हों लेकिन उनके अनुसरण करने वाले उन सिद्धान्तों को मानते कहां हैं ? उनको कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाता, वे सिद्धान्त केवल किताबी हैं। केवल किताबी सिद्धान्तों के आधार पर समाज का ढांचा नहीं बन सकता। हिन्दू की परिभाषा इतनी संकीर्ण करना भारतवर्ष के एक बडे समुदाय को जो अहिंसा में विश्वास नहीं रखता उनको हिन्दू शब्द की परिभाषा से निकालने की चेष्टा करना है। आज उनकी जो परिभाषा है एक संकीर्णता की द्योतक है। उनको चाहिये यह था कि 'हिन्दू' शब्द की परिभाषा ऐसी करें जिससे हिन्दू समाज का विघटन नहीं बल्कि उसके संगठन को सहायता मिल सके। जो माननीय सदस्य ने वेद

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

मंत्र का उल्लेख किया, वेद मंत्र को बतलाकर उनकी मंशा थी, अर्थ से सब के मुंह बन्द हो जांय। हमारा धर्म ऐसा नहीं जो अर्थ यानी धन से जिसका मुंह बन्द किया जा सके। धन से सत्य का मुंह बन्द नहीं किया जा सकता। हमारे धर्म के आगे पैसे का कुछ भी महत्व नहीं। इसका साफ प्रमाण यह है कि जितने भी हमारे धर्म गुरू हैं वे परिग्रह से दूर रहते हैं, धार्मिक उपदेश देने वाले जितने भी साधु, सन्यासी हैं जो धार्मिक सिद्धान्त अपने सामने रखकर जनता को धर्म का उपदेश देते हैं पैसे के वास्ते नहीं। जैसा कि किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि हमारे धर्म का मूल सिद्धान्त है अपरिग्रहवाद। वेद के बाद अगर किसी सिद्धान्त को हिन्दू संस्कृति ने स्वीकार कर रखा है तो वह सिद्धान्त है अपरिग्रहवाद का जो आज हमारे सामने साधु सन्यासियों के रूप में मौजूद है। हमारे सामने पैसे का कोई महत्व नहीं, लेकिन हम इस चीज को नहीं भुला सकते कि पैसा धर्म के प्रचार के लिये, लोगों में धार्मिक पुस्तकों के बांटने के लिये, पैसा एक प्रकार का साधन है। उसी साधन पर सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उस पर अधिकार कर सके ताकि वह साधन बन्द हो जाय क्योंकि उस साधन से धर्म का प्रचार होता है। धर्म का प्रचार बन्द होजाय यह मंशा इस बिल से है। जहां हिन्दू शब्द की परिभाषा ऐसी सीमित की है जिनको हमारे हिन्दू शब्द की परिभाषा का ठीक पता नहीं, जिन लोगों को धार्मिक ज्ञान नहीं, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के इतिहास पढ़े हैं जिन्होंने हमेशा धर्म पर आघात किया है, जो धर्म के नाम से चिढते हैं, जो धर्म की शिक्षा का शून्य मात्र भी ज्ञान नहीं रखते। आज हमारे राजस्थान के अन्दर एक भी ऐसा स्कूल नहीं जहां हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा मिल सके, फिर इस कानून द्वारा मन्दिरों में जो धर्म के स्थान थे उन पर कुछ धार्मिक ज्ञान मिलता था वह बन्द करने की बात की जा रही है।

माननीय राजस्व मंत्री ने ईसाइयों को इस कानून में सम्मिलित करने के बारे में कहा, उनके लिये तो चर्च एक्ट मौजूद है, उनके लिये इन्डियन रिलीजियस एक्ट है, हिन्दुओं के लिये इन्डियन रिलिजियस एक्ट के अन्तर्गत निरसन किया जा सकता है मैं इस संबंध में इस बिल की जो निरसन की धारा है उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; वह धारा ४६ है जिसमें लिखा है।

"इस अधिनियम के प्रावधानों की धारा (१) के प्रभावी लागू होने की तारीख (जिसका इससे आगे उक्त तारीख के नाम से निर्देशन किया गया है) को इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचि में निर्दिष्ट कानूनों में से किसी भी कानून के प्रावधान जो हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यासों पर लागू होते थे ऐसे प्रन्यासों पर लागू नहीं रहेंगे।"

मतलब इसका यह है कि अगर हिन्दू रिलीजिस एक्ट जहां पहले भारतवर्ष में लागू था तो राजस्थान में भी लागू था; जिस तरह से आप इन दूसरे प्रन्यासों पर लागू नहीं करना चाहते तो आप हिन्दुओं पर लागू करने की इच्छा जाहिर नहीं करते, अनुसूची में दिया गया है; "The Charitable And Religious Trusts' Act 1920 (14 of 1920). जैसा कि राजस्थान में प्रसारित किया गया"

इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में इस प्रकार का कानून लागू था। इन्डियन चर्च के लिये अलग कानून होगया; हिन्दुओं के लिये अलग कानून होगा। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो

Page No 56

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

लागू किया जाता है वह उचित नहीं कहा जा सकता। जब कि इन्डियन रिलीजियस एक्ट इस बात का प्रबन्ध करता है कि राजस्थान के अन्दर दूसरे प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर इन्डियन रिलीजियस एक्ट में हिन्दू भी आ जाते है तो उनके लिये हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास नाम से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिये यह कहना कि इस कानून के द्वारा चर्च पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता, यह कहना भारी भूल है। माननीय मंत्री अपने आपको कानून का जानकार तो मानते हैं लेकिन वे कानून में माहिर तो किन्चित मात्र भी नहीं कहे जा सकते।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उत्तर देने के बाद भी अगर माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग में सही बात आजाती, है तो वे जानकारी हासिल करें कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इस कानून के अन्तर्गत ला सकते हैं या नहीं, उन पर यह कानून लागू कर सकते हैं या नहीं ?

प्रश्न आता है इतना सा और मैं समझता हूं कि जितने भी इस प्रकार के चैरीटेबिल इन्स्टीट्यूट्स हैं उनको भी धार्मिक दृष्टि से प्रन्यास मानकर उन पर भी नियन्त्रण होना चाहिये।

इसकी आवश्यकता स्वीकार की है राजस्व मंत्री जी ने भी। उन्होंने कहा है कि सदस्य चाहें तो कानून इस तरह सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। पर बदकिस्मती यह है कि जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं या उधर बैठने वाले सदस्य हैं उन प्राइवेट सदस्यों द्वारा रक्खे गये बिल पास होने के लिये नहीं होते। वे तो केवल विचार करने के लिये होते हैं। हमारे पास रेकार्ड है इस सदन के पिछले पांच सालों का और वह इस बात का साक्षी है कि इस अर्से में एक भी स्वतन्त्र सदस्य द्वारा प्रस्तुत कोई भी बिल स्वीकार नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन पर विचार करने के लिये पूरा समय तक नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट मेम्बर अगर सरकार की इच्छा के विपरीत सदन में कोई बिल प्रस्तुत करना चाहे तो सरकार इसे अपने प्रति अविश्वास की बात समझती है और उसकी तरफ से चेष्टा यह की जाती है कि वह किसी सूरत में भी पास न हो। तो प्राइवेट मेम्बर कोई प्रश्न ला सकते हैं यह दलील निरर्थक है। इन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिये वह यदि कानूनी दिक्कत कोई महसूस करते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारे यहां मैं अपने आपको कानूनी माहिर नहीं कहता, चाहे राजस्व मंत्री जी अपने आपको कोई कानून के माहिर कहते हों। मैं यह नहीं कहता कि वे कानूनी माहिर नहीं हैं, पर मैं समझता हूं कि जहां तक इस बात का सवाल है हमारी सरकार के पास भी लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी राय के आधार पर इस कानून के द्वारा भी नियन्त्रण डाल सकते हैं। पर चेष्टा ही इसके लिये नहीं की जाती और वह चेष्टा नहीं करने का कारण यह है कि वे डरते हैं और क्यों डरते हैं; इस बारे में मैं काफी बातें पहले कह चुका हूं उनको बार बार दोहराऊंगा नहीं। और इस कानूनी राय लेने के बारे में अब तक न मालूम कितनी बार राजस्व मंत्री या और मंत्रियों के समक्ष इस प्रकार का संकेत दिया है कि अपने डिपार्टमेंट की लीगल ओपीनियन को तो सीक करें और मुझे यह कहते खेद है कि आपने अपने डिपार्टमेन्ट से इस मामले पर राय तक ली हो ऐसा मुझे लगता नहीं। ऐसी सूरत में यह कह देना कि आज के कानून में कानूनी रूप से इनको शामिल नहीं कर सकते उचित नहीं है। कहा यह जाता है कि क्रिश्चियनों की बात इसलिये यहां की जाती है कि यहां पर भाषण में जो कहा जाय कह सकते हैं। पर भाषण का

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ़]

स्थान यह सदन नहीं। मैं मानता हूं कि भाषण का स्थान सदन नहीं है। कहा जाता है कि यहां भाषण अगर होते हैं तो बिना जानकारी के होते हैं, एक धर्म के भाषण होते हैं दूसरे धर्म पर लांछन लगाने के लिये। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विरोधी दल की ऐसी कोई भावना नहीं है। कहा यह भी जाता है कि यहां भाषण दिये जाते हैं केवल लोगों को बहकाने के लिये और सदन के सदस्यों को मुगालते में रखने के लिये भाषण दिये जाते हैं; मैं कहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य ऐसे नहीं हैं कि वे मुगालते में आ सकें। यह जरूर है कि एक पार्टी के सदस्य पार्टी व्हिप की आड में मुगालते में आ रहे हैं जिनको पता नहीं लग रहा है कि इसके पीछे वास्तविक रहस्य क्या है। हमारा धर्म संपत्ति से बहुत ऊंचा है। आप इसको तोड़ मरोड़ कर रखते हैं कि धन और धर्म का कोई संबंध नहीं। एक दृष्टि से मैं इसको भी मान सकता हूं पर जिस ढंग से आप इस धर्म पर और धन पर नियन्त्रण करने की सोचते हैं उसका मतलब यह है कि धर्म का जो साधन रूप धन है उस धन पर अंकुश लगाकर आप धर्म के साधनों को अवरुद्ध कर रहे हैं। आप लोगों में बुद्धि भेद डाल रहे हैं कि लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं रहे। लेश मात्र भी आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां धार्मिक शिक्षा मिल सके। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में किसी भी स्कूल में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का स्थान नहीं, जहां लोगों को परिचय कराया जा सके कि तुम्हारा धर्म क्या है और धर्म के द्वारा नैतिक उत्थान किस प्रकार से होता है, यह बताया जा सके? इन धार्मिक स्थानों पर जो धर्म की शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा में जो पैसा लगता है आज पैसे के दुरुपयोग के नाम पर धर्म के इन साधनों को अवरुद्ध किया जा रहा है और इसलिये मैं दावे से कह सकता हूं, सरकार की इस धार्मिक प्रसार को रोकने की यह मनोवृत्ति है तो इसे हमें सोचना है और अगर यह मनोवृत्ति अभी है तो कह नहीं सकते कि आगे चल कर ये क्या करेंगे? और तब पता चलेगा कि सरकार की मंशा किस ओर बढ़ती जा रही है।

हिन्दू की परिभाषा में कहा गया है कि सिन्धु से अपभ्रंश बनते बनते हिन्दू हुआ है, तो उसके लिये कहते हैं कि यह बात गलत है। बहुत मुमकिन है कि उनके खयाल से यह गलत हो। पर इतिहास वेत्ताओं ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो इतिहास पर साहित्य का निर्माण किया है, उसको देखें। हमारे पं० जहवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है। पुस्तक मेरे पास इस समय नहीं है, आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इन्डिया। उसी परिभाषा का जिक्र इसमें किया गया है। आप उस परिभाषा को देख लें और उसके बाद बतावें कि जो मैंने हिन्दू की परिभाषा प्रस्तुत की है वह सही है या गलत। अगर आप यह कहें कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार की गलत बयानी की है तो हमें देखना पडेगा कि हमारे भारत के प्रधान मंत्री ने जिस चीज को विस्तृत रूप से रक्खा है उसको हमारी यह विधान सभा संकीर्ण करने की चेष्टा कर रही है कि जो हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं वे हिन्दू हैं, यह कहां तक उचित है। आज हिन्दूओं में भी कई प्रकार के मत मतान्तर हैं; एक मत यह भी है जो अपने को हिन्दू मानता है पर मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखता, वह आर्य समाज का मत है और दूसरा मत ऐसा भी है जो मूर्तिपूजा में अपना पूर्ण विश्वास रखता है और वह भी अपने को हिन्दू धर्म का अंग मानता है। तो एक तरफ आर्य समाजी हैं जो मूर्तिपूजा नहीं मानते और दूसरी तरफ सनातनी हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, वे मूर्ति की पूजा करते हैं और दूसरा मूर्ति को कुए में

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

ढकेलने को धर्म समझता हूं । पर ये सभी व्यक्ति इस बात का दावा करते हैं कि हम सभी हिन्दू हैं । तो हिन्दू शब्द उस पृष्ठभूमि में इस बात का द्योतक है कि हिन्दू शब्द का मतलब यह कदापि नहीं है जो आज इस कानून में बताया जा रहा है । पर वह मतलब है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है, जो अमल में है । हिन्दू से मतलब यह है कि जो हिन्दुस्तान में रहने वाला है वह हिन्दू है । भारत का नाम हिन्दुस्तान भी है, इंडिया भी है, भारतवर्ष भी है । तो इस परिभाषा के अनुसार हिन्दू कौन ? जो हिन्दुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है वह हिन्दू । तो आज की मोर्डनाइज्ड डफोनेशन यह है और इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दू है । तो वैसी सूरत में सवर्ण हो, अवर्ण हो, वैष्णव हो, शैव हो, सनातनी हो, सभी हिन्दू हैं, जैन भी हिन्दू हैं, बोद्ध भी हिन्दू हैं, सिक्ख भी हिन्दू हैं, मुसलमान भी हिन्दू हैं, क्रिश्चियन और पारसी भी जो यहां की ओरिजिन हैं वे भी हिन्दू हैं । यदि आप अपनी संस्कृति के पुराने पृष्ठ उठाकर देखें तो पता लगेगा कि हमारी हिन्दू संस्कृति इतनी विशाल है कि इस पर पुरातन काल से कई प्रकार के कितने ही आघात प्रत्याघात किये गये और निरन्तर आघात प्रत्याघात होते रहे; शक, हूण आदि जातियां यहां आई और उन्होंने बडे तीव्र प्रहार यहां किये, पर एक दिन आया कि ये जातियां भी जो प्रत्यक्ष विदेशी जातियां थीं, पर यहां आकर इसी हिन्दू धर्म में, इसी विशाल हिन्दू संस्कृति में सन्निविष्ट हो गई, एकाकार हो गई और वे शक और हूण भी आज हिन्दू कहलाने के अधिकारी हो गये हैं । इस सिलसिले में हिन्दू की सम्पूर्ण जानकारी . . .

श्री हरिराम निनामा--यह क्या ? क्या हिन्दू के नाम से इतनी बडी बातें की जाती हैं ? पर यहां कोई हिन्दू पर आपत्ति नहीं है, कोई धर्म की आपत्ति नहीं है । यहां सिर्फ व्यवस्था की जरूरत है और इसके लिये कानून बनना चाहिये । व्यवस्था की जरूरत है ।

(घंटी)

व्यवस्था करते वक्त यह हिन्दू का प्रचार गलत है ।

(हंसी)

(घंटी)

श्री भैरूंसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती ऐसी है कि ऐसे २ भी हिन्दू हो रहे हैं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--जरा संक्षेप में ।

श्री भैरूंसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में कहने से समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के ।

श्री उपाध्यक्ष--यह बहुत पहले हो चुका है ।

श्री भैरूंसिंह--बहुत पहले नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस 'हिन्दू' शब्द को हटाकर हमें सार्वजनीन प्रन्यास को नियमन करने वाला कानून बनाना चाहिये ताकि उस कानून के द्वारा जितने भी अन्य क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह हैं, उनका भी नियमन हो सके ।

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

तीसरा मेरा संशोधन जो था उसके बारे में उत्तर नहीं दिया और मैं समझता हूं कि उनके उत्तर न देने के कारण से मैं उत्तर नहीं दूं, ऐसा कारण नहीं है पर यह मेरी ड्यूटी है कि इसमें जो लीगल-फ्लॉ रह रहा है उसके बारे में दुबारा संकेत करूं।

इसके आगे उप-खण्ड (११) में मंदिर की परिभाषा में हिन्दू, जैन, बौद्ध या सिक्ख ये चार वर्ग अलग २ बताये गये हैं। पर जब हमने पहले इसकी बिल्कुल परिभाषा कर दी तो इसके बाद में उन चीजों को और अलग २ बताने की जरूरत नहीं है। यह बार २ बताना रिडन्डेन्ट होगा। इन तीनों शब्दों को वे हटा दें और इसी तरह से हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास शब्द की आवश्यकता नहीं। जब एक तरफ उप-खंड (९) में सार्वजनीन प्रन्यास की परिभाषा कर दी तो वैसी सूरत में इस हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की दुबारा परिभाषा देने की जरूरत नहीं। इसको डिलीट किया जावे और खंड ११ में से भी इन तीनों शब्दों को डिलीट किया जावे।

मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्रीजी मेरे संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं आवेंगे इसलिये बार बार उनसे और सदन से मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधनों को स्वीकार करके हिन्दू जगत की सेवा करने का एक जबर्दस्त संकल्प लें।

श्री शंभुसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने, अपने उत्तर में मैंने जो आपत्तियां उठाई थीं, उनके संबंध में कुछ नहीं फरमाया तो उससे ऐसा आभास लगता है कि वे मेरे संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में हैं। तो फिर मुझे कुछ करना पडेगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मेरे जो संशोधन थे उनका उत्तर नहीं फरमाया तो अब मैं उत्तर का प्रत्युत्तर दूं या फिर उन्हीं अपने संशोधनों को दोहराऊं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका काम हल्का हो गया, ज्यादा नहीं बोलना पडेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास--इसीलिये मैंने जवाब ज्यादा नहीं दिया, आवश्यकता थी नहीं जवाब देने की।

श्री शंभुसिंह--तो मेरी आपत्तियां यों की यों खडी रह जाती हैं। इसलिए मैं उनको फिर संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूं।

मैंने यह निवेदन किया था कि....

श्री दामोदरलाल व्यास--निवेदन किया था, उसको दोहराने की क्या आवश्यकता है? निवेदन किया वह सुना है सब ने।

श्री शंभुसिंह--तो माननीय राजस्व मंत्रीजी किन आधारों पर उनका उत्तर भी नहीं देते और अस्वीकार करते हैं, और मैंने संशोधन प्रस्तुत करते समय जो कुछ युक्तियां दी थीं उनको किस आधार पर बगैर उत्तर दिये अस्वीकार करते हैं।

Page No 60

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अर्ज किया था कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई थी । असल में वह है कुछ नहीं ।

श्री शंभुसिंह--गलतफहमी मेरी है या किसकी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--किसी की भी हो ।

श्री उपाध्यक्ष--वह तो हाउस के निर्णय पर छोडना पडेगा ।

श्री शंभुसिंह--मेरी युक्तियों का उत्तर नहीं दिया गया है और फिर इन्कार कर दिया गया, यदि उत्तर दिया जाता तो मुझे संतोष हो जाता । चूंकि उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए भी मुझे प्रतीत होता है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष--उससे लाभ की बात नहीं है ।

श्री शंभुसिंह--कन्विन्स करा दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--होंगे नहीं ।

श्री शंभुसिंह--फिर ये स्वीकार कर लें कि कन्विन्स होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका फर्ज है, आपके कहने की बातें हैं जो आप सामने रख दें । उनके ध्यान में आयें या नहीं आयें, लेकिन वे हाउस के सामने रहेंगी । उसको स्वीकार करें या नहीं ।

श्री शंभुसिंह--माननीय राजस्व मंत्री ने अकारण ही मेरी युक्तियों को इन्कार कर दिया इसलिये मैं चाहूंगा कि उन पर सदन का मतदान हो और मैं संशोधनों को प्रेस करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री चांदमल मेहता से) क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री चांदमल मेहता--मेरे जो संशोधन पहले थे वह मूव कर दिये और जो बाद के संशोधन हैं वे मैं मूव नहीं करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--तो विथड्रॉ करने को कोई नहीं रहा ।

श्री चांदमल मेहता--जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उप-खंड (५), (६), (६ ए), (९) और (११) पर वे स्वीकार किये जांय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड २ पर श्री शंभूसिंह ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जांय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खंड ३ श्री भैरूंसिंह ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा पहला संशोधन है कि इस पूरे अध्याय को लोप कर दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस पूरे अध्याय को लोप किये जाने के लिये जो मैंने सदन में अपना यह संशोधन प्रस्तुत किया है वह मैं समझता हूं कि इस बिल का यदि प्राण कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अध्याय के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास होंगे उनका किस प्रकार से पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन होगा ? पंजीयन कराते समय कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिनको पंजीयन के लिये किसी भी सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पडेंगे और आवेदन-पत्र के साथ साथ कौन २ से और स्टेटमेंटस् जो रूल्स के द्वारा निर्धारित किये जायेंगे वह स्टेटमेंट पेश किया जायगा और जितना शुल्क सरकार निर्धारित करेगी वह शुल्क उस पंजियन के लिये सरकार के पास जमा कराना पडेगा । माननीय उपाध्यक्ष, रजिस्ट्रेशन का प्रश्न इस बात के लिये कि इस प्रकार के प्रन्यासों में धन का दुरुपयोग होता है और उस दुरुपयोग को रोकने के लिये हमें सब प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिये । मुझे इस बात में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि जहां धन का दुरुपयोग होगा वहां दुरुपयोग को रोकने की चेष्टा नहीं करें, लेकिन हमें यह सोचना पडेगा कि आज जो हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार की है ? उस व्यवस्था को कौन करता है और उस व्यवस्था के लिये कौन जिम्मेदार हैं । माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक जिम्मेदारी का प्रश्न आता है, वह काम ठीक सुचारू रूप से चले इस बात तक की व्यवस्था करने का प्रश्न आता है वहां तक मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें समाज के अधिकार की चीजें हैं । जहां तक समाज स्वयं अपने अधिकारों के प्रयोग से समाज की कुरीतियों को रोकने की चेष्टा में सफल होता रहे वहां तक समाज के अधिकार पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । आज हमारे देश में जगह २ मांग की जा रही है कि जहां २ देश के अन्दर यह प्रजातन्त्र आया है वहां हमको सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये और वह सत्ता जहां दिल्ली में हमारे प्रधान मंत्री के हाथ में है वहां से लेकर राजस्थान की एक छोटी से छोटी ढाणी में और एक ढाणी के नागरिक, पंचायत के एक पंच

[श्री भैरूंसिंह]

के रूप में वह सत्ता उसके हाथ में रहे । तो हम एक साइड में यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है और सत्ता को छोटे २ अंश तक पहुंचाना है और सत्ता का उपयोग भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक अपने रूप से कर सके । इस बात का हमें लोगों को अधिकार देना है । वह सारी मन्शा इस बात की द्योतक है कि सरकार समाज, सोसाइटी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करके पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार, पुरानी शासन प्रणाली के अनुसार, हम शासन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था भी करें कि जिस व्यवस्था के कारण प्रत्येक नागरिक शासन में उसका भाग, शासन में उसका हिस्सा है इस बात को कहने के लिये वह एक अधिकृत रूप से अधिकारी बने । लेकिन हमने इस बात को मान्यता नहीं दी । मान्यता इस बात को देनी चाहिये थी कि समाज हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों को नियमन करने में असफल हुआ है और हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों में जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने में बिल्कुल असफल हुआ है और असफल होने की सूरत में सरकार को नियमन करने की आवश्यकता महसूस होती है । लेकिन उसके पहले हमें देखना पडेगा कि आज जो सत्ता है उस सत्ता का हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, वह सत्ता कहीं केन्द्रीभूत तो नहीं हो रही है, उस सत्ता का कहीं केन्द्रीकरण तो नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि आजकल कहने का ढंग तो है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं लेकिन काम करने का ढंग है सत्ता का केन्द्रीयकरण करने का । सोसाइटी के जितने भी अधिकार हैं उन सारे अधिकारों का अतिक्रमण करके, सोसाइटी के अधिकारों को कानूनी रूप देकर सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है । मैं समझता हूं कि देश में इस समय दो प्रकार की प्रणालियां चल रही हैं । एक तरफ तो जनतन्त्रवाद है और दूसरी तरफ अधिनायकवाद । अगर हम इन दिनों के रहस्य को जान जांय तो उनमें रहस्य केवल एक है कि एक में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है । समाज के नीचे से नीचे के अंश तक वे सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे में सत्ता का केन्द्रीकरण होकर कुछ लोगों के हाथ में सत्ता केन्द्रीभूत होती है ।

मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार जहां प्रजातन्त्र का ढोंग रचती है, हमारी सरकार जहां प्रजातन्त्र के मोटे २ सिद्धान्त स्वीकार करती है, वहां अप्रजातान्त्रिक और अनियन्त्रित प्रवृत्ति के द्वारा सत्ता केन्द्रीभूत करने की ओर अग्रसर क्यों हो रही है ? यह कहा जाता है कि सार्वजननी प्रन्यासों का नियंत्रण हाथ में वहां लिया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सूची तैयार नहीं कराई गई और सहायक आयुक्त को अधिकार दिया है कि लोगों से ओब्जेक्शन ले, इंक्वायरी करे, जिस तरह से उचित समझे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ लिया जाय कि रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके दो मतलब हैं । एक यह है कि हमें यह मालूम करना है है कि कितने सार्वजनीन प्रन्यास हैं जिनमें धन का दुरुपयोग होता है । इस प्रकार की यदि इन्क्वायरी करायें और इस नतीजे पर पहुंचे कि चाहे उसकी आमदनी थोडी हो, चाहे करोडों की हो, चाहे लाखों की हो, यदि हमें यह तसल्ली हो जाय, यदि हमने इन्क्वायरी से संतोष कर लिया हो कि इस प्रन्यास में धन का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार का फर्ज है कि उसको रोकने की चेष्टा करे । ऐसी सूरत में सरकार उन प्रन्यासों पर पाबन्दी डाले, यहां इस प्रन्यास में धन का दुरुपयोग होता है, चार पांच व्यक्ति निजी स्वार्थों के लिये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके लिये यदि सरकार को तसल्ली बख्श इन्क्वायरी के बाद इत्मीनान हो जाय तो उस प्रन्यास का रजिस्ट्रेशन करा ले । लेकिन हमारी सरकार ने तो एक हाथ

Page No 63

[श्री भैरूंसिंह]

से, एक डंडे से सबको एक ही श्रेणी में ले लिया है चाहे किसी प्रन्यास का उत्तम काम हो, चाहे किसी प्रन्यास से धन का दुरुपयोग होता हो, उन सबको एक ही श्रेणी में लाकर बिठा दिया है । उन सब को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे उत्तम काम किसी प्रन्यास में हो फिर भी उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा । इससे जो उत्तम काम करने वाले हैं उनके लिये दिक्कत पैदा हो जावेगी । साधु, सन्यासी जितने हैं, जिनको कोई वेतन दर नहीं है, वे सेवा भाव के नाते, धर्म के प्रसार को नीति से, सब बातों से प्रवाहित होकर ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, अगर उन पर रजिस्ट्रेशन बनाने की पाबन्दी डालेंगे, आपको मालूम होगा कि वे कभी उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं, उसका नतीजा क्या होगा कि यदि कोई ट्रस्टी इसको स्वीकार नहीं करता है तो, रजिस्ट्रेशन के निममों के जरिये ट्रस्टीशिप मंजूर नहीं करता है तो उसके लिए मार्ग खुला है कि वह उसका ट्रस्टी न रहे । जब वह उसका ट्रस्टी न रहेगा तो बाकी बचे हुए ट्रस्टी रहते हैं, इसमें दिये हुए इन्स्ट्रूमेंट के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकती है । वह स्थान रिक्त नहीं रहेगा । इस हालत में कई ट्रस्टी बनने की कोशिश करेंगे । ट्रस्टी बनने वाला सोचेगा कि इस प्रन्यास में इस मठ में लाखों रुपयों की सम्पत्ति है, उस ट्रस्ट को भंग कर दिया जावे और उस पर कब्जा किसी प्रकार भी कर लिया जाय । उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि कोटा में मथुरेश का मंदिर है । वहां से मूर्ति उठायी गई उसको बनारस या वृन्दावन ले गये । उस प्रन्यास की संपत्ति के बारे में, मूर्ति के बारे में झगडा हुआ और वहां के एक अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ता धारीवालजी के नाम से मशहूर हैं उनको उसका ट्रस्टी बनाया । मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सरकार अगर इन्क्वायरी कराना चाहती है तो वह इन्क्वायरी मुझ से कराये । अगर धारीवालजी का पयों के दुरुपयोग के बारे में चालान न हो जाय तो कोई बात हुई । सरकार ट्रस्ट रखेगी अपने प्रचारकों के हाथ में और उनको तनख्वाह दिलायेगी हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों से ।

तो रजिस्ट्रेशन किये जाने से जो वालन्टियरी सेवा देने वाले हैं, जो सेवा भावी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर भी नियमानुकूल कार्यवाही होगी, उन पर पर भी वे नियम लागू होंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वे रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं करेंगे और उसके ट्रस्टी नहीं बनेंगे । तो सरकार ट्रस्टी बनावेगी किसी दूसरे को जिस सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से यह पाबन्दी डाल रही है उस सम्पत्ति का दुरुपयोग होगा । यह रजिस्ट्रेशन की प्रणाली है वह ऐसे प्रन्यासों के लिये जो जिन प्रन्यास में धन का दुरुपयोग होता है, सरकार अपने हाथ में उनको ले । लेकिन जिन प्रन्यासों में पैसे का दुरुपयोग नहीं होता है, उन पर एक अतिरिक्त बोझा डालें, उनको नियन्त्रण में लाने की चेष्टा करें यह अनुचित है । वहां करना चाहिये जहां यह तसल्ली हो जाय, किसी तरीके से तसल्ली हो जाय, उपदेश से तसल्ली हो जाय, आदर्श से तसल्ली हो जाय, सलाह मश्विरे से तसल्ली हो जाय इस प्रन्यास का ट्रस्ट उस दुरुपयोग को नहीं रोक सकता है, वैसी सूरत में रजिस्ट्रशन से ही एड नहीं पहुंचेगी, बोझा नहीं पडेगा लेकिन अगर सजा भी कर दें तो किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन जिस ट्रस्ट से आपका ओब्जेक्ट पूरा हो रहा है और उसके कारण जिन लोगों ने लाखों रुपयों की संपत्ति दी, उसकी हमें चिन्ता क्या ? दान में मैं कहता हूं कि एक लाख रुपया दिया है, मुझे उस रकम की चिन्ता नहीं, मेरी रकम का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं । मैं एक व्यक्ति में विश्वास करता हूं और उसको ट्रस्टी मुकर्रर करता हूं ।

[श्री भैरूंसिंह]

ट्रस्टी का मतलब है, शाब्दिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा "विश्वासपात्र"। मैंने जिसको विश्वासी मानलिया उसको सरकार अविश्वासी मानती है। मैं जिसको विश्वासी मान कर पैसा देता हूं सरकार कहती है कि तुमसे विश्वास नहीं, तुम अविश्वासी हो। वह विश्वासपात्र आपका नहीं रहेगा और उस स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इससे तात्पर्य यही निकलता है कि हमारी जो इन्डिपेन्डेन्स है, हमारी धर्म प्रचार करने की जो स्वतन्त्रता है उस पर किसी प्रकार से अधिकार करके उस इन्डिपेन्डेन्स को खत्म करे। जहां इस प्रकार से इन्डिपेन्डेन्स को समाप्त किया जाता है, स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है, फन्डामेन्टल राइट्स हैं और उसका जो ढोंग रचा जाता है उसको समाप्त किया जाता है। मैं जिसका विश्वास करता हूं, जो विश्वास पात्र है, जिसको मैं पैसा देता हूं उसकी ईमानदारी नहीं चलेगी, उस ईमानदारी की परिभाषा नहीं चलेगी और सरकार के दृष्टिकोण में जो बेईमान होगा वह बेईमान ही होगा। उस ट्रस्ट में सरकार का एक पैसा नहीं, सरकार ने एक पैसा डोनेट नहीं किया। आगे जो धारायें हैं उनमें कोष के निर्माण की व्यवस्था की है। उस पर आगे विचार किया जावेगा। कोष बनेगा उसमें सरकार का पैसा नहीं रहेगा लेकिन उस कोष में से आयुक्त, सहायुक्त आदि को तनख्वाहें दी जावेंगी। इस प्रकार से सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर रही है, सरकार उस कोष में एक पैसा भी नहीं दे रही है और जो व्यक्ति देने वाला है, जिसने दान दिया है उस पर विश्वास भी नहीं कर रही है। उसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति दान कर रहा है, वह दान न करे और जितने ट्रस्टीज आज हैं आप दो वर्ष बाद देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि वे धीरे २ कम हो जावेंगे। आज जो ट्रस्टीज बनाने की प्रवृत्ति है, ट्रस्टीज आज बनते हैं, वे एक दम खत्म हो जावेंगे, वह भावना समाप्त हो जावेगी। एक व्यक्ति दान देता है, स्कूल बनाने के लिये पांच लाख रुपया उप-राजस्व मंत्री को दिया, ट्रस्टी कायम किया, और राजस्व मंत्री कहें कि उप-राजस्व मंत्री अविश्वासी हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता है। इस प्रकार की चीजें अगर कानून के द्वारा बनेंगी तो समाज में एक असंतोष की बात बनेगी। जहां सरकारी पैसा नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चोरी का कानून बना हुआ है कि चोरी नहीं करनी चाहिये लेकिन फिर भी चोरी होती है, मर्डर के लिये कानून बना हुआ है कि कत्ल नहीं होना चाहिये लेकिन फिर भी कत्ल होता है। क्या सरकार इस पोजीशन में है कि इन प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यह गारन्टी दे सकती है कि अगर किसी प्रन्यास में धन का दु पयोग हुआ तो सरकार कन्सोलिडेटेड फन्ड से उसकी पूर्ति करेगी।

लेकिन सरकार अपने कंसोलीडेटेड फंड में से पूर्ति करनेवाली नहीं है। सरकार तो मन्दिरों का कंसोलीडेटेड फंड होगा और उसमें जो पैसा होगा उसी में से खर्च करेगी। उस फंड में से किस प्रकार रुपया खर्च किया जाय इस बात की कोशिश करेगी। जहां संस्थाओं के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और वहां के पैसे का दुरुपयोग हो रहा ह उस प्रकार की संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि धन का दुरुपयोग होता है उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिये। यदि किसी मन्दिर के धन का दुरुपयोग हो रहा है या वहां की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वहां उसका रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उस पर तो सरकार को पूरा ही अधिकार करना चाहिये। इस पोलिसी से तो पूरा अधिकार नहीं होता बल्कि कन्फ्यूज्ड स्थिति हो इस प्रकार की बात होगी। इससे न तो मन्दिरों के अधिकार का पता होगा न प्रन्यासधारी के अधिकार का पता होगा

[श्री भैरूंसिंह]

और न सरकारी आयुक्त के अधिकारों का पता होगा और न समितियों के अधिकारों का पता होगा। तो जहां इस प्रकार की बात लॉ में लाना चाहते हैं तो उसका असर प्रन्यास या आयुक्त पर नहीं होने वाला है, बल्कि उसका असर धर्म पर होनेवाला ह। मैं समझता हूं कानून द्वारा इस प्रकार की ज्यादती बहुमत के बल पर की जाती है तो यह कोई शोभा की बात नहीं है। सरकार कहती है कि हिन्दुओं के प्रन्यासों पर अधिकार नहीं हुआ तो राजस्व मन्त्रीजी की बात आयगी, उनकी नाक कटती है और प्रतिष्ठा भंग होती है। मैं कहूंगा कि धर्म के सामने उनकी प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं है। आज जयपुर शहर में पूर्ण हड़ताल है, दुकानें बन्द हैं, जलूस निकल रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इससे क्या राजस्व मन्त्रीजी की प्रतिष्ठा रही है ? धार्मिक भावनाओं में जनता न मालूम क्या करदे ? लेकिन सरकार तो धार्मिक भावनाओं को हर तरह से खत्म करना चाहती है। सरकार प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन करेगी, स्टेटमेन्ट मांगेगी। परिभाषा में आगे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हित रखने वाला हो, धर्म में विश्वास रखता हो वह शिकायत कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें ५ लाख रुपये दिये। किसी को उस पर ऐतराज हुआ कि वह काम पूरा नहीं हुआ वह इसके बारे में इन्क्वायरी करवा लेगा। उसमें शहादतें होंगी और लोगों पर जबर्दस्ती निर्णय थोपा जायगा। नतीजा यह होगा कि दान देने वालों की स्प्रिट रुक जायगी। यदि सरकार इस बात का दावा करे कि जितने जोर से और प्रगति से ५ लाख में धार्मिक ट्रस्ट बढ़े हैं उसी जोर की प्रगति से यह एक्ट लागू होने के बाद ट्रस्ट बढेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन सरकार चाहती है कि मन्दिरों की पूंजी हमारे हाथ में आवे, चाहे जिसको हम अधिकार दें, चाहे जिस महन्त को निकाल दें और चाहे जिस ठाकुरजी की मूर्ति को वृन्दावन भेज दें। आप यदि यह काम बहुमत के जोर से करना चाहते हैं तो करें लेकिन हमारा तो काम है आपको सूचित करने का कि यह आपका कदम बेजा है। आप यदि चाहते हैं कि धार्मिक मामलों में भी आपको अधिकार है तो मैं खास तौर पर कहूंगा कि रतनगढ़ से आनेवाले मित्र जो सलाहकार के रूप में इम्पोर्टेन्ट सदस्य बने हैं उनसे राय लेलें कि इन पर अधिकार करना आवश्यक है या नहीं।

जो प्रन्यास सरकार के महकमों की बनिस्बत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिनके प्रशासन में एक पैसे भर भी गडबड नहीं है उन पर हाथ क्यों डाला जाय ? दुरुपयोग के कारण करने की जो कानून की मंशा है वह केवल भुलावा है। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि सार्वजनिक प्रन्यासों पर किसी न न किसी रूप में उनका अधिकार होना चाहिये। इस समय तो इतना हो कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है समझें तो जहां पर संपत्ति का दुरुपयोग होता हो उनका रजिस्ट्रेशन करें और उनके लिये भी यह करें कि जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वे प्रन्यासधारी यदि अमुक कार्यकाल में अपना चरित्र ठीक करें और प्रन्यास की सेवा ठीक ढग से करें तो निश्चित अवधि में वे प्रन्यास रजिस्ट्रेशन से मुक्त होने चाहिये। हमारी भूतपूर्व जयपुर रियासत में मीणों और दूसरे जरायम पेशा लोगों की हाजरी होती थी और उनके लिये रजिस्ट्रर खुले हुए थे। उनके लिये यह था कि ५ साल में, ३ साल में या जितने साल के लिये सरकार की तरफ से अवधि नियत थी उस अवधि में यदि अच्छा चरित्र अपना रखें और वे अपने आप को अच्छा साबित करदें तो उनको हाजरी से मुक्ति मिल जाती थी। उसी तरह से यदि किसी मन्दिर की संस्था की व्यवस्था ठीक नहीं है और उसमें आपको कोई बुराई दीखे

[श्री भैरूंसिंह]

तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाय, लेकिन उन लोगों को भी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि यदि उनसे कोई बुरा काम हुआ है तो उस बुराई को दूर करके अच्छा काम साबित कर दिखावें निश्चित अवधि में तब उनको उससे मुक्त होने की छूट होनी चाहिये। जब तक इस तरह की कोओपरेशन की नीति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा चाहे उन पर सरकार सहायुक्त, आयुक्त या पूरे महकमें की रोक लगा दे तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को विलोपित करने के लिये मैंने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

रावत श्री शम्भूसिंह—सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक के अन्तर्गत अध्याय २ के उप-खण्ड (२) में मेरा संशोधन यह है कि इसमें से "हिन्दू" शब्द को विलोपित किया जावे और इसके आगे जहां जहां पर "हिन्दू" शब्द आया है वह भी निकाला जाय, इसको प्रस्तुत करते हुए मेरी दलीलें लगभग उसी प्रकार की होंगी जो मैंने पहले प्रस्तुत की थीं। मैं आशा करता हूं कि यदि मैं उन्हीं युक्तियों को पेश करूं तो भी कोई संतोषजनक उत्तर मिलने वाला नहीं है, इसलिये मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करके मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—Amendments by Shri Chandmal Mehta.

श्री उपाध्यक्ष—उनके अमेन्डमेन्ट्स उप खंड (३) पर हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, ये संशोधन चेप्टर २ को ओमिट करने के लिये दिये गये हैं। इसका मतलब यह है कि चेप्टर २ में वर्णित रजिस्ट्रेशन ओफ हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट को विलोपित किया जाय। जो बिल का बेसिस है यदि उसको ओमिट करते हैं तो बिल में आखिर रह क्या जाता है? बहुत लंबी चौडी बहस करते हुए दांतारामगढ से आने वाले लायक दोस्त ने धर्म और धार्मिक स्थानों के कार्य में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके कि मैं ने आज सदन में शुरू में डेफिनेशन की सब-सेक्शन (४) (२) पर बहस हो रही थी तब मैंने विनेदन किया था कि ज्योंही बिल पास होगा त्योंहो सब पर लागू नहीं होगा बल्कि उन पर लागू होगा जिनके बारे में वक्त वक्त पर तारीख निश्चित करके अमुक अमुक प्रकार से लागू करना निश्चित् करेंगे। उन पर इसको लागू करने से पहले एक विज्ञप्ति गजट में निकलेगी और उसके अनुसार ऐतराज सुनने के बाद यह लागू किया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई खास कारण नहीं होगा तब तक हरएक प्रन्यास पर यह लागू नहीं होगा। यह मैंने स्पष्ट किया था। लेकिन बहस करते समय माननीय सदस्य इस बात को भूल गये, उन्होंने उसी रफ्तार से जो उनकी विरोध करने की रहती है उसी उद्देश्य से विरोध करने के लिये भाषण दिया और मैंने जो बात कही थी उसको भूल गये और यह कहा कि आपको अधिकार है कि उन प्रन्यासों पर लागू करें जो मिस मेनेज्ड हैं पर सब पर क्यों किया जाय? मैंने पहले ही यह क्लीयर कर दिया था कि सब पर लागू नहीं होगा। गवर्नमेन्ट की यह मंशा नहीं है कि सब पर लागू किया जाय। सिर्फ उन पर लागू होगा जिनको गवर्नमेन्ट अमुक अमुक कारणों से डिक्लेअर करेगी उनके ऐतराज सुनने के बाद लागू होगा।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

रजिस्ट्रेशन के चेप्टर २ को मुलाहिजा फरमायेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसी कौनसी बात है जिस पर ऐतराज किया जाय ? जब एक बात तय हो जाती है कि आम तौर पर यह चेप्टर लागू नहीं होगा तो फिर डरने की क्या बात है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कभी किसी ट्रस्ट पर सरकार यह कानून लागू करना चाहे तो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब तक सरकार आगे कैसे बढ सकती है। जब तक सूचना जो सेक्शन (४) में दी है और इन्क्वायरी जो (५) और (६) में दी है उसको पूरा नहीं किया जाय तब तक डिटेल्स मालूम नहीं हो सकते। और जब तक डिटेल्स मालूम नहीं होते तब तक कार्यवाही क्या की जावे ?

यह कहना कि तहकीकात में बहुत गडबडी हो जायगी, यह ठीक नहीं। मैंने कहा कि जिस क्लास के पब्लिक ट्रस्ट पर यह एक्ट एप्लाई करेगा उसको मौका दिया जायगा कि वह असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान विभाग के पास एप्लीकेशन करे और उसमें सारे डिटेल्स हों, जो लोग उस ट्रस्ट से सम्बन्धित होंगे वे सारे डिटेल्स देंगे, इस पर असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान विभाग जो निर्णय दे उसके लिये जो आदमी उस ट्रस्ट से सम्बन्धित हैं और जिनको एतराज है, उनको अधिकार दिया गया है कि वे अपना अदालत दीवानी में असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान विभाग द्वारा दिये गये डिसीजन के खिलाफ अपील लेकर उसे रद्द करवा सकते हैं ।

मैं समझ नहीं पाया इस बात को कि एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि जिनमें ट्रस्ट की प्रोपर्टी का मिसएप्रोप्रियेशन होता हो, ट्रस्ट की प्रोपर्टी का दुरुपयोग होने की संभावना हो और इस बात पर यकीन करने की माकूल वजह हो कि उस प्रोपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है तो उन पर अगर प्रन्यास लागू किया जाय तो यह बिलकुल ठीक है, इसमें उन्हें कोई एतराज नहीं और इसके साथ ही माननीय सदस्य यह भी कहते हैं कि इसे विलोपित कर दिया जाय, तो इस से यह जाहिर होता है कि वे इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि आगे की सब सेक्शन्स बेकार हो जायं।

जब किसी प्रन्यास पर यह कानून लागू करना है तो उस प्रन्यास का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एसिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान के रजिस्टर में पूरी डिटेल्स जब तक दर्ज नहीं हो जायेंगी तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता । इसलिये यह चेप्टर बहुत जरूरी है।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे अमेन्डमेन्ट का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—शम्भूसिंहजी के अमेन्डमेन्ट का उत्तर दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—सदन का समय बेकार जायगा इसलिये मैं ने इस पर कुछ नहीं कहा। माननीय सदस्य ने कहा कि "हिन्दू" शब्द को हटाने के लिये मैंने जो पहले दलीलें दी हैं वे ही दलीलें हैं। तो मैं भी इसके लिये यही अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा जवाब भी वही है ।

(हंसी)

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दातां रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा है। मुसलमानों के लिये वक्फ एक्ट बना हुआ है, क्रिश्चियन्स के लिये एक्लेसियास्टिक लॉ बना हुआ है जो ईसाइयों के सारे चर्चेज पर लागू होता है।

फोरेन मिशनरीज हैं वे जो यहां फंक्शन करती हैं उनको फाइनेन्स बाहर से मिलता है, उनका इस प्रन्यास से सम्बन्ध नहीं, उनकी अगर एन्टी नेशनल एक्टीविटीज हों और सरकार ने नोटिस में लाई जायें तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। पर मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य का यहां इन बातों की चर्चा से क्या मकसद है, जब कि इन बातों का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरू सिंह—सरकार एक एन्क्वायरी कमीशन क्यों नहीं बैठा देती, इनकी जांच के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सदन में इस प्रकार के जवाब दिये गये हैं कि इस बारे में इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री भैरू सिंह—कमीशन क्यों नहीं मुकर्रर किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमीशन मुकर्रर नहीं किया जा सकता, इसकी जांच के लिये सरकार काफी है। पर इन मिशनरीज का इस बिल से क्या ताल्लुक है ? उन्होंने यह भी कहा कि लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछ लिया जाय। माननीय सदस्य ने कानून के मसलों को अच्छी तरह समझ रखा है तो कम से कम अपने भाषण में यह भी बताते कि फौरन मिशनरीज का सार्वजनीन प्रन्यासों से क्या ताल्लुक है ? उनकी एक्टिविटीज इन्डिया में होती हैं, पैसा तमाम बाहर से आता है, तो इसकी बहस ही बेकार होगी।

श्री भैरू सिंह (दातांरामगढ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने मेरे संशोधनों के उत्तर में कई ऐसी बातें नहीं बताई जिनके कारण से मुझे या इस सदन को ऐसा विश्वास हो जाय कि जो इन संशोधनों की मंशा है और जो शब्द संशोधनों की मंशा को बताने के वास्ते सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन शब्दों से जिस भावना का परिचय मिलता है वही भावना आगे जा कर कार्य रूप में आयेगी।

माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एक हथियार ले रखा है, उनका वह हथियार है बच्चों को डराने का और जो न समझते हों उनको मुगालता देने का। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन हथियारों का प्रयोग इस सदन में करना चाहेंगे तो वह हथियार झूठा होगा।

सरकार ने धारा १ में एक संशोधन प्रस्तुत करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सरकार जिसको चाहेगी उसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा और उसी पर धारा ५ की कार्यवाही लागू होगी।

मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बताऊं जिस सरकार को आप अधिकार दे रहे हैं उसी से तो लडाई है, आप से नहीं, और किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं जिस सरकार के हाथ में यह बात आने वाली है कि उसकी मर्जी में आये उस ट्रस्ट को अपने नियन्त्रण में ले।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं अपने संशोधन को वापिस लेने को तैयार हूं। यदि माननीय राजस्व मन्त्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण करदें कि किन किन कारणों से हिन्दू प्रन्यास ट्रस्ट का कानून किन किन पर लागू होगा और किन किन पर लागू नहीं होगा। जिन प्रन्यासों पर सरकार का नियन्त्रण करने का अधिकार नहीं उन पर अगर सरकार नियन्त्रण करे तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रिम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, पर सरकार चाहती है कि हम चाहें जिन प्रन्यासों पर नियन्त्रण करलें और इससे हमें विरोध है, हमारा विरोध यह है कि आप जो बात कह रहे हैं वह कानूनी भाषा में हो, आपकी स्वेच्छाचारिता से कानून बने इसका हम विरोध करते हैं।

जहां मिसएप्रोप्रिएशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं तो मैं अब भी कहता हूं रजिस्ट्रेशन नामकी कोई चीज इस कार्यवाही को रोकने वाली नहीं, उस पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिये। जहां पर धन का दुरुपयोग होने की आशंका हो वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहां केवल रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, जहां दुरुपयोग का भय हो वहां रजिस्ट्रेशन से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ इस चेप्टर को डिलीट करने की बात कर रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन से जो धन का दुरुपयोग हो रहा है वह नहीं मिट सकता और सरकार यह चाहती है कि वह उसको रोक लेगी, नहीं रोक सकेगी। मैं तो यह कहूंगा कि इससे धन का दुरुपयोग ज्यादा होगा और सरकार उसको ज्यादा बढावा दे रही है। हां, सरकार को यह चाहिये कि जहां पर धन का दुरुपयोग होता है उनके लिये कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रखना चाहिये, हालांकि हम यह मानते हैं और मान कर चलते हैं कि सरकार के नियन्त्रण से भी किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं है, फिर भी मजबूरी है। क्योंकि जिस रूप में सरकार है और अपना काम कर रही है और जिस रूप में सरकारी नियन्त्रण में काम होता है वह जानते हैं और वह किसी से छुपा नहीं है अब केवल यह कह कर कि धारा १ में हम संशोधन ला रहे हैं इसलिये हमें इस बात की छूट दे दी जानी चाहिये कि जिसको हम चाहें रजिस्ट्रेशन करें और जिसको चाहें न करें। हमारा रोना किस बात का है, हमारा रोना सिर्फ इसी बात का है कि आप चाहें वह नहीं होना चाहिये जनलर पब्लिक चाहे वह होना चाहिये। आप तो नाथद्वारा के मन्दिर का रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यदि उनके महन्त ने आपको कह दिया कि हम कांग्रेस के इलेक्शन में २ लाख रुपये देंगे और एक जीप कार देंगे और उनके जो धार्मिक सेवक हैं वे सब कांग्रेस का प्रचार करेंगे तो ऐसी हालत में आप उनको रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर देंगे। उनके धनका दुरुपयोग होगा। वह भले ही हो, मन्दिर की मूर्तियों का पता न रहे वह भले ही न रहे लेकिन हमारे इलेक्शन फंड में रुपया दो लाख आ गया है इसलिये उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जावेगा। उसको इससे मुक्त कर दिया जावेगा। यदि आप किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन से उनको मुक्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी परिभाषा में स्पष्ट बताना होगा कि किस प्रकार के मन्दिरों को किस किस हालत में मुक्त किया जावेगा। किस प्रकार का मिसएप्रोप्रिएशन, किस प्रकार का क्रीमीनल ब्रीच और मिस मेनेजमेन्ट होगा तब उस पर यह कानून लागू होगा। जब तक इस बात की परिभाषा नहीं होगी तब तक हमें कैसे मालूम हो सकता है कि किस हालत में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर माननीय राजस्व मन्त्री का हृदय अभी भी साफ है तो उनको बता देना चाहिये कि इसकी परिभाषा क्या होगी। आपने यह रखा है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो १०० रु० का दंड या अधिक से अधिक २०० रु०

[श्री भैरूंसिंह]

का दंड दिया जाएगा। मैं यह कहूंगा कि इससे जिस प्रकार आप यह चाहते हैं कि धन का दुरुपयोग होना बच सके नहीं बचेगा।

क्रिमिनल ब्रीच ग्रोफ पीस, मिस एप्रोप्रिएशन ग्रादि के लिये इन्डियन पीनल कोड़ में सारी बातें ग्राजाती हैं। मिसमैनेजमेन्ट भी ग्रगर हो तो जो व्यक्ति ट्रस्ट में ग्रपना धन देता है उसको उसके खिलाफ कार्यवाही करने का ग्रधिकार है। मैं समझता हूं कि कौनसी चीज ऐसी है जो कानून के खिलाफ करते हैं तो उसके लिये सजा नहीं हो सकती। इसके ग्रागे तीन चीज ग्राती हैं मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ग्रौर मिस मेनेजमेन्ट। मिस मेनेजमेन्ट कैसा हो। मैं यह कहूंगा कि प्रसाद बांटकर बांटते समय यदि कोई किसी को नहीं बांटता तो वह मिस मेनेजमेन्ट नहीं कहा जावेगा, यदि किसी को मन्दिर में घुसने का ग्रधिकार है ग्रौर घुसने नहीं देता है ग्रौर यह कहें कि उसको घुसने का ग्रधिकार नहीं है, या मन्दिर की मूर्ति को कोई हाथ नहीं लगाए, या ठाकुरजी की पुजा नहीं हो या मंत्री महोदय ग्रगर वहां पर पधारे तो मन्दिर का पुजारी या महन्त उनका स्वागत पौलें बनाकर न करे तो यह मिसमेनेजमेन्ट हो सकता है उनकी नजरों में। मिसमेनेजमेन्ट तो एक व्यापक शब्द है। इसके लिये मिसमेनेजमेन्ट की परिभाषा बनानी होगी। जबतक इसकी परिभाषा न हो मैं निवेदन करूंगा कि धारा १ में संशोधन करने से कोई फायदा नहीं होगा ग्रौर माननीय राजस्व मंत्री इस धारा में संशोधन करके ग्रपने हाथ में एक ग्रच्छा हथियार ले रहे हैं।

माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो बातें कहीं यदि वे उन व्यक्तियों के सामने कहते जो उनके कारनामों से परिचित नहीं होते तो मैं समझता हूं कि वे लोग उनकी बातों पर विश्वास कर सकते थे। हम तो उनके कारनामों से परिचित हैं।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने जवाब दिया कि चर्च ग्रौर मस्जिदों के संबंध में कानून बने हुए हैं ग्रौर यह भी बताया कि चर्चो के लिये एमेरिका से यानि फोरिन देशों से से पैसा ग्राता है उनके ट्रस्ट बने हुए हैं। हम उनमें किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैं ग्रापको बताना चाहता हूं कि यदि ग्राप कानून बनाना ही चाहते हैं ग्रौर उनके यहां किसी प्रकार की गडबडियों को रोकना ही चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राप ५ मिनिट के लिये इस कानून को रोक दीजिये, मैं ग्रापको ड्राफ्ट बना कर देता हूं जिसमें इस हिन्दू ट्रस्ट बिल के ग्राधीन मिशनरीज ग्रौर मस्जिदों पर भी यह रायज होगा। यदि ग्राप यह कह कर टालना चाहते हैं कि हमने लॉ डिपार्टमेंट से इसके बारे में पूछ लिया ग्रौर लॉ डिपार्टमेन्ट कहता है कि यह किसी प्रकार लागू उन पर नहीं हो सकता तो मैं यह कहूंगा कि ग्रापकी भावना को दूसरे भी समझते हैं। हम भी ग्रापके हृदय की बात समझ सकते हैं कि ग्रापके हृदय में क्या बात है ग्रापके पहले वालों के दिल में क्या बात थी ग्रौर ग्रापके ग्रागे ग्रानेवालों के हृदय को भी समझ सकते हैं। इसलिये यह कानून मुगालता देकर की धारा १ में संशोधन ला रहे हैं इसलिये इसको मान लें माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से ग्रभी ग्राश्वासन चाहूंगा कि क्या वे वास्तव में मिस एप्रोप्रिएशन ग्रौर ब्रीच ग्रोफ पीस व मिसमेनेजमेंट को रोकना चाहते हैं? यदि हां, तो उनको चाहिये कि जहां कहीं मिस मेनेजमेंट हो या मिसएप्रोप्रिएशन हो तो ऐसी सूरत में यह ग्रावश्यक होगा कि जहां पर इस प्रकार का मिसएप्रोप्रिएशन हो या क्रिमिनल ब्रीच

[श्री भैरूंसिंह]

हो या मिस मेनेजमेंट हो वहां पर रजिस्ट्रेशन का बान लगा दिया जाये और जब उसका प्रबन्ध ठीक हो जाए तो उसको उससे मुक्त कर दिया जाए। मैं यह चाहता हूं कि जो गडबडी करते हैं उनको सजाएं जानी चाहियें। यदि माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देने को तैयार हों तो मैं अभी अपने प्रस्तावों को वापिस लेने को तैयार हूं कि जहां कहीं गडबडी हो वहां पर कडा कदम उठाया जायगा। वे चाहते हैं कि साधारण सी कार्यवाही हो। मैं यह चाहता हूं कि जो आदमी एक व्यक्ति को विश्वासी मान कर उसको पैसा देता है और यह समझता है कि उसके पैसों का सदुपयोग होगा और दूसरे लोग जिन पर वह विश्वास करता है उसके प्रति विश्वासघात करते हैं और जिस मकसद से लिये रुपया दिया जाता है उसको खर्च नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना आवश्यक है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही उस प्रकार के दुरुपयोग के मामले को रोकने के लिये बिल्कुल अनुचित होगी। मिसमेनेजमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन आदि के लिये इन्डियन पीनल कोड में कानून है ही उसके अनुसार कार्यवाही करना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं होगा।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही को रोकने के लिये और सारे हिन्दू सार्वजनिक मन्दिरों के पुजारियों को सरकार की सजा से बचाने का प्रयत्न करें ताकि मन्दिरों का कार्य शांति से चलता रहे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री शम्भूसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अध्याय २ के प्रति जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष—जो माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंह के संशोधन का समर्थन करते हों वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(संशोधन के पक्ष में ६ मत)

जो इस संशोधन के विरुद्ध हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री भैरूंसिंह—यह तो बता दीजिये कि किस क्लॉज पर क्यों हो रहा है?

(बहुमत था इसलिये गिनती नहीं की गई)

श्री उपाध्यक्ष—(मतदान के पश्चात्) ना पक्ष जीता संशोधन गिर गया

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि रावत श्री शम्भूसिंह ने जो संशोधन इसमें रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

अध्याय दूसरा विचारार्थ लिया जाता है।

खण्ड ३, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इस खण्ड के उप-खण्ड (१) से लेकर (६) तक जहां पर भी शब्द "हिन्दू" आया हो वह विलोपित कर दिया जावे।

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि "हिन्दू" शब्द जहां भी आया है वह एक प्रकार से डिसक्रिमीनेटरी है यह एक प्रकार से हिन्दुओं को जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास मात्र है इस वास्ते इसको विलोपित कर दिया जावे। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, "हिन्दू" शब्द पर काफी बहस हो चुकी है इसलिये इस अमेन्डमेन्ट पर विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का यह क्लॉज है वैसा ही पास किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अध्याय दो के खण्ड ३ पर जो संशोधन रावत श्री शम्भूसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ४

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक एक खंड को अलग अलग लिया जाय तो सुविधा रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष--आप एक साथ ही सब अमेन्डमेन्ट मूव कर दें ताकि जवाब एक साथ ठीक दिया जा सके ।

श्री चांदमल मेहता--उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ४ पर मैंने अपने कई संशोधन दिये हैं, लेकिन सिर्फ एक ही संशोधन को मैं मूव करना चाहता हूं और वह है खण्ड ४ के उप-खंड (१) में "उद्गम प्रकार" इन शब्दों को लोप किया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के अन्दर इस बात की चर्चा है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आवेदन-पत्र में ये ये बातें लिखनी होंगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करें मैं भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं भी इस धारा में कुछ अमेन्डमेन्ट करना चाहता हूं शायद उसके करने से माननीय सदस्य का मतलब हल हो जायगा । मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि इसके उप-खंड (१) में जहां शब्द "उद्गम" है उसके पश्चात कोष्ठक में "जहां तक ज्ञात हो" निविष्ट कर दिये जांय ।

मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है पुराने ट्रस्ट हों उनका ओरीजन मालूम न हो सके तो इसलिये यह रखा गया है कि जहां तक ज्ञात हो सके उनका ओरीजन दर्ज किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका अमेन्डमेन्ट किस में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--This is an amendment of 4(3)(i)

जहां "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास का उद्गम" शब्द हैं उसके "पश्चात् जहां तक ज्ञात हो" इन शब्दों को कोष्टक में निविष्ट किया जाय ।

श्री चांदमल मेहता--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के संशोधन के पश्चात मुझे संशोधन मूव करने की आवश्यकता नहीं । जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्तुत किया है उससे मेरा मतलब हल हो जाता है ।

श्री भैरूं सिंह (१६)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उप-खंड (१) में मेरा संशोधन इस प्रकार से है, जहां उप-खंड (१) है उसके आगे निम्न लिखित प्रतिबन्ध और जोड दिया जाय वह प्रतिबन्ध यह है :

"किन्तु शर्त यह है कि उप-धारा ऐसे प्रन्यासों पर लागू नहीं होगी जिन प्रन्यासों की चल या अचल सम्पत्ति दस हजार रुपये से कम हो या जिनकी वार्षिक आमदनी बारह सौ रुपये नकद से कम हो । "

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्याय के खंड ४ के उप-खंड (१) में सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है "उस तारीख से, जिसको यह धारा प्रवर्तन में आवे, अथवा जिसको कोई हिन्दू सार्वजनीन

[श्री भैरूसिंह]

प्रन्यास बनाया जावे, दोनों में जो भी बाद में आवे, तीन महिने के अन्दर प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास का कार्यवाहक प्रन्यासधारी अधिकार क्षेत्र रखने वाले सहायक आयुक्त को उस सार्वजनीन प्रन्यास के पंजीयन के हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। सहायक आयुक्त इस धारा द्वारा पंजीयन के लिये निर्धारित समय को, ऐसे कारणों वश जिन्हें लेखबद्ध किया जाना चाहिये, बढ़ा सकता है लेकिन ऐसी वृद्धि तीन महिने से अधिक समय के लिये नहीं होगी" इस धारा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि अगर आवश्यकता हो उनके कारणों को लेखबद्ध करके उस अवधि में किसी भी प्रकार से एक्सटेन्शन कर सकता है।

मेरा संशोधन यह है कि जितने भी सार्वजनीन प्रन्यास ऐसे हैं जिनकी चल या अचल सम्पत्ति १० हजार से कम है या जिनकी आमदनी वार्षिक १२००) से कम है ऐसे प्रन्यासों के ट्रस्टीज को रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझूंगा कि इस बात को लेकर यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तो कम से कम आमदनी वाले जितने प्रन्यास हैं उनके ऊपर पंजीयन की पाबन्दी की कार्यवाही से जो अतिरिक्त बोझा आने वाला है वह उस बोझे से बच सकेंगे। आज यदि एक पैसे का भी कोई ट्रस्ट है तो उसको भी पंजीयन कराना पड़ेगा, यदि पांच मन अनाज का भी कोई ट्रस्ट है तो उसको भी पंजीयन कराना लाजिम होगा। गांवों में कबूतरखाने हैं, गोशाला का फंड निर्धारित किया जाता है, लूली लंगड़ी गायों को चारा मकर संक्रान्ति के दिन या किसी हिन्दू पर्व के दिन दान करने के लिये घास फण्ड इकट्ठा किया जाता है। मन्दिर में यज्ञ हवन करने के लिये पैसा इकट्ठा किया जाता है और वह सारा रुपया लोगों से एक एक रुपया, एक एक आना, दो दो आना, आठ आठ आना करके इकट्ठा होता है, वह सारा का सारा पैसा खुद दान देने वाला खर्च नहीं करता, उसको या तो समय नहीं मिलता या फिर वह खुद नहीं करना चाहता किसी दूसरे के मार्फत खर्च कराना चाहता है। मान लीजिये कि मकर संक्रान्ति के लिये घास डलवाने के लिये किसी ने एक आदमी को दस रुपये दिये, यज्ञ हवन आदि करवाने के लिये, बच्चों में किताबें वितरण करवाने के लिये या कबूतर खाने में दान करवाने के लिये इसी तरह से कुछ रुपया एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है अथवा उनकी समिति बनी होती है और उस समिति के मार्फत वह सारा धन खर्च किया जाता है तो इस प्रकार की समिति अगर बनी है दूसरे का धन लेकर धार्मिक कामों में खर्च करने के लिये बनी है तो इस मामले में हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के नाम से उसे भी पंजीयन कराने के लिये बाध्य किया जावेगा। हमारी सरकार ने तो इस व्यवस्था के द्वारा किसी भी प्रन्यास को नहीं छोड़ा। दुरुपयोग का प्रश्न आवेगा आगे फिर ऐसा छोटा मोटा प्रन्यास भले ही २०० रुपये साल का हो, दो सौ रुपये, सौ रुपये साल के इस तरह के जितने भी प्रन्यास हैं वे सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के लिये बाध्य किये जावेंगे। यदि रजिस्ट्रेशन इतना ही हो कि एप्लीकेशन पेश की और रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हो सकता है कि छोटे छोटे धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा लें। पर रजिस्ट्रेशन के लिये कई दिक्कतें पेश की हैं। इसके साथ साथ स्टेटमेन्ट हिसाब का पेश करना पड़ेगा, और इसमें उन बातों का उल्लेख करना पड़ेगा कि इस ट्रस्ट के पास कितनी प्रोपर्टी है, कितनी चल अचल सम्पत्ति है। इसकी वार्षिक आमदनी क्या है और वह भी तीन वर्ष का औसत लेकर निकाली

[श्री भैरूंसिंह]

जावेगी। आगे चलकर व्यवस्था दी है कि वार्षिक आमदनी वह किस प्रकार निकाली जावेगी। इसके लिये कह दिया कि तीन वर्ष पहले का आंकड़ा निकाला जावे और उसकी औसत आमदनी क्या है यह बताना पड़ेगा। मन्दिर में चढाने की आमदनी किस तरह बतावेंगे ? पांच दस बीस रुपया एक एक करके लोग चढाते हैं तो इसका क्या हिसाब होगा ? कहीं कहीं हनुमानजी के मन्दिर, बालाजी के मन्दिर आदि में कोई फल-फूल चढाते हैं, प्रशाद चढाते हैं तो इसका क्या हिसाब होगा ? चांवल, नारियल, सुपारी वगैरह चढाते हैं तो इसका क्या होगा ? इसका हिसाब भी सरकार चाहती है कि उसे दिया जाये ताकि वे वह भेंट-पूजा का कलाकन्द खाते रहें। पर यह कलाकन्द उनको महंगा पड़ेगा। इसमें मीठा नहीं है, जहर है। इसको खाने वाला सीधा श्मशान भूमि में जावेगा। यह कलाकन्द खाने के बाद उसको इनाम जो मिलने वाला है वही सरकार भोग सकती है। तो हर सूरत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि यदि वर्तमान सूरत में ही इस कानून को अगर पास कर दिया तो इसका नतीजा क्या होगा ? आज गांवों में लोग अनाज इकट्ठा करते हैं वह कोई नहीं करेगा, कबूतरों को अन्तराय लगेगी, उनकी सेवा करने वाले उठ जावेंगे। कुत्तों के लिये रोटी गरीबों के लिये फटे पुराने कपड़े आदि इकट्ठा करते हैं लोग धार्मिक सेवा भावना से प्रेरित होकर वे भी डरकर बैठ जावेंगे। रजिस्ट्रेशन इनको करना होगा। तो अनाज, कपड़ा, रोटी, पांच दस रुपया यज्ञ योगादि के लिये, कबूतर-खाने के लिये, इकट्ठा करने वालों को भी तीन महीनों के अन्दर अन्दर अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर तीन महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करावें तो सजा होगी उनको २००) रु० जुरमाने की। पचास रुपया मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और सजा होगी दो सौ रुपये की। क्या १५०) वह अपनी जेब से देगा या राजस्व मंत्री जी की जेब से निकालेगा। तो इन ऐसे ट्रस्टों को परेशानियां होंगी और नतीजा यह हो जायगा कि कभी किसी भी छोटे से काम के लिये कोई भी इस प्रकार सेवा भाव से धन इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक आदमी को भूखी प्यासी गायों को घास चारा डालना है। वह स्वयं पांच घास के पूले अपने सिर पर ढोकर डाल सकने की स्थिति में नहीं है। उसकी सामाजिक स्थिति उसको इसकी इजाजत नहीं देती। वह दूसरों के मार्फत यह काम कराना चाहता है और वह चाहेगा कि वह जिस आदमी में विश्वास रखता है उसके मार्फत करावे। पर रजिस्ट्रेशन की तलवार उस पर लटक रही है। वह रजिस्ट्रेशन कराने के लिये बाध्य है। पहली पाबन्दी है हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास का उद्गम, प्रकार और उद्देश्य तथा नाम जिससे वह सार्वजनिक प्रन्यास पुकारा जाता है या पुकारा जायगा, (२) वह स्थान जहां पर उस हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास का प्रवचन प्रधान कार्यालय या उसके कार्य का प्रधान स्थान स्थित है, (३) कार्यवाहक प्रन्यासधारी तथा प्रबन्धक के नाम और पते, (४) प्रन्यासधारियों के पद के उत्तराधिकार की रीति, (५) प्रन्यास की चल या अचल सम्पत्ति, जो राज्य के अन्दर हो, की सूची और उस सम्पत्ति का ऐसा वर्णन तथा विवरण जो उसकी पहचान के लिये पर्याप्त हो, आदि आदि।

अब यह प्रधान कार्यालय कहां से होगा ? कौनसा मकान प्रधान कार्यालय होगा कौन प्रधान कार्यकर्त्ता होगा। वर्किंग ट्रस्ट किसको बनावेंगे ? ये सारी बातें इन छोटे छोटे प्रन्यासों के लिये असुविधाजनक हैं। न इनमें वर्किंग ट्रस्ट होगा। न हिसाब रक्खा जाता है। इन छोटे छोटे प्रन्यासों में सब बातें मौखिक होती हैं। दो चार रुपये का दाना खरीदा लिया, दो चार का घास खरीद लिया

[श्री भैरूंसिंह]

या पांच सेर रोज के हिसाब से एक आदमी खिलावेगा तो उसके हिसाब से वह खाता देता रहेगा । अब रजिस्ट्रेशन हो गयी तो इन सबका हिसाब रक्खा जावेगा । बजट पेश किया जावेगा । इसमें क्या होगा हमारे पास २००) रुपये हैं इसमें पचास रुपये का चारा खरीदा जावेगा, पचास का और कोई खर्च होगा, पचास का और कोई दाना खरीदा जावेगा, और इसके बाद कोई सप्लीमेन्टरी बजट होगा और उसके बनाने की जरूरत होगी तो वह भी बनेगा । तो छोटे छोटे कामों में सार्वजनीन प्रन्यास को हम रजिस्टर्ड करावेंगे तो सारा काम बन्द हो जाएगा । यहां कोई दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है । गावों में लोगों की निगाहें इन सारी बातों पर रहती हैं । घरों के लोगों की जानकारी में सारा काम रहता है, कोई एक पैसा भी इसमें से हजम कर सके ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती । गांवों के लोग ऐसे मामलों में बड़े जागरूक रहते हैं । एक एक पैसे का भी दुरुपयोग न हो वे सरकार से भी इस मामले में ज्यादा जागरूक होते हैं । फिर सरकार का सहायक आयुक्त जयपुर में रहेगा, डिविजन में रहेगा, या डिस्ट्रिक्ट या तहसील में रहेगा । पर वह ऐसे ट्रस्ट को या ट्रस्टीज को धन देने वाले गांव के व्यक्ति रात दिन उसकी छाती पर रहेंगे । वे इस बात की आशा नहीं करेंगे कि अगर किसी की शिकायत हो दुरुपयोग की तो नजदीक के किसी सरकारी अधिकारी को सूचित करें और वह फिर उस पर एक्शन लें । इतनी देरी उनके यहां नहीं । वे स्वयं ही सचेत रहते हैं । इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस हथियार के द्वारा आप जो प्रकुश अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि जिससे पैसे का दुरुपयोग, गबन आदि न हो पर इसका उल्लेख नहीं किया कि कितने छोटे प्रन्यासों को ऐसों को आप इस बन्धन से मुक्त रखेंगे । मेरी अर्ज यह है कि हमें एक सीमा बना लेनी चाहिये और उसके ऊपर के जितने भी प्रन्यास हों उनको रजिस्ट्रेशन जैसा पास किया करावें तो करावें नहीं तो अगर जिस पर यह भार स्वरूप हो तो उनको निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है । यदि इस रोक के कारण ये छोटे छोटे प्रन्यास ही नष्ट हो जावें तो ऐसी स्थिति में हमें इस कानून के अंकुश की जरूरत नहीं । यह लक्ष्य हमें नहीं बनाना है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही यह दुरुपयोग हमें रोकना है । हमें कुछ आम लोगों के लिये भी काम छोड़ना है कि वे स्वयं यह काम करें । हर काम में सरकार की ओर न देखें । हमें छोटी छोटी बातों में तो समाज को अधिकार दे देने चाहिये । यदि इनमें भी कोई छोटा मोटा दुरुपयोग होता है तो इण्डियन पीनल कोड में या दुरुपयोग के नाम से रजिस्ट्रेशन करावें । फिर तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा । रजिस्टर मात्र होगा । अगर दुरुपयोग होता है तो तब भी रजिस्ट्रेशन की शर्त उन पर लागू की जा सकती है ।

तो इन २००) रुपये तक की आमदनी वालों पर यह रजिस्ट्रेशन रोक लगाई तो बड़ी मुश्किल होगी, उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, जो उनके लिये कतई सम्भव नहीं है । उन्हें फिर अपने बजट पर सहायक आयुक्त की इजाजत लेनी होगी यदि वह इजाजत नहीं देता है तो आयुक्त के पास जाकर अपील करनी होगी वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई तो परामर्शदाता बोर्ड के पास जाना होगा । फर्ज करिये उसे जैसलमेर से चलकर जोधपुर में आना पड़े और वहां से चीफ आयुक्त के पास जयपुर और परामर्शदाता बोर्ड के पास अपील का काम पड़े तो उनके पास और इस तरह वह अपनी इस २००) की आमदनी को ही इस रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के लिये समाप्त कर दे ।

[श्री भैरूंसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें एक दो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति जो उसमें हित रखता है वह कोई आब्जेक्शन कर दे, मान लीजिये कि बदकिस्मती से कोई आदमी ऐसा है जो धार्मिक प्रन्यास के नाम से चिढ़ता है। हिन्दू है। उसको हिन्दू अपने आप को कहने का अधिकार है लेकिन वह चिढ़ता है हिन्दू के नाम से कोई सार्वजनीन प्रन्यास नहीं हो। वह इस बात का दावा रखता है कि हिन्दू धर्म का प्रसार नहीं होना चाहिये। हिन्दू धर्म का प्रसार उनके राजनैतिक दल के प्रसार में बाधा पैदा करता है। उसी हिन्दू का यह अधिकार है चूंकि वह हिन्दू है इसलिये इस कानून में हित रखने वाला है, और इस कानून में हित रखने वाले व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है कि जो हिन्दू धर्म का अनुयायी है, हिन्दू धर्म को मानता है वह हित रखने वाला व्यक्ति है। और हित रखने वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वह रजिस्ट्रेशन करते समय ऑब्जेक्शन कर दे। वह इस बात का ऑब्जेक्शन कर दे कि उन्होंने संपत्ति कम दी। इस बात का आब्जेक्शन कर दे कि उन्होंने उस संपत्ति को ठीक ढंग से खर्च नहीं किया है। यदि उसका यह इन्टेन्शन बोनाफाइड है और उस पर वह ऑब्जेक्शन करता है तो मैं समझता हूं कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आज ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व भी हैं जो किसी न किसी प्रकार इस सार्वजनीन प्रन्यास में रोड़े अटकाने की चेष्टा करते हैं। वह रोड़े अटकाने वाले व्यक्ति हित रखने वाले व्यक्ति की आड़ में कहीं पहले ऑब्जेक्शन कर दे तो उसका मतलब यह हुआ कि उस ऑब्जेक्शन को लेकर हम पहले छोटी परामर्शदात्री समिति के पास जांय फिर सहायक आयुक्त के पास और फिर जयपुर में स्थित परामर्शदात्री बोर्ड के पास आयें और उससे भी उसको संतोष नहीं हो तो वह अपना मामला राजस्थान सरकार के सामने रखकर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे और वहां पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही होती हो तो वह करे।

कोई ट्रस्ट नहीं कबूतरखाने के दाने के लिये पैसा इकट्ठा करता है और कोई यह आब्जेक्शन कर दे कि कबूतरों का काम नहीं होगा यह पैसा गौशाला में खर्च होगा और कोई यह कह दे कि गौशाला में खर्च नहीं होगा और मलेरिया डिसीज की गोलियां बांटने के काम में लेना पड़ेगा। तो उसका उद्गम है कबूतरों को दाना देने का, लेकिन वह हित रखने वाला ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं उसका उद्गम यह नहीं है। उसका उद्गम मलेरिया की दवाई बांटने का है। तो उस झगड़े को कौन तय करेगा? वह जायगा सार्वजनीन प्रन्यास से बढ़ते बढ़ते राजस्थान सरकार के पास और सरकार तय करेगी तब जाकर वह रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में तय होगा कि कबूतर खाने में वह रुपया जायगा या मलेरिया डिसीज को रोकने के लिये वह रुपया जायगा इसका मतलब यह होगा कि कबूतरों का काम होगा बहुत देर से। एक गांव ने धर्म के काम के लिये एक एक पैसा इकट्ठा किया है वह उसमें खर्च नहीं हो सकता। १२ महीनों तक के इन्तजार के बाद में वह रुपया खर्च होगा तो जो उसकी वास्तविक मन्शा है इस तरह के ट्रस्ट को वह मन्शा पूरी नहीं होती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सीमा बनाना आवश्यक है कि हम यह देखें कि १००) रुपये माहवार से ज्यादा की आमदनी है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, १००) को समझते हो कि ठीक नहीं है। २००) का होना चाहिये। यदि वह ऐसा समझते हों कि ३००) रुपये का होना चाहिये तो वह आमदनी को बढ़ा दें। मैं अपने संशोधन में फिर भी करेक्शन करने के लिये तैयार हूं। १००) रुपये से नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस प्रकार के प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन उनके

[श्री भैरूसिंह]

ऊपर भार होगा। १००) रुपये की आमदनी तो मन्दिर के पुजारी की अमावस्या के दिन एक एक पैसा इकट्ठा होता है उससे हो जाती है या पाव पाव अनाज वहां चढ़ाते हैं उससे वह आमदनी हो जाती है, तो वह कोई आमदनी नहीं है। अनाज तो वह खागया और पैसों से वह ऊपर का काम करता है। रामायण जैसे ग्रन्थ खरीद लेता है लेकिन इसके लिये रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करेंगे तो उनको अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

इसमें, माननीय उपाध्यक्ष, शुल्क रखा है कि रजिस्ट्रेशन होगा उसका क्या देना पड़ेगा? उसका देना पड़ेगा ५ रु० तक एक रजिस्ट्रेशन के लिए जैसी कि इसके उप-खंड में व्यवस्था दी है :—

'ऐसे आवेदन-पत्र के साथ ऐसा शुल्क, यदि कोई हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, किन्तु पांच रुपये से अधिक नहीं हो, भी दाखिल किया जायेगा।'

हमारी सरकार से हम आशा नहीं कर सकते हैं कि वह ५ रुपये से कम शुल्क करेगी क्यों कि जो मेकजीमम पॉवर्स आज हैं कि मंदिरों का धन कानूनी ढंग से ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सके उसमें किसी भी प्रकार से राजस्थान सरकार की ओर से कमी नहीं होगी। तो यह मानकर चलना चाहिए कि ५ रु० प्रति आवेदन-पत्र के साथ पंजीयन के लिए एक शुल्क के रूप में लेंगे। अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रस्ट ४ रु० का है उससे क्या लेगी? आप कहेंगे कि ५ रुपये से कम का ट्रस्ट नहीं बनेगा लेकिन मैं आप से बताऊं कि क्लॉज १५ या क्लॉज २२ (विधेयक को देखकर) क्लॉज १५ ए में इस ओर संकेत किया गया है कि गांव में धर्मादा जो इक्ट्ठा किया जाता है उसको भी आपने उसके अनुसार ट्रस्ट माना है। गांव में एक एक पैसा जो इक्ट्ठा किया जाता है उसको भी आप ट्रस्ट मानते हैं। वह ट्रस्ट भी जहां कि वह ट्रस्ट है वह उस ट्रस्ट की परिभाषा में आता है। एक एक पैसा इक्टठा होकर वह ट्रस्ट की परिभाषा में आता है। एक एक पैसा इक्ट्ठा करके २ रुपये का ट्रस्ट होगया और उसके पंजीयन में ५ रु० लगेंगे। एक रुपये का ट्रस्ट है और ५ रु० पंजीयन शुल्क है तो चार रुपये कौन देगा? ४ रुपये का कहां से हिसाब आयेगा? बहुत कम छोटे छोटे ट्रस्ट होते हैं लेकिन जहां धर्मादे का प्रश्न आगया धारा १५ए में वह आगया और सब ट्रस्ट में शामिल हो गया चाहे वह पांच रुपये का हो या २ या ३ रुपये का। गांव में दो, तीन महाजन भी रहते हैं वे अपनी दुकान पर एक दो पैसा इक्ट्ठा कर लेते हैं वह ५ रुपये भी हो सकते हैं और १० रुपये भी हो सकते हैं या २० रुपये भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि इस प्रकार की सीमा के अन्तर्गत आने वाले जितने भी ट्रस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उसका मतलब यह होगा कि छोटे ट्रस्ट जितने भी हैं वे सारे के सारे इस कानून के प्रवर्तन से अलग रहेंगे।

अब प्रश्न यह आता है कि सरकार यह कहे कि रजिस्ट्रेशन से मुक्त करने का मतलब यह हुआ कि छोटे छोटे प्रन्यासों को अपनी आमदनी का दुरुपयोग करने की छूट दें। मैं आपके जरिये, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके लिए भी हम व्यवस्था करने को तैयार हैं कि यदि दुरुपयोग होता है, यदि कोई क्रिमनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आती है, यदि कोई मिसएप्रोप्रियेशन की बात स्तष्ट रूप से सामने आती है तो केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि पूरा नियन्त्रण करने

[श्री भैरूंसिंह]

की व्यवस्था करनी चाहिए । उनको छूट देने का मतलब होगा उस दुरुपयोग को प्रोत्साहन देना । यदि इन चीजों से छोटे मोटे समाप्त हो जाते हैं तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कडी कार्यवाही करने को मैं तैयार हूं कि ट्रस्ट की आमदनी कम होने पर उन पर रिजिस्ट्रेशन की पाबन्दी लगायेंगे या उनको अपने अधिकार में करने की चेष्टा करेंगे । धार्मिक कामों में बाधा नहीं हो और उस बाधा को दूर करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि १०० रुपये माहवार की आमदनी होती है यानी १२०० रु० वार्षिक आमदनी जिन प्रन्यासों की होती है उनको पंजीयन से मुक्त रखा जाय।

इसी प्रकार से चल अचल संपत्ति के बारे में है कि १० हजार से कम की चल या अचल संपत्ति हो, चल या अचल संपत्ति के बारे में मैंने नहीं बताया था मैंने जानबूझकर, बडा समझकर इस प्रकार का संशोधन रखा है । कई ट्रस्ट ऐसे हैं जिनकी आमदनी एक पैसे की भी नहीं है लेकिन वह संपत्ति १० हजार की है और मेन्टीनेन्स के नाम पर उस ट्रस्ट में से रोज कुछ न कुछ खर्च होता है । आप बाहर जाइये बाहर गांव के मन्दिरों में आमदनी नाम की कोई चीज नहीं है । बिल्डिंग बनी हुई है, किराये का एक पैसा नहीं आता है लेकिन साल के साल मेन्टीनेन्स पर खर्च करना पडता है । ऐसे नाम के वे प्रन्यास हैं । उनको प्रन्यास में देने का मतलब क्या था कि इन सारी चीजों के होते हुए भी वे ट्रस्टीज केवल चल अचल संपत्ति के ट्रस्टीज थे वे बेचने के लिए ट्रस्टीज हैं । काम में लेने के लिए ट्रस्टी नहीं हैं । जहां इस प्रकार की बात होती है उनके लिए यह पाबन्दी लगायेंगे कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा । इसका मतलब यह हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका भी खर्च देना पडेगा, तो उस खर्च से बचने के लिए वे उस संपत्ति को डिसपोज ऑफ करने की प्रवृत्ति में फंसेंगे । वह प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है । वह प्रवृत्ति धर्म के विरुद्ध है और धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति से सारी चल और अचल संपत्ति समाप्त हो जायगी । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि १०० रु० मासिक से कम आमदनी वाले और १०,०००) हजार से नीचे की संपत्ति के जितने भी प्रन्यास हैं वे रजिस्ट्रेशन से मुक्त होने चाहिए ।

दूसरा मेरा संशोधन उप-खंड (२) में है कि शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'दो' रखा जाय । माननीय उपाध्यक्ष, उप-खंड (२) में है :—

'ऐसे आवेदन-पत्र के साथ ऐसा शुल्क, यदि कोई हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, किन्तु पांच रुपये से अधिक नहीं हो, भी दाखिल किया जायेगा ।'

मैंने थोडा सा तो इसका जिक्र कर ही दिया है लेकिन मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह शुल्क क्या बला है ? मैंने, जिस समय इस बिल को विचारार्थ लिया जारहा था, उस समय इस बात का जिक्र किया था कि ट्रस्ट से शुल्क लेने का मतलब ही यही होगा कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी से शुल्क लिया जावेगा । आज चाहे पांच लाख का ट्रस्ट हो, चाहे पांच हजार का ट्रस्ट हो और चाहे पांच रुपये का ट्रस्ट हो उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा और उसको जो शुल्क है वह उस ट्रस्ट की प्रोपर्टी में से ही जायगा । हम यह मान सकते हैं कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, कहीं खेत है, कहीं मकान है, कहीं इन्डस्ट्री है, कहीं छोटी मोटी मिल चलती है । इसकी जो आमदनी है उसको

[श्री भैरूंसिंह]

खर्च करने वाले ट्रस्ट का रूप धारण करते हैं । दूसरा यह है जैसा किशनगढ से आने वाले माननीय मित्र ने कहा कि कई धर्मों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिस काम के लिए पैसा दिया जावे उसी काम में वह खर्च होना चाहिए । उस ट्रस्ट में मकान नहीं है, दुकान नहीं है, खेती की जमीन नहीं है, यानि आमदनी का जरिया नहीं है । जैसे किसी व्यक्ति ने पांच लाख रुपया दे दिया मंदिर में छत्र बनाने के लिए या जो मठ होता है उसको सुशोभित करने के लिये खर्च किया जाय या मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए उसको खर्च किया जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया उसकी बात नहीं कहता, भगवान बुद्ध ने जो कहा उसकी बात नहीं कहता, वेद पुराणों में जो बातें हैं उनकी बात नहीं कहता हूं लेकिन एक कोमन सेन्स की चीज है कि जो चीज छोडी हुई है, त्याग के रूप में छोड़ी दी गई है, पांच लाख रुपया धार्मिक काम में खर्च करने के लिए दे देता है कोई व्यक्ति, उस पांच लाख रुपया का त्याग कर दिया गया, उस त्याग की हुई सम्पत्ति में से ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए दो या पांच रुपया निकलेगा, वह उस त्याग की हुई सम्पत्ति में से ही निकलेगा, वह उस परित्याग की हुई सम्पत्ति में से ही दो रुपया आवेगा और जावेगा कहां ? वह जावेगा राजस्थान सरकार के कन्सोलिडेटेड फंड में जिसमें करोड़ों रुपयों का आज तक गबन होगया है मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार के ऊपर एक कलंक होगा कि त्याग की हुई वस्तु को वह ग्रहण करे । हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष राज्य कायम करना चाहती है, हमारी सरकार धर्म निरपेक्षवाद को प्रोत्साहन देती है, हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष में त्याग को प्रोत्साहन देती है, आपने जीवन दान देने की बात कहीं, आपने श्रमदान देने की बात कही, संपत्ति दान देने की भी बात कही, भू-दान देने की भी बात कही और इन सब बातों के साथ साथ एक डिक्लेरेशन तैयार किया है उसमें यह शर्त कराई है कि जिस चीज का परित्याग कर दिया है उसके डिस्पोजल में मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । मानता हूं, जहां त्याग की इस प्रकार की भावना है उस भावना से अनुप्राणित होकर संपत्ति त्याग की जाय । हमारी सरकार यह कहे कि हमारे खजाने के लिए थोडा सा दे दो, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार के लिए एक कलंक की बात है और यह कलंक राजस्थान विधान सभा के सदस्य हमारी सरकार पर लगायें यह अनुचित है और इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । आवश्यकता तो इस बात की थी कि कोई भी शुल्क इस प्रकार परित्याग की हुई संपत्ति से न ले, लेकिन फिर भी लेगी, सरकार बदलने वाली नहीं है, सरकार कहीं कुछ माफ करने वाली नहीं यह समझ कर वैसी सूरत में मैंने यह संशोधन रखा है कि २) शुल्क तक ले ले । मैं समझता था कि सरकार कुछ कम करने वाली भी नहीं है, लेकिन धर्म निरपेक्ष राज्य सरकार के लिए कम से कम यह हो जाय कि वह दो रुपया स्वीकार कर ले । दो रुपया शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करा ले । रजिस्ट्रेशन कराने वाले कहेंगे कि इस धारा की भाषा में ऐसी सख्ती है कि सरकार चाहे तो पांच रुपया ले ले । सरकार कहीं भी कमी नहीं छोडती है । टेक्स लगाने में भी कमी नहीं छोडती है, जितनी रकम धर्म के खजाने में जाती है और उसका दुरुपयोग करने में भी नहीं छोडती । सरकार कम से कम स्वीकार कर ले कि पांच रुपये के बजाय २) सरकारी खजाने में आजाय । मेरी तो यह भी मान्यता है कि सरकारी खजाने में २)आने से भी आग लगेगी, ऐसे घरों में भी आग लगेगी जो इस धर्म की सम्पत्ति को, परित्याग की हुई संपत्ति को लेने के लिए सचालित करते हैं । यह बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, धर्म की सम्पत्ति पर एक प्रकार से अधिकार करने की कुचेष्टा है । मेरी तो मान्यता है कि फीस ली ही

[श्री भैरूंसिह]

न जाय, और अगर ली ही जाय तो कम हो । लेकिन अगर बहुमत के आधार पर पांच रुपया लेंगे तो देना पड़ेगा । बहुमत के आधार पर १००) पर १२॥ परसेन्ट लेने की व्यवस्था की थी हालांकि उसको छोड दिया गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ से विरोध हो सकता है और अगर १२॥ परसेन्ट की बात आयी तो कहीं इस बिल को ही वापिस न लेना पडे तो आसानी से उसको हटा दिया । लेकिन मुझे याद है गाडी में सफर करते हैं, जब गाडी में सफर करते हैं तो वहां नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि "सावधान" । लिखने का अभिप्राय यही है कि सावधान रहो, वो लिखते इसीलिए हैं कि जब मुसाफिर गफलत में सो जाय और जो चीज रखी हो दूसरा ही उसके माल को लेकर चम्पत हो जाय । हमारी सरकार ने कानून बना दिया । धर्म की पटरी के नीचे सोगये, जब यात्री असावधान होगा, सरकारी टारपीडो लगाकर माल चंपत करेगी । हिन्दू समाज बडा समाज है । उसमें सुप्तावस्था आ सकती है और आज जितना विरोध हो रहा है कल विरोध न हो, और मामूली अमेन्डमेन्ट लाकर यह कर दे कि १२॥ परसेन्ट होगा । उस समय न तो रजिस्ट्रेशन का विरोध होगा, न स्टेटमेन्ट भेजने का विरोध होगा, न बजट का विरोध होगा और अगर विरोध होगा तो केवल १२॥ परसेन्ट का विरोध होगा और उसके जवाब में माननीय उपाध्यक्षजी, आज मैं यह कह सकता हूं कि सरकार यह जवाब देगी कि आयुक्त हैं, सहायुक्त हैं, देवस्थान के कर्मचारी हैं, सरकार खर्च कर रही है, मंदिरों का पैसा मंदिरों की व्यवस्था के लिए खर्च होना चाहिए, और इस प्रकार से सरकार कह उठेगी कि १२॥ परसेन्ट शुल्क लगेगा । आज पांच रुपया रखा गया है, एक ढोंग सोच कर मुगालते में रखने के लिए यह किया गया । इसीलिए मैंने रखा है कि २) कर दिया जाय ताकि सरकार कम से कम शुल्क वसूल कर सके ।

तीसरा संशोधन मेरा है उपाध्यक्ष महोदय, उप-खंड (३) के भाग (१) में, "हिन्दू सार्वजनीन" शब्द का लोप कर दिया जाय ।" इस कानून में उपाध्यक्ष महोदय, एक जगह परिभाषा दी ह "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास" की और जहां जहां आवश्यकता पडी है, उन क्लाजों में उसी प्रकार से शब्द को एडजस्ट किया है । मैं समझता हूं कि कानूनी भाषा में कोई कमी न रहे जिससे कोई एम्बीगुइटी पैदा हो जाय । जहां कानून बनाने में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो रिडन्डेन्ट होने की सूरत में ऐसी एम्बीगुएटी पैदा न कर दे, जिससे कानून का मतलब पूरा न हो । हमने हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की परिभाषा दी है, उसके नीचे ही यह एक्स्प्लेनेशन दे दे और यह व्यवस्था कर दे, "प्रन्यास" से मतलब "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास" ही होगा और जहां जहां यह शब्द प्रयोग में आवेगा, जहां जहां प्रन्यास शब्द प्रयोग में आवेगा वहां वहां "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास" ही समझा जावेगा । हर लाइन में हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास जो रखा है वो प्रन्यास की दृष्टि से ही सम्बन्धित होगा, कानून की दृष्टि से भी ठीक रहेगा और भाषा की दृष्टि से भी और भाषा में सौंदर्य की दृष्टि से भी ठीक होगा । तो इसके लिए वहीं एक एक्स्प्लेनेशन दे देना चाहिए कि जहां जहां "हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास" इस नाम से शब्द आये वहां "प्रन्यास" शब्द रहेगा ।

अब माननीय उपाध्यक्षजी, भाग ७ में मेरा संशोधन जो है वह यह है कि प्रथम व द्वितीय पंक्तियों में शब्द "हुई आमदनी जो इस तरीके से" जिसको हटाया जाकर उसके स्थान पर निम्न शब्द जोड दिये जांय। आमदनी जो इस लेखा वर्ष में जिसमें तीसरी पंक्ति में "तीन" व "वर्ष" शब्दों के बीच

[श्री भैरूंसिंह]

में "लेखा" शब्द जोड़ा जाय और चौथी पंक्ति से "वार्षिक" शब्द हटाया जाय तथा "आमदनी" व "पर" शब्दों के बीच में "की औसत" शब्द जोड़ दिये जायं ।

मैं समझता हूं यह संशोधन बिल्कुल ठीक है । यदि आप इसको मंजूर करें तो अच्छा है ।

उप-खण्ड (७) में यह लिखा है कि, "चल या अचल संपत्ति से और किसी अन्य ज़रिये से, यदि कोई हो, प्राप्त हुई आमदनी, जो उस तारीख से, जिसको कि आवेदन-पत्र दिया गया है, ठीक पहले के तीन वर्ष अथवा ऐसी अवधि, जो प्रन्यास का निर्माण होने के समय से समाप्त हो गई है दोनों में जो भी अवधि कम हो, की कुल वार्षिक आमदनी पर, आधारित हैं तथा नव निर्मित हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास की दशा में ऐसे जरियों से होने वाली अनुमानित आमदनी;"

पहली बात तो यह है कि इसमें ड्राफ्टिंग की गलती है । इस क्लाज की मंशा यह है कि जिस आमदनी का स्टेटमेन्ट पेश किया जाय वह स्टेटमेन्ट जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ हो उस तारीख से ३ वर्ष पहले का हिसाब पेश हो । मतलब यह होगा कि यदि फाइनेन्शियल ईयर वह नहीं है तो पहले के जितने फाइनेन्शियल ईयर हैं, चाहे दीपावली से गिनिये या ३१ मार्च से गिनिये, उस फाइनेन्शियल ईयर से मतलब है, पहले के ३ फाइनेन्शियल ईयर । लेकिन इस क्लाज से मतलब होगा कि जिस तारीख को एप्लीकेशन दी जाय उस तारीख से ३ साल पहले का हिसाब पेश हो । इसका मतलब यह हुआ कि २ पूरे साल और तीसरे साल के कुछ महीने यानी ढाई साल या पोणे तीन साल का स्टेटमेन्ट होगा, अधूरे फाइनेन्शियल ईयर की आमदनी या खर्च को केलकुलेट करने में अडचन आयगी । जागीर रिजम्प्शन एक्ट में भी इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महीने या तारीख का उसमें कोई प्रश्न नहीं है । वहां एक बात कही गई है कि जिस वर्ष में जागीर खत्म की जाय उससे ३ साल पहले के फाइनेन्शियल ईयर हैं उनका औसत निकालकर आमदनी बताई जाय । यहां भी मैंने उसी तरह की बात लाने के लिये संशोधन पेश किया है; इसके द्वारा ३ वर्ष की आमदनी की औसत निकाली जा सके ।

मेरा दूसरा संशोधन है कि "तीन वर्ष" शब्दों के बीच में "लेखा" शब्द जोड़ा जाय । इसमें ३ वर्ष का संकेत ह । तीन वर्ष का लेखा निकालना पड़ेगा । "लेखा" शब्द जोड़ने का तात्पर्य यह होगा कि ३ लेखा वर्ष (तीन फाइनेन्शियल ईयर्स) । यदि २ पूरे वर्ष और तीसरा आधा वर्ष आवे तो उससे औसत निकालना गलत होगा इसलिये "लेखा" शब्द जोड़ने से ३ लेखा वर्ष हो जायेंगे और फाइनेन्शियल ईयर से हिसाब हो सकेगा ।

आगे चौथी पंक्ति में मेरा संशोधन है कि "वार्षिक" शब्द हटाया जाय तथा "आमदनी" व "पर" शब्दों के बीच में "की औसत" जोड़ा जाय । चौथी लाइन यह है:

"दोनों में जो भी अवधि कम हो, की कुल वार्षिक आमदनी पर", ऊपर जब वार्षिक कर रहे हैं तो उससे मतलब "औसत आमदनी" से है । तीन वर्ष की औसत, इसका मतलब होगा तीन वर्षों में जिस वर्ष की आमदनी चाहते हैं उसकी औसत और इसको लेने से "वार्षिक" शब्द हटना चाहिये जिससे "औसत" रह जायगी और इससे औसत निकाली जा सकेगी ।

[श्री नरूसिंह]

भाग (९) में मेरा संशोधन है कि "हिन्दू सार्वजनीन" शब्दों को हटाया जाय। इसके लिये पहले मंजूर किया है।

भाग (१०) के बारे में मेरा संशोधन है कि इसको लोप किया जाय। इसमें लिखा है: "ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जावें"। मैं इस उप-खंड को लोप करवाना चाहता हूं। यह इस प्रकार का अधिकार है जिसके द्वारा सरकार जिस प्रकार चाहे ट्रस्टीज को परेशान कर सकती है। हमने रजिस्ट्रेशन में यह व्यवस्था की है कि एक व्यक्ति को अमुक अमुक बातें करनी होंगी; जैसे स्टेटमेन्ट पेश करना होगा, हम इसको स्वीकार करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हम यह भी स्वीकार करते हैं। सरकार नियम निर्धारित करे उस आधार पर स्टेटमेन्ट पेश करना पड़ेगा। स्टेटमेन्ट में माहवारी आमदनी खर्चा दिखाना पड़ेगा या सहायक आयुक्त जिस प्रकार का स्टेटमेन्ट चाहे उस प्रकार का स्टेटमेन्ट पेश करना पड़ेगा। यह सब मंजूर करने पर भी सरकार को इससे तृप्ति नहीं हुई। यह "अन्य विवरण" क्या चीज है? यदि आपके सामने विवरण की कोई रूप रेखा है तो बताइये, हम उसको कानूनी रूप देंगे। लेकिन यह कहना कि "अन्य विवरण", यह उचित नहीं है और उसे मांगने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

हमारे धर्म में गुप्त दान देने वाले आते हैं और वे यह चेष्टा करते हैं कि हम जो दान देते हैं उसका किसी को ज्ञान न हो। इस प्रकार का दान हिन्दू धर्म में विशेष महत्व रखता है। कल सरकार यह कहेगी कि जिसने गुप्त दान डोनेट किया है उसका नाम बताओ। यदि उसका नाम नहीं बतायेंगे तो तुम पर ५०० रू० जुर्माना होगा, यह भी व्यवस्था है। इस प्रकार से ब्लैन्क पेपर पर दस्तखत कराकर नियन्त्रण करने की चेष्टा सरकार कर रही है। यदि उस विवरण का पता है तो सरकार बतावे। लेकिन सरकार को "अन्य विवरण" का पता नहीं, इस सदन को उसका पता नहीं और केवल इतना कहना कि, "अन्य कोई विवरण", यह कानून की परिभाषा से गलत है और सिद्धान्त की दृष्टि से भी गलत है। कानून बनाने वाले विशेषज्ञ बतावें कि यह कौनसा तरीका है जिसके द्वारा इस प्रकार का विवरण मांगने की व्यवस्था की जा रही है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस "विवरण" वाले क्लाज का लोप किया जावे।

इसके बाद में "प्रतिबन्ध" है। प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में शब्द "जो नियम बनाये गये हैं उनमें, के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में" रखे जायें।

इस क्लाज में यह प्रतिबन्ध है: "किन्तु शर्त यह है कि जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी भी या समस्त हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के मामले में यह आवश्यक नहीं होगा कि उस प्रन्यास संपत्ति का विवरण दिया जाय जो ऐसे मूल्य तथा ऐसी किस्म, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जाय, की हो।"

ये जो ऊपर शब्द हैं कि 'शर्त यह है कि जो नियम बनाये गये हैं" उनके स्थान पर "इस अधिनियम अन्तर्गत बनाये गये नियमों में" यह रखना चाहिये। इसका मतलब यह है कि इस कानून के अन्तर्गत बनाये गये नियम। नियम की जो परिभाषा जनरल क्लाजेज एक्ट में है वह है "सरकार द्वारा बनाये गये नियम"। यदि कोरा नियम बनाने का अधिकार है तो एक्ट के तहत जो बातें हैं उनके अनुरूप नियम

[श्री भैरूंसिह]

होने चाहिये। जो क्लॉज इस एक्ट में दिया है उसकी मंशा है कि इन क्लॉजेज के अनुरूप नियम बनाये जायेंगे। और यदि जो सरकार नियम बनावे उनके द्वारा वह सारे काम को संचालित करना चाहे तो वे नियम इसके अनुरूप ही बनें। कानून विशेषज्ञ यह कह सकते हैं कि इस कानून के अनुरूप न हो तो वैसे नियम नहीं बन सकते। लेकिन इसमें कुछ गुन्जाइश है। उसको स्पष्ट करने के लिये मैंने संशोधन पेश किया है कि जो नियम इस विधेयक के अन्तर्गत बनेंगे उनको माना जाय ताकि स्पष्टीकरण हो जाय।

मैंने सब पर विस्तृत प्रकाश डाला है और मैं उम्मेद करता हूं कि मन्त्रीजी जब यह कह रहे हैं कि हमारी मंशा सब प्रन्यासों पर अधिकार करने की नहीं है तो कम से कम सीमा निर्धारित करने के बाद उनके ऊपर के जो प्रन्यास हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और सरकारी नियन्त्रण होगा। यदि वे इस प्रकार की बात नहीं करते हैं तो उनका जो दावा है कि वे मन्दिरों और धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं वह गलत है।

अभी यह भी कह रहे थे कि मन्दिरों की सम्पत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। ५ रूपये का शुल्क दान की सम्पत्ति में से ही शुल्क होगा और ऐसे धन का शुल्क राज्यकोष में नहीं जाना चाहिये। मेरा एक संशोधन इस धार्मिक शुल्क पर प्रकाश डालेगा पर इस प्रकार का दान का रूपया राज्य कोष में नहीं जाना चाहिये। हमारी गाढ़ी कमाई से, मेहनत से कमाया हुआ धन ही राज्य कोष में जाना चाहिये। चोरी का धन, लूट का धन और दान का धन राज्य कोष में नहीं जाना चाहिये। इससे राज्य कोष का महत्व कम होता है, अतः राज्य कोष के महत्व को इस दान के धन को लेकर कम न करें। मेरा पहला संशोधन यह है कि ५ रूपयों का शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं, अगर यह कहें कि मन्दिरों के रजिस्ट्रेशन के लिये कुछ न कुछ चार्जेज तो लगाने पड़ेंगे, तो ५ रू० के स्थान पर २ रूपये रख दिये जायें।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा और वे इस मूड में भी दिख रहे हैं कि वे ५) रू० की बजाय २) रू० शुल्क रखने का संशोधन है उसे स्वीकार कर लेंगे। इसको स्वीकार करने से यह होगा कि दान की सम्पत्ति राज्य कोष में आनी बन्द न होगी तो कम तो हो ही जायगी। अच्छा है, दान का धन राज्य कोष में कम आये। इस प्रकार के दान के धन को राज्यकोष में लिया जाना राज्य तथा प्रजा दोनों के लिये शोभनीय नहीं।

सीमा बांधने का मेरा दूसरा संशोधन था उसके बारे में राजस्व मन्त्रीजी अवश्य निश्चित सीमा निर्धारित करेंगे ताकि छोटे छोटे प्रन्यास इस कानून के बन्धन से मुक्त हो सकें, ऐसी मेरी राजस्व मन्त्रीजी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्तावों को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री उपाध्यक्ष—रवत श्री शम्भूसिंह।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, खण्ड ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"खण्ड ४ के उप-खण्ड (१) से (६) तक जहां भी शब्द 'हिन्दू' आया हो उसे विलोपित कर दिया जाय।" माननीय उपाध्यक्ष, यह 'हिन्दू' शब्द विलोपित करने के लिये मैंने पहले अपने विचार सदन में

[रावत श्री शंभुसिंह]

प्रस्तुत किये थे। इस बिल के अन्त में निरसन के कानूनों की सूची दी गई है, उसमें है "दी चेरिटेबल एन्ड रिलीजयस ट्रस्ट्स एक्ट, १९२० (१४ आफ १९२०)"। १९२० में भी इस प्रकार का कानून पास हुआ था और वह हमारे यहां लागू है, उसमें कहीं 'हिन्दू' शब्द नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस कानून के अनुसार कार्य होने में ट्रस्ट के ऊपर कन्ट्रोल करने में क्या बाधाएं उपस्थित होती थीं।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है तो हाउस एडजोर्न कर दिया जाना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब तक जो हमारे यहां विधेयक प्रचलित है उसमें भी 'हिन्दू' शब्द नहीं है और इस शब्द के नहीं होने से किसी भी प्रकार का भेद या किसी भी प्रकार की अडचन नहीं आती थी; तो फिर क्यों इसमें हिन्दू शब्द एड किया गया है ? इसके अलावा कानून में बहुत अच्छे प्रोवीजन ला कर राजस्थान सरकार समझती है कि इससे बहुत हित होने वाले हैं तो फिर इस हितकारी कानून को समाज के दूसरे व्यक्तियों पर भी क्यों नहीं लागू किया जाता ? और 'हिन्दू' शब्द जब तक इसमें नहीं हटावेंगे तब तक यह कानून सब पर लागू नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा यह कानून भेदमूलक भी है, यह विधान के भी प्रतिकूल है; इसलिये युनिफोर्मिटी देने के लिये 'हिन्दू' शब्द इसमें से हटा दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—·······श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष······

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष ······

श्री अध्यक्ष—या तो आप जल्दी खडे हो जायें या फिर मैं कॉल करूं वे बोलें।

श्री हिम्मतसिंह—ये शास्त्रीजी तो श्री शंभूसिंहजी से भी पहले खड़े हुए थे, साहब।

श्री अध्यक्ष—श्री शम्भूसिंहजी का तो अमेन्डमेन्ट था।

श्री दामोदरलाल व्यास—I have been called upon by the Hon'ble Speaker.

श्री मानसिंह महार—यह तो बहुत महत्वपूर्ण क्लाज है, साहब।

श्री अध्यक्ष—सारा ही महत्वपूर्ण है।

श्री हिम्मतसिंह—शास्त्रीजी को बोलने का मौका दीजिये साहब। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ऐसा है तो इमीजियेटली खड़े हो जायं।

श्री हिम्मतसिंह—आप फरमायें तो दूसरे बोलें तब भी खड़े ही रहें।

श्री अध्यक्ष—यह और भी बुरा है।

(हंसी)

श्री जगतसिंह झाला—नहीं तो फिर यहां से चले जायं और तो क्या करें? बोलने का मौका नहीं दिया जाय तो यहां से......

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो शास्त्रीजी बोलें।

श्री रूपानारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। उनका संशोधन यह है कि उपखंड (१) के आगे यह प्रतिबन्ध जोड दिया जावे, "किन्तु शर्त यह है कि यह उप-धारा ऐसे प्रन्यासों पर लागू नहीं होगी जिन प्रन्यासों की चल या अचल सम्पत्ति दस हजार रुपये से कम हो या जिनकी वार्षिक आमदनी बारह सौ रुपये नकद से कम हो।"

मैं मानता हूं कि हमारे यहां पंजीयन किया जाता है तो प्रत्येक मन्दिर के लिये आया है। प्रत्येक मन्दिर को लेने से जिन मन्दिरों की आमदनी ५०० रुपया प्रतिवर्ष से कम है, कइयों की २५० रुपया ही है, वे मन्दिर भी इसमें आ जायंगे और कई गांवों में ऐसे मन्दिर भी हैं कि के नाम पर मकान तो है पर आमदनी कुछ नहीं है। ग्रामवासी समझते हैं कि चरणामृत मिलता रहे और भगवान् के दर्शन होते रहें, इसलिये बारी बारी एक एक दिन का भोग मन्दिर में भेजते हैं इससे भोग लगता है। कई जगह ऐसा है कि पुजारी घर घर चरी लेकर मांगने जाता है और मांग कर जो लाता है उससे भोग लगाता है।

यदि गवर्नमेन्ट दो हजार के आमदनी के मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन करेगी तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। उनको ५ रुपये रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उन मन्दिरों की आमदनी कुछ नहीं के बराबर होती है। जब मन्दिरों की आमदनी का जरिया नहीं होगा तो फिर वे मन्दिर किस प्रकार से अपना खर्च चला सकेंगे और फीस सरकार को दे सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि पुजारी मन्दिरों के मकानों को बेचना शुरू कर देंगे। हां, जिन मन्दिरों के पास बडी संपत्ति हो, उसका दुरुपयोग अगर होता हो तो गवर्नमेन्ट को उन मन्दिरों में होते हुए धन के दुरुपयोग को रोकने का प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये। लेकिन जिन मन्दिरों में कोई संपत्ति नहीं और जो केवल धर्म प्रचार के लिये ही बने हुए हैं और जहां पर लोगों की यह धारणा है कि जाने से उनको चरणामृत

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

मिलेगा, उन मन्दिरों के लिये रजिस्ट्रेशन के बोझ को लादना कदापि उचित नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कहीं गांवों में ऐसे भी मन्दिर हैं जिनके पीछे ५-५० बीघा भूमि है और इसके अलावा कोई आमदनी नहीं, और यह आमदनी ना कुछ के बराबर है, इसलिये मन्दिर का खर्चा चलाने के लिये गांव के लोगों से चन्दा इकट्ठा किया जाता है और विवाह शादियों आदि के अवसर पर या उत्सव मनाने के लिये जो चन्दा इकट्ठा किया जाता है, उससे उनका खर्च चलता है। मान लें कि अधिक से अधिक उनकी आमदनी ३००) हो जाती है तो उसमें ही ठाकुरजी की भोग पूजा, उसी में उत्सव, उसी में पुजारी की तनख्वाह और उसके कुटुम्ब का पालन सभी कुछ हो जाता है। यदि अचल संपत्ति के लिये इतनी सी आमदनी के लिये, उसको रजिस्ट्रेशन के लिये आना पडेगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके सामने यह कठिनाई होगी कि वह गवर्नमेन्ट के ट्रस्ट के अधिकार में रहेगा, इसका उल्टा असर होगा और वह क्या होगा कि वह मन्दिर की पूजा-पाठ बन्द कर देगा और मन्दिर बन्द हो जाएंगे। अगर हिन्दू मन्दिरों को बन्द ही करना चाहते हैं और आपको इनसे आपत्ति ही है, अगर आप यह चाहते हैं कि छोटी आमदनी के मन्दिर नहीं रहने चाहिये, यदि आपका यही दृष्टिकोण है तो मैं समझता हूं कि सरकार कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती वरना यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिसमें किसी प्रकार की सरकार को अड़चन हो।

इसके अलावा १२००) रुपयों तक नकद रकम की आमदनी हो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, उनको स्वतन्त्र रखा जावे तो सरकार को उसमें क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि यदि कानून में उनको मुक्त कर दिया तो माननीय मन्त्री महोदय का उदार दृष्टिकोण होगा और सत्य की प्रेरणा करना होगा, वरना दुराग्रह होगा और आप अपने दुराग्रह पर, अपने बहुमत के बल पर मन्दिरों को बन्द करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि जिनकी आमदनी १० हजार, ५ हजार की लागत की मुकर्रर कर लें उनको अपना विवरण देना पडेगा, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के नियन्त्रण में होगा तब सरकार के अधिकारी यह कहेंगे कि आप इस जगह नाज नहीं डाल सकते, इसमें भूसा नहीं रख सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जितने ट्रस्टीज होंगे उन सबको उस पुजारी को खुश रखना पडेगा और सबको यदि वह खुश नहीं रख सका तो किसी न किसी प्रकार से उस पुजारी को लोग निकालने की चेष्टा करेंगे। इसलिये यह उचित है कि जो १० हजार से कम कीमत की इमारतें हैं उनको इस रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा जावे और यह भी उचित है कि जिसकी आमदनी १००) से कम हो उसको भी रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर दिया जावे।

अब रही बात रजिस्ट्रेशन शुल्क की। यह गवर्नमेन्ट की मर्जी की बात है। होना तो यह चाहिये कि दान की हुई संपत्ति में गवर्नमेन्ट खुद दान करे। इसलिये अगर गवर्नमेन्ट दान नहीं देती है तो उसको चाहिये कि इस शुल्क से तो उनको मुक्त रखे तो ठीक है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है। कोरम का होना कार्यवाही के लिये उचित है। अगर कोरम नहीं होता है तो सदन की बैठक स्थगित की जावे।

श्री अध्यक्ष—Including me there are sixteen.

(गण—पूरक घंटी)

श्री रूपनारायण शास्त्री—(जारी) दूसरी बात यह कि उप-खंड (२) में जो पांच के स्थान पर दो रुपये रखे हैं तो मैं यह कहूंगा कि अगर ५ रखें तो वही बात है और दो रखें तो भी वही बात है। मैं तो यह कहूंगा कि यह कतई नहीं रखे जाने चाहिये। इससे सरकार को कोई ज्यादा फर्क पडने वाला नहीं है।

अब आमदनी को किस दिन से जोडा जाय और ३ वर्ष किस दिन से शुमार किए जाने का प्रश्न है? ऐसा भी अनुमान होता है कि दो वर्ष पूरे हो गये और तीसरे वर्ष का एक महीना हुआ, उसकी आमदनी ले ली, वह तीन वर्ष की आमदनी हो गई, अगर ऐसा होता है तो यह भी उचित नहीं होगा। इसलिये पूरे तीन साल जिस दिन से पहले से रजिस्ट्रेशन हो उसके तीन वर्ष पहले यह विधान हो।

अब भाग (९) में 'हिन्दू सार्वजनीन' शब्दों को हटा दिया जावे। इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। सब लोगों के हित में यह बात होनी चाहिये। सार्वजनिक का मतलब ही यही होता है कि सब के लिये। केवल हिन्दू ही सब में आ जाएं, यह बात उचित नहीं होती। सार्वजनिक तो वह होता है जो राजस्थान का रहनेवाला कोई भी व्यक्ति हो। इसलिये यदि इसको हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

इसलिये मैं सब बातों पर विचार करके यही कहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे और संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन रखे हैं। मेरी राय में, माननीय अध्यक्ष, इन संशोधनों को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। इन संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि अगर इस कानून को लागू भी किया जावे तो हमें इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि यह कानून किन किन प्रन्यासों पर लागू होगा। अगर वास्तविक हमारी नीयत यह है कि हिन्दू धर्म की धार्मिक स्थानों की उन्नति करना है और हम उनकी उन्नति ही करना चाहते हैं और उसी के लिये यह काम किया जा रहा है तो हमको उनकी आमदनी के हिसाब से कानून लागू करना चाहिये। अगर इस बात को ध्यान में न रख कर हम प्रत्येक मन्दिर पर यह प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये और ट्रस्ट बनना चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि धर्म के खिलाफ बहुत ही भावना होगी। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज हमारे यहां मन्दिरों की या सार्वजनिक प्रन्यासों की संज्ञा पत्थरों को दी जा सकती है। आपको कई स्थानों पर पत्थर मिलेंगे और आपको यह मिलेगा कि वहां पर लोग जाते हैं और जल चढा कर चले आते हैं और उनका पूजन करके चले आते हैं। वहां पर उनके किसी प्रकार की पैसे की भी आमदनी नहीं है और न कुछ खर्च करने की आवश्यकता है; न कोई पुजारी है और न कोई बात। वहां पर पुजारी भी नहीं होता। वहां पर कोई भी धार्मिक मनोवृत्ति वाले जाते हैं और उनको धोका देकर चले जाते हैं। कई जगह आपको भैरूंजी और बालाजी ऐसी जगह पर मिलेंगे, जिनकी न तो पुजारी पूजा करता है और न उनकी आमदनी एक पैसे की होती है। सिर्फ सरकार को यह रजिस्ट्रेशन फीस के दो रुपये रखना बहुत होगा क्योंकि वहां पर तो एक पैसे की भी आमदनी नहीं होती। दो रुपये तो बहुत हैं। उनके लिये अगर एक आना भी रजिस्ट्रेशन फीस लगावेंगे तो कहां से आवेगी? यह मैंने बहुत ही एक्स्ट्रीम चीज बताई है?

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी चीज यह है कि हमारे गांवों के अन्दर धार्मिक स्थान इतनी बहुतायत से हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। आज भी हमारे यहां पर मन्दिर वगैरह बहुत ज्यादा तादाद में हैं और उन मन्दिरों की आमदनी का जरिया कुछ भी नहीं। ये मन्दिर ऐसे हैं जिनमें न तो माहवार सौ, दो सौ रुपये की आमदनी होती है और न उनकी बहुत बडी इमारतें ही हैं जिनके किराये की आमदनी हजारों पर पहुंचती हो। और जिन मकानों में वे मन्दिर स्थित हैं उनकी भी कीमत दस-बीस हजार रुपये हों, यह भी बात नहीं। छोटी सी गुमठी में हमारे गांवों में भगवान विराजते हैं। उस गुमठी के अन्दर जो वहां का पुजारी होता है वह जाता है, जाकर भगवान की सेवा पूजा करता है। उस सेवा पूजा के लिये, भोग के लिये गांव के अन्दर से चून मांग कर लाता है। अध्यक्ष महोदय, उस चून से भगवान के लिये भोग बनाता है और भगवान को भोग अर्पण करके फिर आप खाता है। इस तरह से वह भगवान का और अपना गुजर बसर करता है। इसके अलावा भी अगर गांव में कोई अच्छा काम होता शादी विवाह आदि का, तो उस समय उस मन्दिर को गांव वालों की तरफ से एक रुपया चढाया जाता है। उस रुपये दो रुपये से धूप वगैरह लाकर भगवान की आरती वगैरह का इन्तजाम करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसे भी प्रन्यास मौजूद हैं। बहुत मुमकिन है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो यह बिल लाया गया है वह बाहर, मद्रास और बंबई के बिल की नकल करके लाया गया है वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। मैं मान सकता हूं शायद वहां पर बडे २ मन्दिर हैं, इसलिये वहां के लिये ऐसे कानून को लागू करने में कोई आपत्ति, मुश्किलात नहीं। लेकिन राजस्थान के अन्दर यह स्थिति मौजूद है, ऐसी सूरत के अन्दर हमको आमदनी का कोई न कोई स्केल तो निर्धारित करना पडेगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र ने जो यह दर बढाने के लिये कहा है कम से कम जिन प्रन्यासों की चल और अचल सम्पत्ति १० हजार से कम हो, जिनकी वार्षिक आय १२००) से कम हो उनको इस कानून से मुक्ति दी जाय। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि दस हजार से भी ज्यादा बढाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—आप तो समर्थन ही कर दीजिये।

श्री मानसिंह महार—जैसी आपकी आज्ञा, अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करते हुये दूसरी बात और निवेदन करूंगा। उन्होंने जैसा कि कहा उप-खंड (२) जो है जिसके अन्दर कम से कम ५ रुपये की बात रखने की है वह भी गलत है। इस बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि पुराने जमाने के अन्दर धार्मिक स्थानों में अध्यक्ष महोदय, जो आमदनी आती थी वह एक प्रकार से राज्य के काम में लाने की आमदनी नहीं मानी जाती थी। हम लोगों में जो धर्म में श्रद्धा रखते हैं धार्मिक स्थानों में जो आमदनी होती है उसको धार्मिक स्थान पर ही लगाना उचित समझते हैं राज्यकोष में एक भी पैसा धार्मिक स्थानों से लेने को अच्छा नहीं समझते। आज तो जमाना पलट गया, पुराने जमाने में धार्मिक स्थानों के मामलों में रिश्वत भी नहीं लेते थे। धार्मिक स्थान की अगर कहीं बात आ जाती थी तो उसमें लोग रिश्वत भी नहीं लेते थे। यही नहीं, धार्मिक स्थान के लिये पुराने जमाने के अन्दर जमीन वगैरह जो भी दी जाती थी, वह बिना रुपया

[श्री मानसिंह महार]

पैसा लिये ही दी जाती थी, चाहे वह जमीन सरकार की हो या जागीरदार की हो। कोई भी आदमी अगर किसी जगह मन्दिर आदि बनवाना चाहता था तो उसको जमीन बिना मूल्य दी जाती थी। उस समय यह बात देखी जाती थी कि धार्मिक स्थानों के लिये कोई भी पैसा न ले, हमारे service क्लास के लोगों में भी यही धारणा बनी हुई थी। उस समय यह लोगों को ज्ञान था कि अगर हम धार्मिक स्थानों का पैसा लेंगे तो वह राजकोष में जायगा और राजकोष में जाने के बाद तो वह पैसा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की किसी भी प्रकार सेवा करता है उसके हिस्से में भी वह पैसा आता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धार्मिक दाणा पहुंचता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उन लोगों की ओर ध्यान देते हुए जो धार्मिक स्थान के दाने से अपने आपको अलग रखना चाहते हैं, तो उन लोगों में तो यह पैसा काम में न आये, उनको इस पैसे से अलग रखा जा सके, इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो पांच रुपये फीस आदि रखी है वह उचित नहीं है, कम से कम धार्मिक स्थानों पर तो यह फीस लानी ही नहीं चाहिये। इन पांच और दो रुपयों में से कोष में कोई ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली नहीं, लाख दो लाख रुपयों की आमदनी हो भी जाय तो भी वह कोई आमदनी नहीं होगी। इन लाख दो लाख रुपयों की तो और भी किसी तरह आमदनी की जा सकती है। इससे कोई राजकोष भरने वाला नहीं। आपको तो यह सोचना चाहिये अध्यक्ष महोदय, इस कोष के अन्दर इस प्रकार से हमको पैसा इकट्ठा करना है तो और भी कई तरीके हैं जिनसे पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, कम से कम धार्मिक स्थानों के लिये ऐसी बात न की जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि पांच रुपये जहां फीस रखी है वहां दो रुपये कर दी जाय, दो रुपये से अधिक नहीं होगी तो भी ठीक है। मैं तो यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान देते हुए इस प्रकार की फीस कतई नहीं लगानी चाहिये। धार्मिक स्थानों से फीस लेकर राज्य भंडार में लिया जाय, उसमें माननीय सदस्यों को भी तनख्वाह दी जाय, फौज को तनख्वाह दी जाय, पुलिस को दी जाय, मैं मानता हूं ऐसी चीज होती है तो यह जो धार्मिक स्थान का आया हुआ पैसा हम लोगों में वितरित किया जाय, इसको मैं उचित नहीं मानता। मैं यह समझता हूं कि बहुत से व्यक्तियों की धार्मिक विचारधारा है उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। मेरा यह निवेदन है कि यह फीस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिये।

तीसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है, उस बारे में मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, इस सारे कानून के अन्दर जहां भी 'हिन्दू' शब्द आया है उसको हटाया जाय। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह 'हिन्दू' शब्द जोड़कर आज के युग के अन्दर जहां आज सेक्युलरिज्म की बात कही जाती है इस शब्द से सेक्यूलरिज्म को कुछ ठेस पहुंचेगी। मैं यह मानात हूं आज तो हिन्दू मुसलमान, ईसाई सब बराबर हैं भारतवर्ष के अन्दर। आज तो जब सब को समान अधिकार की गारन्टी हमारे सविधान में है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है; मैं तो अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा हिन्दुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के जो धार्मिक स्थान हैं उनमें ईसाइयों के धार्मिक स्थानों में बहुत ज्यादा आमदनी है। उनकी चल और अचल सम्पत्ति हमारे धार्मिक स्थानों से कहीं अधिक है। उनके ये धार्मिक स्थान आज राजनीति के अखाड़े बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इसी अमेन्डमेन्ट पर बहस कीजिये। 'हिन्दू' शब्द को हटाने के बारे में काफी वाद विवाद हो चुका, जिस समय आप उपस्थित नहीं थे। सारा दिन इसी 'हिन्दू' शब्द पर लगा है।

श्री मानसिंह महार—मैं भी अपने विचार रख दूं ।

श्री अध्यक्ष—जो बात एक मेम्बर ने कही उसी को आप दोहरा रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार—जैसी आपकी आज्ञा माननीय अध्यक्ष। तो 'हिन्दू' शब्द के बारे में जो निवेदन कर रहा था उसका मकसद केवल इतना था कि यहां से हिन्दू शब्द को भी लोप कर दिया जाय। जैसा कि आपने फरमाया मैं इस बारे में आगे निवेदन नहीं करता हुआ इसी धारा के अन्दर माननीय मेरे मित्र ने जो संशोधन किया है, वह यह है जैसा कि इस बिल में है, "किन्तु शर्त यह है कि जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी भी या समस्त हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के मामले में यह आवश्यक नहीं होगा कि उस प्रन्यास संपत्ति का विवरण दिया जाय जो ऐसे मूल्य तथा ऐसी किस्म, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया जाय, की हो" ।

तो इसके अन्दर ऊपर की लाइन है "ऐसे अन्य विवरण निर्धारित किये जायं", इसका तो समर्थन करता हूं । मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर चूंकि विवरण वगैरह स्पष्ट रूप में दिया हुआ नहीं है, इसलिये गोलमाल की काफी गुंजाइश है । इसलिये मैं समझता हूं, इसको लोप किया जावे, यह बहुत आवश्यक है । इन चन्द बातों को निवेदन करते हुए सभी माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि कम से कम यह लेजिस्लेशन के लिये जो आमदनी की बात कही गई है, वह कम से कम ग्रामीणों के लिये तो ठीक नहीं है, जहां गांवों में छोटे २ मन्दिरों में भगवान विराजते हैं उनके पुजारियों को बेचारों को, जयपुर आना पड़े उस समय उनको सेवा पूजा न छोड़नी पड़े ।

यह निवेदन करूंगा क्योंकि जो चून मांग कर मन्दिरों की सेवा पूजा करते हैं, वे क्या दो रुपया या पांच रुपया देंगे और जयपुर में आकर रजिस्ट्रेशन करावेंगे या उदयपुर जाकर रजिस्ट्रेशन करावेंगे ? ऐसी सूरत में मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि इस बात को तो माननीय मंत्रीजी को अवश्य मान लेना चाहिये और इस प्रकार की अगर कैद लगा दी जावेगी तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में भी यह बात फिट होगी कि छोटी मोटी चीजों को हम छोड़ रहे हैं और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि दातांरामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको सभी लोग मन्जूर कर लेंगे ।

(Shri Jagat Singh catches Mr. Speaker's eye).

श्री अध्यक्ष—It is not the number of members who speak, but the subject matter that counts.

श्री जगतसिंह झाला—में तो दो-चार शब्द कहूंगा । दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसमें यह लिखा है कि दस हजार से कम और १२००) से कम जो हैं, उनको इससे मुक्त कर दिया जाना चाहिये, तो मेरा यह निवेदन करना है कि जिस तरह से हमने जागीरदारों को भी, जो २००) रु० से कम की जागीर वाले थे, उनको मुक्त किया है तो ये तो देवताओं के मन्दिर हैं, वे तो बोलते भी नहीं हैं, हजारों की तादात में ये हैं और उनकी भी भावनायें होती हैं तो देवताओं के इन मन्दिरों को जो कम सम्पत्ति के हैं उनको तो कम से कम इससे मुक्त रक्खा जाय। क्योंकि

Page No 92

[श्री जगतसिंह झाला]

आपका कानून ऐसा है कि उनको भी लेंगे तो उनके सौ रुपये की आमदनी में से पचास साठ रुपया खर्च हो जावेगा और बाकी के बचे रुपयों से ठीक तरह से सेवा पूजा न हो सकेगी और आप इस तरह ख्वामख्वाह में पाप के भागी होंगे। इसलिये मेरा कहना है कि जिस तरह से छोटे जागीरदारों को आपने छूट दी है तो उसी तरह से छोटी आमदनी वाले मन्दिरों को भी इससे मुक्त रक्खा जाय और पांच रुपया आप हर मन्दिर से लेते हैं तो वह पांच रुपया न लेकर उनसे अगर आप दो रुपया या एक रुपया लेंगे तो यह भी उचित होगा । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि यह उचित संशोधन है और इसे मान लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—भगवान को थोड़े ही छोड़ेंगे, जागीरदारों को छोड़ेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है..

श्री अध्यक्ष—और चाहें तो मुक्तिलालजी की और सुन लें, वे आ गये हैं ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—मुक्तिलालजी नहीं बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—A fresh speech which does not concern this House at all.

श्री दामोदरलाल व्यास—तो...

एक माननीय सदस्य—तो आज आप इसीलिये बैठे होंगे, साहब ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे खयाल से अगर आज सवेरे जैसा अर्ज किया क्लॉज २ के अमेन्डमेन्ट को गौर से सुना जाता और सुनकर इस पर अमल करने की दृष्टि से विचार करते तो मैं समझता हूं, इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। यही आपत्ति मुझे इस संशोधन पर है । मैंने जैसे अर्ज किया था कि खंड एक का जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको सब सैक्शन (४) रक्खा है। उप-धारा तीन के अन्दर विज्ञप्ति, सार्वजनीन प्रन्यासों का वर्गीकरण ऐसे प्रन्यासों की आमदनी या उनकी चल सम्पत्ति का मूल्य या अन्य आर्थिक बातों के आधार पर कर सकते हैं ।

तो जैसा मैंने अर्ज किया था कि यह कानून बनाते ही सब सार्वजनीन प्रन्यासों पर लागू नहीं होगा, पर उनके ऊपर होगा जिनकी विज्ञप्ति पर राजस्थान सरकार गजट में आज्ञा शाया करके और उस पर लागू कर दे और उनसे पहले ओब्जेक्शन मांग कर उनका फैसला कर दे। इसके साथ ही साफ लिखा है कि जो आज्ञा दी जावेगी उसका आधार यह होगा कि उप-धारा ३ के अन्दर विज्ञापितों के नाम सरकार हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास के वर्गीकरण, ऐसे प्रन्यासों की आमदनी या उनकी चल सम्पत्ति के मूल्य और

[श्री दामोदरलाल व्यास]

आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए करेगी। तो आया ये बातें दर्ज हैं इस सब सैक्शन एक के एमेंडमेण्ट में तो यह बात ध्यान में रखी जावेगी कि इनकी सम्पत्ति चल-अचल कितनी हैं, उनकी आर्थिक हालत कैसी है, उनको ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जावेगा। तो आप अगर इसमें देखें तो यह बात इसमें रख दी है। पर अगर यह मान लिया जाय कि बारह सौ से कम आमदनी वालों को न लिया जाय और अगर इसको बिलकुल इस तरह से मान लिया जाय तो इससे सरकार बंध जाती है कि अगर इनमें कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, मिसएप्रोप्रियेशन आफ अकाउन्ट्स हो, या मिसयूज आफ फाइनेन्स हो तो भी सरकार दखल नहीं दे सकती, तो इसलिये इसको मानने की आवश्यकता नहीं है।

तो यह जो कहा जा रहा है कि हमारे मन्दिर जिनमें कोई आदमी नहीं है सिर्फ पुजारी चून मांग कर लाकर सेवा पूजा करता है और वह अपना निर्वाह करता है तो ऐसों के लिये मैं ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके लिये यह कानून नहीं बनाया जा रहा है। उन पर वह कानून लागू नहीं होगा और यह तो मन्दिरों पर लागू होगा जिनकी आमदनी, चल-अचल सम्पत्ति की कीमत इस प्रकार की होगी कि जिस पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण उसके बजट पर और उसके एक्सपेन्डीचर पर करना आवश्यक होगा।

श्री भैरूंसिंह—वही हम चाहते हैं कि एक स्पष्ट सीमा बांध दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं स्पष्ट कर चुका हूं सभी बातें। अब आपकी समझ में वे नहीं आवें तो फिर कुछ नहीं कह सकता और अगर जानबूझकर भी आप नहीं समझ सकते हों तो फिर कहना व्यर्थ है। मैं बहुत स्पष्ट अर्ज कर चुका हूं कि इस बिल का उन मन्दिरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी मन्दिर पर यह ओटोमैटिकली नहीं लगेगा, उन्हीं पर लगेगा जिनका वर्गीकरण करके सरकार गजट में नाम शाया करके उनके ओब्जेक्शन सुनकर फिर एप्लाई करेगी वरना नहीं होगा। और फिर इसमें भी वर्गीकरण के लिये जो बेसिस है वह उसकी इन्कम, उसकी चल-अचल सम्पत्ति की कीमत और उसकी आर्थिक हालत है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिये। इसलिये यह जो संशोधन है उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री मानसिंह महार—हाईएस्ट इन्कम तय करने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आपत्ति है कि इसका मतलब यह होता है कि सरकार बाउन्ड डाउन हो जाती है और फिर वे अगर क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट करें, प्रोपर्टी को मिसयूज करें या आमदनी को मिस एप्रोप्रिएट करें तो ऐसी सूरत में फिर सरकार दखल नहीं दे सकती।

श्री भैरूंसिंह—उस सूरत में यह कानून लागू हो जावे, इसकी व्यवस्था हो सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अमेन्डमेन्ट लाइये तो फिर। मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं।

श्री अध्यक्ष—By interpolation the member loses his right of reply.

श्री भैरूं सिंह—यह तो स्पष्टीकरण के लिये है, साहब।

श्री अध्यक्ष—But then the member will not have a right of reply.

श्री दामोदरलाल व्यास—दूसरा अमेन्डमेन्ट जो पेश किया है कि पांच रुपये की बजाय दो रुपया रक्खा जावे। माननीय अध्यक्ष, अगर इस धारा को सही तरीके से पढ़ा जाता तो इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें साफ लिखा है कि यह मैग्जिमम लिमिट प्रेस्क्राइब की है।

It can be eight annas, it can be four annas, it can be one rupee, it can be two rupees. यह साफ है इसमें।

"ऐसे आवेदन-पत्र के साथ ऐसा शुल्क, यदि कोई हो," यदि जरूरत नहीं हो तो न लें। "यदि कोई हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, किन्तु पांच रुपये से अधिक नहीं हो, भी दाखिल किया जायगा"। इसको लेकर आपने लम्बा-चौडा भाषण कर दिया कि पांच रुपये लायेगा कहां से, एक थैली में चून आता है ? मगर इसका मतलब यह है कि मेक्जीमम लिमिट जो है वह ५ रु० की है। पांच रुपये भी यदि राजस्थान गवर्नमेन्ट उस पर इम्पोज करे तो अदरवाइज नाट नेसेसरी। (Otherwise not necessary); इसलिये इस अमेंडमेंट को मन्जूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद में तीसरा अमेंडमेंट जो आपका है वह वही है 'हिन्दू सार्वजनीन' शब्द का लोप किया जाय। इन शब्दों पर काफी बहस हो चुकी है, जब कि उस क्लाज पर डिसकशन हुआ। इसलिए मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

इसके बाद भाग नं० ७ यानी सबसेक्शन (७) पर जो इन्होंने अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं उसमें नंबर १ और नंबर २ को मैं स्वीकार करता हूं और उसकी वजह है। जो वजूहात माननीय सदस्य ने दिये हैं उन वजूहात से मैं सहमत नहीं हूं, मगर यह बात जरूर है कि इससे यह सहूलियत जरूर हो जाती है कि किन्हीं इन्स्टीट्यूशन्स का एकाउंटिंग ईयर दीवाली टू दीवाली है या चैत से लगाकर चैत तक का हो, इसलिये यह करना उचित होगा कि जिस समय दर्ख्वास्त पेश करे उस साल के फाइनेन्शियल ईयर की आमदनी पेश करें।

श्री अध्यक्ष—कौन कौन से ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस सेक्शन में "लेखा" शब्द जोड़ दिया जाय। उप-खंड (३) के भाग (७) में नं० १ है. 'प्रथम व द्वितीय पंक्तियों से शब्द 'हुई आमदनी जो उस तारीख से जिसको', यह शब्द हटाया जाकर निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं:—

'आमदनी जो उस लेखा वर्ष से जिसमें'

नं० (२) "तीसरी पंक्ति में 'तीन' व 'वर्ष' शब्दों के बीच में 'लेखा' शब्द जोडा जाय"।

This one and two I would accept.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तीसरा जो इसमें भाग (७) में संशोधन है जिसमें कि लिखा है कि "औसत" शब्द जोडा जाय वह मैं मन्जूर नहीं करता हूं। जब एक साल की आमदनी बेसिस हो जाती है तो "औसत" का सवाल नहीं रहता है।

इसके अलावा जैसा कि मैंने अर्ज किया कि काफी बहस हो चुकी है इस पर कि "हिन्दू सार्वजनीन" होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता।

इसके अलावा एक बात का अमेन्डमेन्ट और करना चाहते हैं कि सब-सेक्शन भाग (१०) के अन्दर जो प्रोविजो है उसमें आपका कहना है कि "किन्तु शर्त यह है कि जो नियम बनाये गये हैं उनमें यह व्यवस्था की जा सकती है", यह जो पंक्ति है इसमें "जो नियम बनाये गये हैं", इन शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम में", शब्द रखे जायं। मैं अर्ज करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नियम बनाये गये हैं उनकी परिभाषा जनरल क्लाजेज एक्ट में साफ तौर से दी गई है कि नियम जो बनाये गये हैं वे नियम उस एक्ट के तहत में बनाये गये नियम हैं। इसलिये इसको क्लेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिये this sub-clause stands as it is.

अतएव मैं केवल आपके दो एमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार करता हूं और बाकी सब का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—शम्भुसिंहजी का?

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री शम्भुसिंहजी के एमेन्डमेन्ट पर काफी बहस कर चुके हैं। "हिन्दू" शब्द की परिभाषा पर उनका एमेन्डमेन्ट बेस्ड है इसलिये मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह के खडे होने पर) आप विड्रॉ कर रहे हैं?

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, विड्रॉ करने का सवाल क्या, मन्जूर कराने का प्रयत्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष, मैं तो इस आशा से आया था कि शायद इनमें से मेरे तीन संशोधन स्वीकार किये जायेंगे....

श्री अध्यक्ष—दो कर लिये।

श्री भैरूंसिंह—दो कर लिये, लेकिन वह बिल्कुल ड्राफ्टिंग की गलतियां थीं उनको मन्जूर किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खंड के उप-खंड (१) के बारे में माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने उत्तर देते हुए बताया था कि जिस प्रकार का मेरा संशोधन है कि १० हजार की जिनकी चल या अचल संपत्ति है या १२००) रू० की जिनकी वार्षिक आमदनी है इस प्रकार के प्रन्यासों को इस कानून के प्रभाव से मुक्त रखा जाय, उसकी दलील में एक बात कही जाती है कि इससे सारे छोटे प्रन्यास उससे

[श्री भैरूंसिंह]

मुक्त हो जायेंगे और उनके धन का दुरुपयोग होता रहेगा। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे संशोधन प्रस्तुत करने की मन्शा यह कतई नहीं है कि जितने भी ऐसे छोटे हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास हैं उनके धन का दुरुपयोग हो, चाहे वह प्रन्यास पांच रुपये की संपत्ति का हो, चाहे पांच लाख रुपये की संपत्ति का हो, चाहे उससे भी अधिक संपत्ति वाले कोई प्रन्यास हों। उनमें एक पैसे का भी दुरुपयोग होता है तो उस दुरुपयोग को रोकने की चेष्टा करनी चाहिये। मेरे संशोधन का आशय जो था स्पष्ट वह था। अब भी वह स्पष्ट है और पहले भी स्पष्ट था कि यदि सरकार चाहे कि वह इस संशोधन को मन्जूर करने के बाद जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी अनुभव करते हैं कि सरकार बाउन्ड डाउन हो जायगी कि वह नीचे के प्रन्यासों के विषय में ऐसे दुरुपयोग की कोई भी कार्यवाही को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी, तो मैं, माननीय अध्यक्ष, निहायत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी यदि चाहें तो अलग से ऐसा संशोधन दे सकते हैं या मैं ने अलग भी ऐसा संशोधन दिया है जो कि आगे आने वाला है उसको मन्जूर करलें। यदि वे चाहते हों और इस स्प्रिट की कद्र करते हों और वह ऐसा महसूस करते हों कि ऐसे छोटे प्रन्यासों के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो वे इस भावना को स्वीकार कर लें और इस कानून में किस ढंग से इनका इनकारपोरेट करना है, इस बारे में संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर लेंगे कि सरकार को अधिकार होगा कि संपत्ति का दुरुपयोग होने के मामले में कोई भी प्रन्यास हो चाहे, उसकी आमदनी कम हो, उसका रजिस्ट्रेशन होकर उसका नियमन और नियन्त्रण सरकार अपने हाथ में ले सकती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वे उस हथियार को सामने लाना चाहते हैं। उनका वह हथियार वह संशोधन है जो कि आने वाला है और जिस संशोधन की आड़ में वे बहुत ही, लिबरल कानून होगा, ऐसा वे कहने की चेष्टा कर रहे हैं। वह बिल्कुल गलत है। वह तो आर्बीट्रिरी पावर्स गवर्नमेन्ट के हाथ में रहेगी। वह तो और भी बुरा है। मैं उस संशोधन का मूलतः विरोध करता हूं जिसमें कि यह है कि सरकार स्वेच्छा से किसी प्रन्यास को मुक्त करे और किसी प्रन्यास को अपने अधिकार में ले ले। यह तो सारे मूल कानून से भी कई गुना महत्व का संशोधन है। वह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सरकार को इस प्रकार की पावर्स होने चाहियें। यदि सरकार उसे चाहती है तो उसके सारे डिस्क्वालिफिकेशन्स और क्वालीफिकेशन्स का स्पष्ट चित्र सदन के सामने पेश करे। सदन उस पर विचार करे और विचार करने के बाद उसे कानूनी रूप दे। एक ब्लेंक चेक इस प्रकार का देना यह कह कर कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन इससे सारे छोटे प्रन्यास खत्म हो जायेंगे। इन चीजों के लिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की मन्शा यह है कि छोटे प्रन्यासों पर अधिकार नहीं हो या सरकार की मन्शा यह है कि अधिकार हो, यह मैं इस समय नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कानून बनाया जाय और कानून में इस प्रकार की भाषा रखी जाय कि जिस भाषा के अन्तर्गत अपनी स्वेच्छाचारिता के आधार पर सबका नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले, यदि यह दोनों बातें हैं तो मैं निश्चित रूप से उस धारा का विरोध करता हूं। यदि सरकार ऐसा चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वे अपने लीगल एक्सपर्ट्स को कह दें कि वे ऐसी धारा बनादें, और यदि वे नहीं कर सकते हों तो मैं अभी पांच मिनिट के अन्दर इसी क्लाज का एक ड्राफ्ट पेश करूंगा कि जिस ड्राफ्ट में एक प्रोवीजो एड कर वह व्यवस्था कर सकते हैं कि दुरुपयोग होने की अवस्था में प्रन्यास का पंजीयन होगा। जिन प्रन्यासों की आमदनी १२००) रु० वार्षिक से कम होगी या जिनकी चल या

[श्री भैरूंसिंह]

अचल संपत्ति की कीमत १००००) रू० से कम होगी उनका भी। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने जो दलील सदन में प्रस्तुत की है वह बिलकुल मानने लायक नहीं है।

दूसरा मेरा संशोधन जो पांच रुपये के बारे में था उसके बारे में कहा गया है कि वह बहुत कम है और उस उप-खंड को पढते २ एक लाइन ऐसी पढ़ी कि जिस लाइन का मतलब वे समझें नहीं। उन्होंने कहा—

"ऐसे आवेदनपत्र के साथ शुल्क, यदि कोई हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, किन्तु पांच रुपये से अधिक नहीं हो, भी दाखिल किया जायगा।"

पांच रुपये का "यदि कोई हो", यानी शुल्क है या नहीं यह चीज स्पष्ट नहीं है। "यदि कोई हो" इस भाषा का प्रयोग दो बातों के लिये किया जा कसता है। शुल्क यदि कोई हो या आवेदनपत्र यदि कोई हो, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें.....

श्री दामोदरलाल व्यास—कानून का इन्टरप्रटेशन है।

श्री भैरूं सिंह—जी हां, इसीलिये कह रहा हूं।

"ऐसे आवेदनपत्र के साथ जैसा शुल्क, यदि कोई हो, ऐसा कि निर्धारित किया जाय, किन्तु पांच रुपये से अधिक नहीं हो, भी दाखिल किया जायगा।

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पांच रुपये से नीचे का शुल्क निर्धारित करेगी। शुल्क पांच रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता है। पांच रुपये से कितना कम होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सरकार की मर्जी चाहे वैसी व्यवस्था कर दे कि इतना शुल्क लगेगा। सरकार लागू कर सकती है, वह पांच रुपया हो सकता है। मेरा इसमें विरोध यह था कि दो रुपये तक का शुल्क लगा लें। उसके नीचे आठ आना या एक रुपया भी लगाया जा सकता है या न भी लगाया जा सकता है। पांच रुपये और दो रुपये के बीच का तीन रुपया का फर्क निकलता है, इसीलिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने मेरे जवाब के उत्तर में जो कुछ कहा, छोटे २ प्रन्यासों को कठिनाई होगी। जरूर होगी। एक प्रन्यास है, कोई सम्पत्ति नहीं है, नाम का ट्रस्ट है, मंदिर है, एक पैसे की आमदनी नहीं है, बल्कि लायबिलिटी के तोर पर खर्च होता है, अगर उनको स्टेटमेंट देने की आवश्यकता हो तो उनको न मालम गलत कार्यवाही जान-बूझ कर नहीं, कोई रेकर्ड नहीं है, उसके अभाव में ऐसी कार्यवाही करनी पडेगी जो सरकार के निगाह में ठीक नहीं है, सरकार जांच कराती है तो मुमकिन है गलती निकलती है, स्टेटमेंट पेश करने में मेलाफाइडी इन्टेन्शन नहीं है, उन्होंने हिसाब पेश किया और सरकार ने कह दिया कि तीन साल का जो हिसाब पेश किया है वह गलत है। गांवों में छोटे २ धार्मिक प्रन्यास बने हुए हैं, किसी ने पांच सो रुपया इकट्ठा किया और खर्च कर दिया। गांव वाले मौखिक रूप से उसको खर्च करते हैं। उनका कोई रेकर्ड नहीं रखते। जो इस प्रकार के ट्रस्ट छोटी मोटी समस्याओं के लिये बने हैं, अगर उनको कहेंगे कि तीन साल का हिसाब पेश करो,

[श्री भैरूंसिंह]

नहीं तो दंड दिया जावेगा तो ऐसे छोटे-मोटे प्रन्यास पनप नहीं सकते, वे खत्म ही हो जावेंगे । इन छोटे मोटे प्रन्यासों को खत्म होने से बचाने के लिये मैंने यह निवेदन किया था कि उनसे शुल्क दो रुपया तक लिया जाय और उससे अधिक न हो । भाग (७) में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनमें से मंजूर जरूर किये हैं लेकिन तीसरा भाग मंजूर नहीं किया है, वह एक प्रकार से गलत कार्यवाही होगी । मैंने ये संशोधन दे दिये हैं । उनको मंत्रीजी स्वीकार करते हैं तो फिर तीसरा भी आवश्यक हो जाता है और उसके लिये तीन वर्ष की औसतन आमदनी बतानी पडेगी, नहीं तो अलग २ हिसाब देने पड़ेंगे । उसमें है "ऐसे जरियों से होने वाली अनुमानित आमदनी" । अनुमानित आमदनी का जहां तक उल्लेख है सरकार यह जांच कराना चाहती है कि अमुक सार्वजनीन प्रन्यास में कितनी आमदनी थी और कितना खर्चा था । सरकार यह भी जानना चाहती है कि किस प्रकार आमदनी होगी और खर्चा कितना किस प्रकार से होगा ? औसतन आमदनी से मतलब नहीं है तो इसमें रेफरेन्स नहीं आता और उसी भावना को लेकर अनुमानित आमदनी का जिक्र किया । औसतन और अनुमानित आमदनी उसी रूप में निकाल सकते हैं, नहीं तो तीन वर्ष का स्टेटमेन्ट देना होगा और वह निरर्थक होगा । आमदनी का औसत निकाल सकेंगे । अगर जानकारी ही हासिल करना है तो औसत आमदनी मंगाने की ही चेष्टा करें बनिस्बत इसके कि तीन वर्ष का अलग २ स्टेटमेंट मंगायें । मैंने इस संबंध में जागीर का हवाला दिया था । दस वर्ष की आमदनी को केल्कुलेट करके नहीं देखा गया था किन्तु औसतन कितनी आमदनी होती है उसी को देखकर कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई थी । तीन वर्ष की आमदनी का हमें औसत निकालना चाहिये ।

आगे चल कर भाग (१०) में है "ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जाय" । इसके बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि शब्दों की गोलमाल से इसको टालने की चेष्टा की गई है । मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कोई भी कानून बने उसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । हम किस प्रकार के नियम बना सकते हैं, कैसे नियम होने चाहिये और कौनसी हमारी आवश्यकता है ? जब तक नियम बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाय तब तक तो अधिकार देने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। उन नियमों में विवरण देने का जो उल्लेख किया गया है वह भी अनुचित है और ऐसा विवरण नहीं दिया जा सकता । हमने उदाहरण के तौर पर बताया था कि गुप्त दान के सम्बन्ध में विवरण नहीं दिया जा सकता है । कोई आदमी गुप्त दान निकालता है, अब सरकार ऐसा नियम बना दे कि जो कुछ भी गुप्तदान दिया है उसका भी विवरण दिया जाय, वह गुप्तदान किसने दिया है, कब दिया, जो गुप्त दान देता है वह तो उस दान के उद्देश्य को ही छिपाने की कोशिश करता है लेकिन नियम के अन्तर्गत सरकार मांगे ही, तो ऐसी सूरत में जो गुप्तदान देने वाला है, ऐसे आदमी के नाम का विज्ञापन हो जावेगा और उस दान का जो महत्व है वह भी उस दृष्टि से समाप्त हो जावेगा; तो वह आदमी आगे दान नहीं देगा । इस दृष्टि से जो ये ट्रस्ट बने हुए हैं वे धीरे २ समाप्त हो जावेंगे और एक दिन ऐसा भी आवेगा कि ये ट्रस्ट सरकार का रूप धारण करके सरकारी विभाग के रूप में आवेंगे । अतः इस प्रकार के विवरण को मंगाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के विवरण प्रकट नहीं होने देना चाहते जिससे कि दान का महत्व ही समाप्त हो जाय, लेकिन यह कह कर कि विवरण मांग सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था करना अनुचित है ।

[श्री भैरूंसिंह]

आगे चल कर प्रोविजन है उसमें मेरा संशोधन था कि जो नियम बनाये....

श्री अध्यक्ष—इन पर तो बोल चुके हैं, जवाब देना है ।

श्री भैरूंसिंह—वही जवाब दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष ।

किन्तु यह बात सही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ये दो बातें आवश्यक हैं । प्रतिबन्ध की पहली पंक्ति में ये शब्द हैं कि "जो नियम बनाये गये हैं उनमें" इन शब्दों के एवज में ये शब्द होने चाहिये "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में" । अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में शब्द है "मेक" और यहां हिन्दी में उसका ट्रान्सलेशन किया गया है "बनाये गये" । यहां यह लिखना पडेगा कि "नियम बनाये जायं" । 'बनाये गये हैं' का मतलव यह हुआ कि "रूल्स मेड", यह तो कानूनी दिक्कत की बात नहीं है । कानून तो अब पास करेंगे । अभी हमारे सामने यह बात नहीं है कि नियम कब बनेंगे । सरकार कहती है कि कानून बनाया गया है, नियम तो बाद में ही बनेंगें । इसलिये में राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि "इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाये गये हैं" उनकी एवज में "नियम बनाये जायं" इन शब्दों को स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष—आगे पढ़िये ।

श्री भैरूंसिंह—'बनाये गये' तो कैसे आ सकता है, माननीय अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष—The sense is carried to the Minister Incharge.

श्री भैरूंसिंह—मैं आपके जरिये राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अनुवाद की दृष्टि से यह गलत है । मैंने कई लोगों से पूंछा भी है और जो अनुवाद करते हैं उनसे भी पूंछा है ।

इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर वे दुबारा विचार करें और सदन के सदस्यों से ख्वाहिश जाहिर करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी के नामंजूर करने की सूरत में मंजूर करने में अपना मत दें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ पर जो संशोधन श्री शंभुसिंहजी ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

(श्री दामोदरलाल व्यास से) उप-खंड (७) (१) और (२) आपको स्वीकार हैं ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ४ के उप खंड (१) में श्री भैरोंसिहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरू सिंह—हां पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष—What is the intention ? Division on every amendment ?

श्री भैरू सिंह—यह तो खास पोइन्ट है, साहब ।

श्री अध्यक्ष—आप चाहें तो नेम्स गिन लिये जाय ।

श्री भैरू सिंह—हमारा यही मतलब है ।

श्री अध्यक्ष—इस एक संशोधन पर ही डिविजन चाहते हैं या सब पर चाहत हैं ?

श्री भैरू सिंह—इस एक संशोधन पर ही चाहते हैं क्योंकि यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है ।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—रेस्ट पर एग्री करते हैं, Other sub-clauses are agreed to or the whole clause is opposed ?

श्री भैरू सिंह—होल क्लॉज अपोज्ड नहीं हैं । सब-क्लाजेज (२),(४),(७) और (१०) पर संशोधन हैं ।

श्री अध्यक्ष—इस क्लॉज में ४ अमेन्डमेन्ट्स हैं ।

श्री भैरू सिंह—पांचवें प्रोविजो पर अमेन्डमेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष—डिविजन एक पर चाहते हैं, इसलिये नाम गिन लिय जांय ।

श्री जवानसिंह—The recording of names is pre-matured.

श्री अध्यक्ष—The Members who will come now will be given an opportunity to have the option.

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (१) पर जो संशोधन श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ?

श्री भैरू सिंह—Ayes have it, sir,

श्री अध्यक्ष—जो हां के पक्ष में हैं वे उधर खडे हो जावें और जो ना के पक्ष में हैं वे इधर खडे हो जावें ।

श्री भैरूंसिंह—नाम रेकॉर्ड कर लिये जावें।

श्री अध्यक्ष—नाम रेकॉर्ड कर रहे हैं। कोई नहीं रेकॉर्ड कराना चाहें तो उन पर कंपल्शन नहीं है।

ऐज की तरफ ९ और नोज की तरफ १९।

नोज हेव इट, दि नोज हेव इट, संशोधन गिर गया।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न यह है कि खंड ४ का उप-खंड (१) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उप-खंड (१) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (२) पर जो संशोधन श्री भैरोंसिहजी ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ का उप-खंड (२) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उप-खंड (२) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (३) में जो संशोधन मंत्री महोदय ने उपस्थित किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री भैरूंसिंह—संशोधन लिखकर नहीं दिये हैं। क्या संशोधन है, इसका हमें पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—संशोधन इस प्रकार है : "उप-खंड (३)(१) में शब्द 'उद्गम' के पश्चात् शब्द और कोष्ट (जहां तक ज्ञात हो) प्रविष्ट किये जावें।"

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

Page No 102

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उप-खंड (३) (१) में जो संशोधन भैरूंसिहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उप-खंड (३) (१) को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय.

(स्वीकृत)

उप-खंड (३) (१) संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उप-खंड (३) (२) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उप-खंड ३ (२) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (३) के भाग (३), (४), (५) और (६) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

उप-खंड (३) के भाग (३), (४), (५) और (६) स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है जो संशोधन श्री भैरूंसिहजी ने उप-खंड (३) के भाग (७) में (१) और (२) रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उप-खंड (३) के भाग (७) में जो संशोधन (३) श्री भैरूंसिहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंहजी के उप-खंड (३) के अन्दर भाग (९) व (१०) में और प्रतिबन्ध में जो संशोधन है उन्हें स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उप-खंड ४ के (७), (८), (९), (१०) और प्रोविजो स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

उप-खंड ४ के भाग (७), (८), (९), (१०) और प्रतिबन्ध स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ का उप-खंड (४) स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

उप-खंड (४) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ का उप-खंड ४ ए, का संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप-खंड (५) और (६) स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खंड ४ के उप-खंड (४), (५) और (६) स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही सायंकाल ५-४ बजे, दिनांक-२३ अक्तूबर, १९५६ के प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २२ अक्तूबर, १९५६

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १५१ का उत्तर देखिये)

सूची तहसीलों की जो पाइलेट कार्य के लिये चुनी गई है।

१. **जयपुर डिविजन**

(१) आमेर, (२) सरवाड (३) झुन्झुनू।

२. **जोधपुर डिविजन**

(१) परबतसर (२) सिवाना (३) खारची (४) बिलाड़ा (५) आहोर।

३. **बीकानेर डिविजन**

(१) बीकानेर (२) सुजानगढ़।

४. **कोटा डिविजन**

(१) हिन्डोली।

५. **उदयपुर डिविजन**

(१) नाथद्वारा (२) गंगरार (३) मांडल (४) एक तहसील डूंगरपुर के जिले में चुनी गई है। (५) एक तहसील बांसवाडा जिले में जो कमिश्नर के द्वारा चुनी जावेगी।

मानचित्र जागीर सम्पर्क अधिकारी राजस्थान

१.	श्री महेन्द्रसिंह राणावत	उदयपुर
२.	श्री रावत प्रतापसिंहजी एम. एल. ए. (विजयपुर) रिजाइन्ड	चितौडगढ़
३.	श्री महाराज शिवदानसिंहजी एम. एल. ए., शिवरती हाउस उदयपुर	डूंगरपुर
४.	श्री मदनसिंहजी	झुन्झुनू
५.	श्री रूघुनाथसिंहजी वकील बी. ए., एल एल. बी.	जयपुर
६.	श्री महाराज सूरजसिंहजी	किशनगढ़
७.	श्री गनपतसिंहजी	जोधपुर
८.	श्री उत्तमसिंहजी (मैट्रिक)	बाडमेर
९.	श्री रामसिंहजी बी. ए., एल एल. बी.	नागौर
१०.	श्री केसरीसिंहजी रिजाइन्ड	बूंदी

Page No 105

११.	श्री गुलाबसिंहजी	पाली
१२.	श्री भोपालसिंहजी	जालोर
१३.	श्री जोतसिंह	बीकानेर
१४.	श्री रघुवीरसिंह	चुरू

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त देवस्थान जिनको टट्पा गंगापुर परगना नीमच जिला मन्दसोर से नकदी माफी दी जाती थी जो टट्पा गंगापुर राजस्थान फरवरी सन् १९५० में विलीन होने के बाद बन्द है।

क्र.सं.	नाम मोजा	नाम मन्दिर	नाम पुजारी	तादाद रकम जो सालाना मकदी में माफी दी जाती थी	विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	गंगापुर	श्री लक्ष्मीनारायणजी	१—कंवरदास पिता लछमनदास सर्वेरागी	६।-	
			२—मोहनदास पिता नारू	३।-	
२.	गंगापुर	श्री चारभुजाजी	सर्वरागी किशनदास दोलतदास वैरागी गुरू	१८।-	
३.	गंगापुर	श्री नीलकन्डेश्वर	१—जटाशंकर पिता नीलपत ब्राह्मण	३०।-	
			२—शंकर पिता ऊकारब्रा०		
४.	गंगापुर	श्री गोपालजी	श्री वल्मदास चेला लछमनदास	१२।-	
५.	गंगापुर	श्री महादेवजी	श्री हरीगिर पिता केसरगिर गुसाई	१५।-	
६.	गंगापुर	श्री चावन्डामाताजी	१—केसरपुरी पिता शंकरपुरी २—लालपुरी पि० गु० रतनपुरी ३—नारूपुरी पिता मानपुरी	६।-	
७.	मेलोनीखेडा	श्री हरजी	जगन्नाथदास पिता टीकमदास बैरागी	९।-	
८.	चौडखेडा	श्री चारभुजाजी	पन्नादास पिता पोखरदास बैरागी	१८।-	
९.	उरनिया	श्री चारभुजाजी	मोहन दास पिता हरीरमदास बेरागी	९।-	
१०.	सुरावास	महादेवजी	रामगिर पिता किशनगिर गुसाई	४८।-	
११.	रायथल्या	चावन्डामाताजी	कजोडी पिता गुला बलाई	२।-	
१२.	बघेरा	श्री कृष्णजी	रणछोडदास पिता गनेसदास बेरागी	९।-	

Page No 107

१	२	३	४	५	६
१३.	लाखोदा	श्री चावन्डामाताजी	१–बख्ता पिता दयाराम २–केला पिता गौराम	९।-	
१४.	साथलियास	श्री सांवलाजी	छोगालाल पिता नन्दराम ब्रा०	३।-	
१५.	माफावास	श्री महादेवजी	१–श्री घीसा पिता नारायण २–श्रीराम पिता दोलतराम ब्रा०	४।-	
१६.	माफावास	श्री चारभुजाजी	हाथीरामदास पिता मोडी-रामदास बेरागी	६।-	
१७.	माफावास	श्री लक्ष्मीनारायण	हजारी पिता दोलतराम ब्रा०	१२।-	
१८.	उदलियास	श्री चारभुजाजी	१–लालदास दोलतराम पि० हरीरामदास २–चम्पादास पिता किशनदास	९।-	
१९.	सूरावास	श्री चारभुजाजी	कालूदास पिता घीसादास बेरागी	१२।-	
२०.	गंगापुर	श्री चारभुजाजी	मांगीलाल पिता कजोडीदास बेरागी	८।१२।-	
२१.	गंगापुर	श्री पारसनाथजी	श्री खेमचन्द पिता शीवचन्द	१७।६।-	
			योग ..	२५७।२।-	

परिशिष्ट ३

[खण्ड ४ के उप-खण्ड (१) पर श्री भैरूंसिह द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर सदन में हुई गणना की नामावली]

ना पक्ष

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२. श्री बलवीरसिंह
३. श्री चुन्नीलाल बिड़ला
४. श्री दामोदरलाल व्यास
५. श्री दीनबन्धु परमार
६. श्री धर्मपाल
७. श्री घीसीसिंह केटला
८. श्री हंसराज जटिया (बाडी)
९. श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री
१०. श्री लालू राम
११. श्री लक्ष्मण हीरात
१२. श्री चांदमल मेहता
१३. श्री मथुरादास
१४. श्री नाथूराम
१५. श्री राधाकृष्ण मारू
१६. श्री रामरतन टिक्कीवाल
१७. श्री सम्पतराम
१८. श्री श्रीभानसिंह
१९. श्री सोहनलाल भटनागर

हां पक्ष

१. श्री भैरूंसिंह (दातारामगढ)
२. श्री हनवंतसिंह
३. श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)
४. श्री जगतसिंह झाला
५. श्री जवानसिंह सोलंकी
६. रावत श्री मानसिंह
७. श्री मुक्ति लाल मोदी
८. पं० रूपनारायण शास्त्री
९. रावत श्री शम्भुसिंह

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २२ अक्टूबर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
८४६	शीर्षक (६)	विकास काय	विकास कार्य
६१६	शीर्षक	प्रन्यास यक, १६५६	प्रन्यास विधेयक, १६५६